जुलाई-दिसंबर, 2014
ISSN: 2321-0443

ज्ञान गरिमा सिंधु

संयुक्तांकः 43-44

वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग
मानव संसाधन विकास मंत्रालय (उच्चतर शिक्षा विभाग) भारत सरकार
Commission for Scientific and Technical Terminology
Ministry of Human Resource Development
(Department of Higher Education)
Government of India

ज्ञान गरिमा सिंधु

(त्रैमासिक पत्रिका)

संयुक्तांक - 43 — 44
जुलाई - दिसम्बर 2014

सत्यमेव जयते

वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग
मानव संसाधन विकास मंत्रालय
(उच्चतर शिक्षा विभाग)
भारत सरकार

© कापीराइट 2014

प्रकाशक :
वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग,
मानव संसाधन विकास मंत्रालय (उच्चतर शिक्षा विभाग)
भारत सरकार, पश्चिमी खंड-7, रामकृष्णपुरम,
नई दिल्ली-110 066

विक्रय हेतु पत्र-व्यवहार का पता :
बिक्री एकक,
वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग,
नई दिल्ली-110 066
दूरभाष - (011) 26105211
फैक्स - (011) 26102882

बिक्री स्थान :
प्रकाशन नियंत्रक,
प्रकाशन विभाग,
भारत सरकार,
सिविल लाइन्स,
दिल्ली - 110 054

सदस्यता शुल्क :

	भारतीय मुद्रा	विदेशी मुद्रा		
व्यक्तियों / संस्थाओं के लिए प्रति अंक	रु. 14.00	पौंड 1.64	डॉलर	4.84
वार्षिक चंदा	रु. 50.00	पौंड 5.83	डॉलर	18.00
विद्यार्थियों के लिए प्रति अंक	रु. 8.00	पौंड 0.93	डॉलर	10.80
वार्षिक चंदा	रु. 30.00	पौंड 3.50	डॉलर	2.88

पत्रिका में व्यक्त विचार लेखकों के अपने हैं।
संपादक मंडल की इनसे सहमति अनिवार्य नहीं है।

संपादन एवं समन्वय

प्रधान संपादक

प्रो. केशरी लाल वर्मा
अध्यक्ष, वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग

संपादक

डॉ. प्रेमनारायण शुक्ल
सहायक निदेशक

प्रकाशन

डॉ. प्रेमनारायण शुक्ल
सहायक निदेशक

कर्मचन्द
प्र. श्रे. लि.

अनुक्रम

अध्यक्ष की ओर से			v
संपादकीय			vi
आलेख शीर्षक		**लेखक**	
1.	वैदिक वाङ्मय में पर्यावरण चेतना और स्वास्थ्य	प्रतिभा गौतम हर्षवर्धन वशिष्ठ	01
2.	संसदीय लोकतंत्र में न्यायपालिका की सक्रियता का प्रभाव	डॉ. राजेश सिंह	08
3.	आधुनिक संचार माध्यम और नागरी लिपि	आशीष जायसवाल	22
4.	शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में उपलब्धि अभिप्रेरणा	प्रो. आर. पी. पाठक एवं राजेन्द्र कुमार गुप्त	33
5.	प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतनः परंपरा एवं शब्दबोध	डॉ. श्रीप्रकाश सिंह	44
6.	मानवाधिकार और विकलांगता	डॉ. विनोद कुमार सिन्हा	50
7.	समकालीन भारतीय राजनीति और तकनीकी शब्दावलीः एक विशिष्ट संयोजन	सुनील के. चौधरी	58
8.	अनुवादः भाषायी समन्वय का आधार	डॉ. सुरचना त्रिवेदी	68

विविध स्तंभ

- ☐ ज्ञान-चर्चा – श्री सतीश चन्द्र सक्सेना 75
- ☐ इस अंक के लेखक 83
- ☐ मानक शब्द-भंडारः पत्रकारिता एवं मुद्रण शब्दावली 85
- ☐ लेखकों से अनुरोध 97
- ☐ आयोग के कार्यक्रमों में सहयोजित होने के लिए प्रोफार्मा 100
- ☐ पत्रिका की सदस्यता हेतु ग्राहक/अभिदान फार्म 101
- ☐ हमारे प्रकाशन 102
- ☐ बिक्री संबंधी नियम 111

अध्यक्ष की ओर से

मानव जीवन को शारीरिक कष्टों तथा आकस्मिकताओं को कम करने के लिए विज्ञान और तकनीक नए–नए शोध और आविष्कारों के माध्यम से सकारात्मक रूप से प्रयत्नशील है। इन नए शोधों और अनुसंधानों के फलस्वरूप नयी–नयी पदावली और शब्दावली भी सृजित हो जाती है।

वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग अधुनातन वैज्ञानिक शोधों से तारतम्य बनाए रखने के लिए तत्संबंधी शब्दावलियों के निर्माण में जुटा रहता है। इस क्रम में आयोग द्वारा कंप्यूटर विज्ञान शब्दावली, प्रौद्योगिकी शब्दावली, प्लाज्मा शब्दावली जैसे अधुनातन विषयों की अंग्रेजी–हिंदी शब्दावलियां प्रकाशित कराई गई हैं।

आयोग इन वैज्ञानिक विषयों के अतिरिक्त अन्य भारतीय भाषाओं की त्रिभाषी शब्दावलियों का निर्माण कर राष्ट्रीय एकता के बंधन को सुदृढ़ करने के प्रयासों में योगदान कर रहा है। इसी क्रम में आयोग द्वारा दो पत्रिकाओं "विज्ञान गरिमा सिंधु" तथा "ज्ञान गरिमा सिंधु" का प्रकाशन भी किया जाता है। ज्ञान गरिमा सिंधु के वर्तमान अंक में मानविकी और सामाजिक विज्ञान विषयों पर सूचनापरक आलेखों का समावेश है। निःसंदेह इन आलेखों से पाठक वर्ग लाभान्वित होगा। हमारा प्रयास इन लेखों के माध्यम से विभिन्न प्रकार की जानकारियाँ सहज और सरल भाषा में प्रस्तुत करना है। इसके साथ ही आयोग द्वारा निर्मित शब्दावली के प्रयोग को बढ़ाने हेतु प्रयास करना है जिससे हिंदी में मानक शब्दों / पर्यायों का प्रचलन सामान्य हो सके। एक शब्द के अनेक पर्याय शिक्षण और पठन-पठन के स्तर पर घालमेल कर देते हैं। हमें ऐसी भ्रामकता से बचना है।

आयोग के प्रयासों को आपके पत्रों से बल और संबल के साथ नयी ऊर्जा भी प्राप्त हो सकेगी।

(प्रो. केशरी लाल वर्मा)
अध्यक्ष

संपादकीय

ज्ञान–विज्ञान के क्षेत्र में आज भारतीय समाज की सबसे बड़ी आवश्यकता यह है कि इससे संबंधित समग्र ज्ञान भारतीय भाषाओं में भी उपलब्ध कराया जाए। जिस अधिकार एवं विश्वास से हम भारतीय भाषा परिवार से ज्ञान अर्जित कर सकते हैं, उतना योरोपीय भाषा-परिवार अथवा अन्य भाषिक संस्कृति से संभव नहीं हो पाता। ऐसी स्थिति में शिक्षा के हर स्तर एवं चरण में हमें तकनीकी, वैज्ञानिक एवं अवधारणात्मक शब्दावली का प्रचुर भंडार तो चाहिए ही, उसके रचनात्मक प्रयोग का संकल्प भी चाहिए। वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग राष्ट्रीय महत्व के कार्य के प्रति विगत छह दशक से समर्पित है। 'ज्ञान गरिमा सिंधु' के अंक 43-44 में इसी उद्देश्य को दृष्टि में रखते हुए लेखकों के ऐसे लेख समाहित किए गए हैं जिनसे हमें वैदिक साहित्य से लेकर, संसदीय क्षेत्र, मीडिया, शिक्षण-प्रशिक्षण, राजनीति तथा अधिकार एवं विधिक्षेत्र में तो अवलोकन एवं प्रवेश करने का अवसर मिलता ही है, अनुवाद जैसे महत्वपूर्ण अनुशासन के दुर्लभ प्रदेय को समझने, जानने का भी अवसर मिलता है। आज इसी प्रकार के अछूते विषयों पर जिस गंभीर लेखन की आवश्यकता है उसकी पूर्ति पत्रिका के इस अंक से अवश्य होगी, ऐसा हमारा विश्वास है। सभी लेखक अपने–अपने क्षेत्र के अधिकारी विद्वान हैं तथा उन्होंने गंभीर अध्ययन-शोध से जो निष्कर्ष निकाले हैं, वे हमारे पाठकों के लिए निःसंदेह ज्ञानवर्धक होंगे।

'ज्ञान गरिमा सिंधु' इस दिशा में यथासंभव प्रयास कर रही है कि हिंदी भाषा को ज्ञान-विज्ञान लेखन से आधुनिकीकरण की प्रक्रिया से जोड़ा जा सके। देश-विदेश के अद्यतन ज्ञान को, हिंदी के माध्यम से शिक्षा जगत् एवं समस्त देशवासियों तक पहुँचाने का जो बीड़ा हमने उठाया है, उसमें जिन विद्वानों का सहयोग मिल रहा है, हम उनके हृदय से आभारी हैं तथा राष्ट्रहित के इस दायित्व की पूर्ति के लिए आपके अधिक से अधिक सहयोग की आकांक्षा भी करते हैं।

डॉ0 प्रेमनारायण शुक्ल
सहायक निदेशक

वैदिक वाङ्मय में पर्यावरण चेतना और स्वास्थ्य

प्रतिभा गौतम

हर्षवर्धन वशिष्ठ

उद्यन्नदित्यो रश्मिभिः शीर्ष्णो रोग मनीष्णोशः

अर्थात् उदय होता सूर्य अपनी किरणों से सिर के रोग दूर कर देता हैं।

हमें अपनी शक्ति को पूर्ण करने के लिए सदा सूक्ष्म भूतों (आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी) को प्रकृति से प्राप्त करना चाहिए और इन तत्वों के प्रति हमारे मन में आदर का भाव होना चाहिए। प्रकृति और हममें एक ही तत्व होते हुए भी प्रकृति में उनका सूक्ष्म रूप होने से प्रकृति हमसे शक्तिशाली है और यह सिद्धांत है कि शक्ति सदा अपने से शक्तिशाली से ही प्राप्त करनी चाहिए। जैसे ब्रह्माण्ड में ठीक अनुपात में पंच महाभूतों का समन्वय है उसी प्रकार हममें भी स्थापित हो तभी हममें एवं प्रकृति में उसी प्रकार एक समता स्थापित होगी। आकाश, जल, अग्नि, वायु और पृथ्वी में से प्रत्येक रोग हरने की स्थिति में हैं। यही जानकर हमारे प्राचीन मंत्रद्रष्टा ऋषियों ने इनके संरक्षण की बात की है। साथ ही यह बताया कि ये हमारे स्वास्थ्य रक्षण में कितने उपयागी हैं इसीलिए वे पर्यावरण संतुलन की बात करते हैं। इन

सभी को वे देवता की भाँति मानकर इनसे अपने रक्षण की कामना करते हैं । आज इन्हीं से सीख लेकर पर्यावरण संरक्षण किए जाने की आवश्यकता है । वेदों में इन्हीं तत्वों से स्वास्थ्य संरक्षण की जो भावना अभिव्यक्त की गई है, वह निम्नलिखित हैं

• **आकाश** – सूक्ष्म शक्तिशाली एवं नैसर्गिक साधन आकाश ही है, यही हमारे ब्रह्माण्ड का आधार है।

सूर्य नमस्कार और इसके लाभ – सूर्य मानव शरीर का आधार है। उसी से भू (पृथ्वी), भुवः (अंतरिक्ष) और स्वः (द्युलोक) प्रकाशित हैं । उसी के प्रति कृतज्ञता ज्ञापन के लिए जो सूर्य नमस्कार किया जाता है । उससे शरीर के सभी अंगों पर तनाव पड़ता है और उनमें नम्यता आती है । अंगों में क्रमशः संकुचन और प्रसारण क्रिया होती है। इससे पाचन शक्ति बढ़ती है। इससे फेफड़े में जो विषैली वायु जमा पड़ी रहती है, वह निष्कासित हो जाती है और शुद्ध ऑक्सीजन उस विषैली वायु का स्थान ले लेती है। मस्तिष्क में भी ऑक्सीजन का प्रवाह तेज होने से स्मरण शक्ति तेज होती है। सूर्य नमस्कार से ऐच्छिक और अनैच्छिक नाड़ी संस्थान में संतुलन रहता हैं।

• **वायु** – वायु देवता की स्तुति करते हुए कहा गया है –

वायु उक्थोर्भिजरन्ते त्वामच्छा जरितारः।
सुत सोमा अहुर्विदः।।

हे वायु! तेरी ओर अभिमुख होकर शब्दोच्चारण से हम तेरी स्तुति करते हैं और तब स्तुति कर्ता सोमपायी एवं प्रकाशयुक्त होता है।

प्रकृति में वनस्पति की पोषक–वर्धक तथा उसकी गंध सुगंध का पान कर उसकी वितरक वायु ही है, यह भाव निम्नलिखित ऋचा में भी दिया गया है–

अग्रं पिबा मधूनां सुतं वायो दिविष्टिषु।
त्वं हि पूर्वपा असि।

हे वायु! वनस्पति का सोमपान कर पर्यावरण में संतुलन कायम कर। तुम पूर्वपा हो।

वायु स्वास्थ्य का दाता और रोगों का शमनकर्ता है। यह संकेत ऋग्वेद 10/137/2 में भी आया है–

द्वाविमौ वातौ वात आ सिन्धोरापरावतः।
दक्षं ते अन्य आ वातु परान्यो वातु यद्रपः।।

अर्थात दो प्रकार की वायु चलती है –एक अंतरिक्ष और समुद्र से आती है। दूसरी सूखी भूमि से आती है। प्रथम शरीर को पवित्र करती है और दूसरी जो थल के मलादि के कारण जो अशुद्ध होता है उसे शुद्ध करती है। प्रथम रोगों का शमन करती है इसीलिए लोग समुद्र तट पर तथा पहाड़ पर मात्र वायु सेवन द्वारा स्वास्थ लाभ और रोग शमन हेतु जाते हैं और दूसरी वायु शरीर के अंदर रह कर श्वास–प्रश्वास की क्रिया करती है। उससे ही प्राणधारी जीवित रहते हैं।

अथर्ववेद 4/13/3 में भी यही भाव दुहराया गया है –

आ वात वाहि भेषजं वि वात वाहि यद्रपः।
त्वं हि विश्वभेषज देवानां दूत ईयसे।।

हे वायु! स्वास्थ्य को बहाकर ला। जो रपः (रोग) है, उन्हें निकाल दे! तू सर्व रोग नाशक–है तथा देवों का दूत होकर फिरता रहता है।

• **अग्नि** – आध्यात्मिक दृष्टि से अग्नि से ईश्वर अपेक्षित है पर भौतिक अग्नि की क्षमता, तेजस्विता एवं व्यापकता का संकेत ऋग्वेद में अनेक जगहों पर मिलता है–

अग्निः पूर्वेभिर्ऋषिभिरीड्यो नूतनैरूत।
स देवाँ एह वक्षति।।
अग्निना रयिमश्नवत् पोषमेव दिवेदिवे।
यशसं वीरवत्तमम्।।

अर्थात् अग्नि प्राचीन महान ज्ञानी ऋषियों द्वारा और नंवीन साधकों द्वारा श्रुति किए जाने योग्य है। वही संसार में दिव्यगुणों और पदार्थों को प्रकाशित करने वाला है। प्रतिदिन नियम पूर्वक अग्नि के परीक्षण से ऐश्वर्य पुष्टिकारक भौतिक पदार्थों का निश्चयपूर्वक उपभोग करो। यह अग्नि मानव जीवन में यशस्वी शरीरिक बलों की वृद्धि करने वाली है।

भारतीय ऋषियों ने अग्नि की पूजा यज्ञ द्वारा की है जिसका पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से भी बहुत महत्व है। यज्ञ द्वारा न केवल फसल प्रचुर और सुस्वादु होती है। वरन् विश्व का वानस्पतिक अनुपात भी कायम रहता है। वृक्षों के फलने – फूलने से अदृष्य लाभ होते हैं – वर्षा का होना, रेगिस्तान का न फैलना, वातावरण में ऑक्सीजन की प्रचुरता बने रहना आदि। मनुष्यों को इस ज्ञान का संकेत यजुर्वेद के इस मन्त्र में दिया गया है–

ऊर्ज्जं वहन्तीरमृतं घृतं पयः कीलाल परिसुतम्।
स्वधा स्थ तपर्यत मे पितृन्।।

अर्थात् यज्ञ में प्रयुक्त किए गए घृत, दूध व अन्नादि के सूक्ष्म अंश जल के साथ फैलकर इस पृथ्वी पर वायु, जल एवं अन्न के माध्यम से प्राप्त होते हैं। अतः वे बल एवं पराक्रम के वाहक हैं। उनसे हमारी उत्पादक शक्तियाँ पुष्ट होती हैं। यही भावना यजुर्वेद के इस मंत्र में की गई है–

अयक्ष्मं च मे अनामयश्च मे जीवातुश्च मे।
दीर्धायुत्वं च मे यज्ञेन कल्पन्ताम्।।

अर्थात् यज्ञ से हमारा शरीर यक्ष्मादि रोगों से रहित होकर दीर्धजीवी एवं सामर्थ्यवान बने।

• **जल** – वैदिक वाड्मय में मित्र और वरुण शब्द ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के लिए प्रयुक्त हुए हैं। यज्ञ द्वारा जहाँ मेघ न

हो वहाँ भी वर्षा कराना इन्हीं दोनों गैसों के समीकरण की संभावना से ही संभव है।

ऋग्वेद के 10वें मंडल के 30 वें सूक्त की प्रथम 10 ऋचाओं में यह वर्णित है कि जल कैसे बनता है। अथर्ववेद में सूर्य की धूप में जल सेवन को कल्याणकारी औषधि बताया है–

देवस्य सवितुः सवे कर्म कृण्वन्तु मानुषाः।
शं नो भवन्त्वप ओषधीः शिवाः।।

अर्थात् सूर्य देवता की प्रेरणा में रहकर मनुष्य कर्म करे तो जल औषधि बनकर हमारे लिए कल्याणकारी होता है।

यज्ञ से वर्षा होती है इसे मनु ने बताया है –

अग्नौ प्रास्ताहुतिः सम्यगादित्यमुपतिष्ठते।
आदित्याज्जायते वृष्टिर्वृष्टेरन्नं ततः प्रजाः।।

अर्थात् यज्ञाग्नि में डाली गई आहुति सूर्य तक पहुँचती है। फलतः वहाँ के मंडल के क्रियाशील होने से सूर्य द्वारा वर्षा कराई जाती है। वर्षा से अन्न और अन्न से प्रजा की उत्पत्ति होती है। जल के स्रोत के बारे में यजुर्वेद में कहा गया है–

पयः पृथिव्यां पयऽओषधीषु पयो दिव्यन्तरिक्षे पयोधाः।
पयस्वतीः प्रदिशः सन्तु मह्यम्।।

अर्थात् पय पृथिवी पर (नदी, निर्झर, सरोवर, कुआँ) वनस्पतियों में, अंतरिक्ष में (पृथिवी से 10 किमी. की ऊँचाई तक वाष्प के रूप में) द्युलोक (10 किमी. से ऊपर वाले भाग) में मिलता है। इन्हीं तीनों स्रोतों से जल प्राप्त किया जाता है।

• **पृथिवी** – भूमि को माता मानकर अथर्ववेद के पृथिवी सूक्त में कहा गया है–

यत्ते मध्यं पृथिवि यच्च नभ्यं यास्त ऊर्जस्तन्वः संबभूवुः।
तासु नो धेह्यभि नः पवस्व माता भूमिः पुत्रोऽहं पृथिव्याः।
पर्जन्यः पिता स उ नः पिपर्तु।।

अर्थात् हे पृथिवी! जो तेरा मध्य भाग है और जो तेरा केंद्र भाग है तुम्हारे शरीर से जो अन्न आदि बलकारक पदार्थ उत्पन्न होते हैं। उनमें हमें प्रतिष्ठित कर, हमें तेरे प्रति पवित्र भावना वाला बना। हमें ऐसी प्रेरणा दे कि हम समझें कि तू भूमि मेरी जननी होने के कारण माता है और मैं तुझ पृथिवी का दुःख से रक्षा करने वाला पुत्र हूँ, समस्त रसों को देने वाला मेघ हमारा पिता है जो हमें परिपुष्ट करता है।

अग्नि र्भूम्यामोषधीष्वग्निमापो बिभ्रत्यग्निरनश्मसु।
अग्निरन्तः पुरुषेषु गोष्वश्वेष्वग्नयः।।

अर्थात भूमि में अग्नि है और यह पृथिवी ओषधियों में अग्नि को और जल को धारण कर रही है इस भूमि पर पड़े हुए पत्थरों में अग्नि विद्यमान है। पुरूषों के अंदर भी वही अग्नि है और अश्वादि पशुओं में भी वही अग्नि है। उसी भूमि से अन्न आदि की कामना की गई है–

यस्सामापः परिचराः समानीरहोरात्रे अप्रमादं क्षरन्ति।
सा नो भूमिर्भूरिधारा पयो दुआमथो उक्षतु वर्चसा।।

जिस भूमि पर सबको समान सुख देती हुई नदियाँ दिन–रात बिना किसी प्रमाद के बहती रहती हैं वह अनेक नदियों वाली भूमि हमारे लिए जल और अन्न आदि दे और तेज प्रदान करने वाले अन्नों से हमें परिपुष्ट करे।

उपस्थास्ते अनमीवा अयक्ष्मा अस्मभ्यं सन्तु पृथिवि प्रसूताः।
दीर्घं न आयुः प्रतिबुध्यमाना वयं तुभ्यं बलिहृतः स्याम।।

पृथ्वी से रोग आदि दूर करने की प्रार्थना करते हुए कहा गया है कि हे पृथिवी! हमारी सब संतानें तेरी गोद में खेलती हुई रोग रहित, यक्ष्मा आदि महारोग से रहित हों, हम तेरी सहायता से अपनी आयु को लंबी समझते हुए हम तेरे लिए अपना समर्पण

कर देने वाले हों। यहाँ मिट्टी से यक्ष्मा रोग दूर करने की शक्ति का संकेत है।

यह थी प्राचीन तपोवनी ऋषियों की सूक्ष्म दृष्टि। उन्होंने पृथ्वी, वायु, अग्नि, जल और आकाश इन सभी तत्वों को आध्यात्मिक दृष्टि से देवता मानकर उनसे अपने रक्षण की कामना की और उनके संरक्षण के प्रयास भी किए। ऐसा इसलिए किया गया था क्योंकि कोई भी अपने देवता को नुकसान नहीं पहुँचा सकेगा। वे यह भी जानते थे कि इनकी शुद्धता से व्यक्ति रोगमुक्त रहता है। अगर इसी भावना को आज हम अपना लें तो हम पर्यावरण का नुकसान भी नहीं करेंगे और अपने आपको और मानव जाति को भी सुरक्षित रखेंगे।

❑❑❑

संसदीय लोकतंत्र में न्यायपालिका की सक्रियता का प्रभाव

डॉ. राजेश सिंह

हमारे देश में संसदीय लोकतंत्रात्मक व्यवस्था लागू है जिसमें संसद सर्वोच्च होती है इस संसदीय लोकतंत्रात्मक प्रणाली के तीन प्रमुख स्तम्भ हैं – विधायिका या संसद, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका आवश्यकतानुसार कानूनों का निर्माण करके कार्यपालिका उन्हें लागू कराने हेतु व्यवस्था सुनिश्चित करके तथा न्यायपालिका इन्हें लागू करने में बाधकतत्वों पर दंण्डात्मक कार्यवाही करके लोकतान्त्रिक व्यवस्था को भलीभांति क्रियान्वित करने हेतु संविधान के माध्यम से उत्तरदायी बनाए गए हैं । इसी व्यवस्था के अन्तर्गत संविधान प्रदत्त देश के सभी नागरिकों को दिए गए सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय के वायदे को निभाने के लिए देश में एक स्वतंत्र व निष्पक्ष न्यायपालिका की स्थापना की गई है। भारतीय न्याय व्यवस्था के अन्तर्गत न्यायपालिका को पुनर्निरीक्षण का वह अधिकार भी प्रदान किया गया है जिसके प्रयोग से वह संविधान तथा कानूनों

की रक्षा कर सकती है, केन्द्र तथा राज्यों के मध्य शक्ति विभाजन का न्यायोचित होना सुनिश्चित कर सकती है तथा नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा कर सकती है। इसीलिए हमारे यहां न्यायपालिका को कार्य पालिका तथा प्रशासन से अलग व स्वायत्त रखा गया है और न्यायालयों में की जाने वाली कार्यवाही पूर्णतया खुली तथा निष्पक्ष रही है।

हमारी न्यायपालिका के अंतर्गत देशभर में विभिन्न स्तरों तथा आवश्यकताओं के अनुरूप विभिन्न न्यायालयों का गठन किया गया है। यहां स्थापित किए गए विभिन्न न्यायालयों में सर्वोच्च न्यायालय शीर्षस्थ स्थान रखता है और प्रत्येक राज्य अथवा कुछ राज्यों के समूह के लिए एक उच्च न्यायालय के तहत श्रेणीबद्ध अधीनस्थ न्यायालय हैं कुछ राज्यों में पंचायत अदालतें भी गठित की गई हैं जिन्हें न्याय पंचायत, पंचायत अदालत अथवा ग्राम कचहरी आदि कहा जाता है।

भारत में वर्तमान न्यायव्यवस्था 230 वर्ष पुरानी है । 1790 में लॉर्ड कार्नवालिस ने इसकी आधारशिला रखी थी। 1860 में इसमें पुनः सुधार किया गया जिसके अंतर्गत उच्च न्यायालयों की स्थापना की और नये कानून बनाने की शुरूआत हुई। इसी समय विधि आयोग के गठन की प्रक्रिया भी शुरू की गई और उसकी संस्तुतियों के अनुसार कानून बनने लगे।

आज सभी राजनीतिक व्यवस्थाओं में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका को स्थिरता का आवश्यक अंग माना जा सकता है। लास्की ने इसकी उपादेयता को स्पष्ट करते हुए लिखा है "एक राज्य की न्यायपालिका अधिकारियों के ऐसे समूह के रूप में परिभाषित की जा सकती है जिसका कार्य राज्य के किसी कानून

विशेष के उल्लंघन या तोड़ने संबंधी शिकायत का, जो विभिन्न लोगों के बीच या नागरिकों एवं राज्य के बीच एक–दूसरे के विरुद्ध होती है, समाधान एवं फैसला करना है।" इसीलिए लार्ड वाइस ने न्यायपालिका के महत्व को स्पष्ट करते हुए लिखा है–

"किसी शासन की उत्तमता की जाँच करने की सर्वश्रेष्ठ कसौटी इसकी न्याय व्यवस्था की कार्यक्षमता है। हालांकि व्यवस्था के अन्य संसाधनों की भांति न्यायपालिका भी समय–समय पर संगतियों सें अभिशप्त होती रही है, फिर भी चतुर्दिक व्याप्त अवस्था जो अव्यवस्था के चलते उत्पन्न मोहभंग अवस्था में इसने आम आदमी की आस्था को अद्यावधि जीवंत बनाये रखा है। मार्च 2003 में अपने एक ऐतिहासिक निर्णय में उच्चतम न्यायालय ने जनप्रतिनिधित्व कानून (1951) संसद द्वारा लाया गया। नयी धारा 33 (ख) को खारिज कर यह सिद्ध कर दिया कि भारतीय न्यायपालिका सर्वथा पंगु नही हैं और वह आम आदमी की सुरक्षा एवं संरक्षा के लिए कटिबद्ध है। इससे पहले भी भारतीय न्यायपालिकाओं ने अनेक कलयुगी प्रभुओं को कटघरे में खड़ा करके या जेल में भेज कर यह दिखा दिया है कि वह अभी बेचारगी का शिकार नहीं हुई है। गिरते हुए मूल्यों के इस परिवेश में न्यायपालिका के ये कदम उसमें आम आदमी की आस्था को बढ़ाया है।

भारत एक कल्याणकारी राज्य है न कि एक पुलिस राज्य। कल्याणकारी राज्य जनता के जीवन के प्रत्येक पक्ष के प्रति संवेदनशील होता है। यह कल्याण की भावना से प्रेरित होकर ही अपनी नीतियों का निर्माण एवं क्रियान्वयन करता है। वस्तुतः जन कल्याण ही इसका अभीष्ट होता है। कल्याणकारी राज्य में

न्यायपालिका की भूमिका एक अतिसजग प्रहरी की होती है। उसे यह सुनिश्चित करना होता है कि संविधान के कल्याणकारी आदर्श एवं अवधारणाएँ क्रियान्वित हों। फलतः न्यायालय की भूमिका में विस्तार हो जाता है। जन आकांक्षाएँ भी बढ़ जाती हैं। न्यायालय अनावश्यक तकनीकियों तथा परम्पराओं की उपेक्षा करते हुए अपेक्षाकृत अधिक प्रभावी भूमिका के प्रति समर्पित हो जाता है। इस न्यायिक प्रवृत्ति या व्यवहार को प्रायः न्यायिक सक्रियता कहते हैं।

न्यायिक सक्रियता का आधार

कल्याणकारी राज्य में न्यायपालिका की भूमिका एक अति सजग प्रहरी की होती है। उसे यह सुनिश्चित करना होता है कि संविधान के कल्याणकारी आदर्श एवं अवधारणाएँ क्रियान्वित हों। संविधान का निर्वचन तथा न्यायिक दृष्टिकोण में तदनुसार सक्रियता व समायोजन अपरिहार्य हो जाता है। न्यायालय की भूमिका में विस्तार हो जाता है। जन आकांक्षाएँ भी बढ़ जाती है। न्यायालय अनावश्यक तकनीकियों तथा परम्पराओं की उपेक्षा करते हुए अपेक्षाकृत अधिक प्रभावी भूमिका के प्रति समर्पित हो जाता है। इसी परिवर्तित न्यायिक प्रवृत्ति या व्यवहार को ही सामान्यतः सक्रियता की संज्ञा दी जाती है।

न्यायालय की सक्रियता का महत्वपूर्ण सोपान जनहितवाद ही रहा है। संविधान के अनुच्छेद 32 के अधीन जनहित याचिकाएँ आने लगीं। पहली बार 1979 में तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश वाई. बी . चंद्रचूड़ ने जनहित याचिकाओं को मान्यता दी। उसके बाद भारत के मुख्य न्यायाधीश बने पी. एन. भगवती ने जनहित याचिकाओं को एक नयी दिशा प्रदान की। उन्होंने न्यायालय को

2—169 मिनि. ऑफ एच.आर.डी./2015

भेजे गये पत्रों को जनहित याचिका के रूप में स्वीकार करना शुरू कर दिया। इस प्रकार जनहित का एक नया अध्याय शुरू हुआ। उच्चतम न्यायालय ने पिछले वर्षों के दौरान राजनीतिक और सामाजिक महत्व के कई ऐसे निर्णय दिये जिससे न्यायालय के प्रति यह धारणा समाप्त हो गयी कि न्यायालय कानूनी तथा तकनीकी शब्दों की व्याख्या करने के अलावा कोई अन्य कार्य नहीं कर सकता ।

लेकिन भारतीय न्यायपालिका अपनी भरपूर सक्रियता के बावजूद अनेक विसंगतियों से भरी हुई है। इसका मूल कारण यह है कि 1860 के उपरांत न्यायिक प्रक्रिया में परिष्कार, परिवर्तन या परिवर्धन की चेष्टा नहीं की गयी है। इसकी आवश्यकता अनुभव किये जाने के बाद न्यायमूर्ति मलिमथ की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई। समिति ने निरंतर दो वर्ष तक समूची न्याय–प्रक्रिया पर विचार कर सुधार संबंधी जो सुझाव दिये उन्हें यदि ईमानदारी से लागू कर दिया जाय तो भारतीय न्यायपालिका सहज ही आधुनिक, गतिशील, संवेदनशील और व्यावहारिक बन सकती है। इसके अनुसार न्यायपालिका में सुधार हेतु पहली आवश्यकता उसकी गतिविधियों को द्रुतगामी बनाना है। इसके लिए नई अदालतो का गठन, न्यायाधीशों की संख्या में पर्याप्त वृद्धि और मामलों की सुनवाई के लिए कुछ सुनिश्चित मानदण्ड बनाकर तदनुसार कार्यवाही करना अपेक्षित परिणाम दे सकती है। सौभाग्यवश फास्ट ट्रैक अदालतों और लोक अदालतों के गठन का आधार अपेक्षित परिणाम निकलने से इस विसंगति के निराकरण की एक सार्थक राह की खोज हो गयी है। इसके लिए नई अदालतों का गठन आधार बनाकर त्वरित मामलों का निपटारा हो सकेगा।

भारतीय न्याय व्यवस्था की एक विडम्बना यह है कि इसकी कार्यवाही में इतना समय लग जाता है कि सबूतों को मिटा दिया जाता है और गवाहों को अपना बयान बदलने के लिए मजबूर कर दिया जाता है। रही सही कसर अधिवक्ताओं द्वारा पूरी कर दी जाती है जो अपने तर्कों के द्वारा सारे मामले को संदेह के घेरे में लाकर खड़ा कर देते हैं। फलतः अपराधी या तो सजा पाने से रह जाते हैं अथवा बहुत दिनों तक बचे रहते हैं। मलिमथ समिति की राय है कि अदालत को दोंनों पक्षों के वकीलों की जिरह पर ही ध्यान केन्द्रित न कर स्वयं भी ऐसे सवाल पूछने चाहिए जिससे अपराध की तह तक जाने में आसानी हो। साथ ही जाँच करने वाली संस्थाओं को स्वायत्तशासी बनाया जाना चाहिए और पुलिस अधिकारियों के समक्ष दिये गये इकबालिया बयानों को सबूत के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए। गवाहों की सुरक्षा भी की जानी चाहिए।

न्यायिक सक्रियता का अर्थ

न्यायिक सक्रियता की कोई वैधानिक परिभाषा (Statutory definition) उपलब्ध नहीं है। न्यायिक सक्रियता को निम्नतः निरूपित किया जा सकता है–

"यह लोकहित, विधि के शासन एवं संविधान की मूल भावना के संरक्षण का एक असामान्य, अपरम्परागत किन्तु प्रभावी एवं सकारात्मक यन्त्र है"

"यह एक सक्रिय, सजग एवं कर्तव्य–परायण न्यायपालिका द्वारा कल्याणकारी राज्य की अवधारणा के परिप्रेक्ष्य में संवैधानिक दायित्व के निर्वहन का एक व्यावहारिक किन्तु अपरम्परागत ढंग है"

"यह निष्क्रिय, अकर्मण्य–दिग्भ्रमित कार्यपालिका की जनहित के प्रति अवांछित एव न्युनतर संवेदनशीलता के विरुद्ध कठोर न्यायिक दृष्टिकोण का प्रदर्शन है"

"यह विधि के अनुसार न्याय करने हेतु आबद्ध न्यायपालिका द्वारा अपनी परम्परागत विधिक सीमाओं का एक ऐसा अतिलंघन है जो लोकहित के संरक्षण के प्रति निर्दिष्ट होने मात्र के आधार पर ही मान्य एवं औचित्यपूर्ण हो सकता है"

न्यायिक सक्रियता का क्षेत्र

न्यायिक सक्रियता न्यायिक पुनर्विलोकन का ही विस्तारित रूप है। भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री. पी. एन. भगवती ने न्यायिक सक्रियता पर अपना अभिमत व्यक्त करते हुए कहा है कि जिन व्यवस्थाओं में न्यायिक पुनर्विलोकन का अधिकार है उसमें न्यायिक सक्रियता होगी ही। लेकिन अन्तर यह है कि न्यायिक सक्रियता कहीं तकनीकी स्तर की होती है और कहीं सामाजिक सक्रियता के रूप में।

माननीय न्यायमूर्ति के अनुसार परिवर्तन के वर्तमान दौर में न्यायिक सक्रियता का सामाजिक सक्रियता में रूपान्तरित होना स्वाभाविक है। न्यायमूर्ति श्री. वी. आर. कृष्ण अय्यर के अनुसार "न्यायालय का सक्रिय होना यह प्रदर्शित करता है कि कार्यपालिका अपने प्रशासनिक कार्यों का निर्वहन करने में असफल रही है और न्यायालय उसे उन्हें पूरा करने का निर्देश देता है।"

इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि जब कार्यपालिका अपने कर्त्तव्यों को पूरा करने में असफल रहती है और न्यायालय उन कर्त्तव्यों को पूरा करने का निर्देश देता है तब इसे न्यायालय

की सक्रियता कहा जाता है। लेकिन भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्याय मूर्ति श्री. ए. एम. अहमदी तथा उच्चतम न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति कुलदीप सिंह के अनुसार–

"न्यायिक सक्रियता जैसे शब्द को मान्यता नहीं दी जा सकती है और यह भ्रामक शब्द है"। न्यायमूर्ति अहमदी के अनुसार न्यायिक सक्रियता शब्द का सृजन प्रेस द्वारा किया गया है और यह भ्रामक शब्द है। इनके अनुसार न्यायालय किसी विवाद पर निर्णय देने के पूर्व साक्ष्य की माँग करता है और जब न्यायालय सरकार से सम्बन्धित विवाद पर साक्ष्य या विवाद से सम्बन्धित जानकारी की माँग करता है, तब न्यायालय की इस कार्यवाही को न्यायिक सक्रियता का नाम दे दिया जाता है।

न्यायिक सक्रियता का विकास

न्यायिक सक्रियता का विकास अचानक नहीं हुआ है बल्कि इसका विकास होने में कई वर्ष लगे हैं। न्यायालय ने जब अपनी भूमिका से बढ़कर कार्य किया है तब न्यायिक सक्रियता का विकास हुआ है। अनेक राजनेताओं और प्रशासकों द्वारा मनमाने ढंग से की गई कार्यवाही के विरुद्ध न्यायालय में याचिकाएँ दाखिल की गईं, जिन्हें जनहित याचिका के रूप में स्वीकार किया गया। उच्चतम न्यायालय ने पिछले वर्षों के दौरान राजनीतिक और सामाजिक महत्व के कई ऐसे निर्णय दिए जिससे लोगों में न्यायालय के प्रति आस्था बढ़ी। न्यायालयों ने राजनेताओं, नौकरशाहों और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिम्मेदार लोगों के लिए फैसले किए। निम्नलिखित मामलों में दिए गए निर्णयों को न्यायिक सक्रियता की श्रेणी में रखा जाएगा –

* उच्चतम न्यायालय ने समान सिविल संहिता के निर्माण से सम्बन्धित मामले में केन्द्र सरकार को 10 मई 1995 को अपने निर्णय में निर्देश दिया कि वह संविधान के अनुच्छेद 44 का अनुपालन करके देश के सभी नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता का निर्माण करे।

* उच्चतम न्यायालय ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री मनोहर जोशी के चुनाव को वैध करने संबंधी अपने निर्णय में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया कि चुनावों में हिन्दुत्व शब्द का प्रयोग अवैध आचरण नहीं है।

* उच्चतम न्यायालय ने नवम्बर 1995 में कर्नाटक सरकार को निर्देश दिया कि सरकारी सेवाओं में अनुसूचित जाति, अ.ज.जा. तथा अन्य पिछड़े वर्गों को आरक्षण प्रदान करते समय पचास प्रतिशत की अधिकतक सीमा को ध्यान में रखा जाये।

* उच्चतम न्यायालय ने 24 नवम्बर 1995 को अपने एक निर्णय में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश और सरकार के बीच नौकर तथा मालिक का संबन्ध नहीं हो सकता और न्यायाधीश सरकार के अधीनस्थ कर्मचारी नहीं है।

* उच्चतम न्यायालय ने 14 नवम्बर 1995 को दिए गए अपने एक निर्णय में यह अवधारित किया था कि चिकित्सा सेवा भी उपभोक्ता संरक्षण के अधीन है और चिकित्सकों की लापरवाही के कारण हुई क्षति के लिए रोगी क्षतिपूर्ति के हकदार हैं।

* उच्चतम न्यायालय ने अपने निर्णय की अवमानना के लिए कर्नाटक के तत्कालीन मुख्य सचिव जे. वासुदेवन तथा

दूसरे निर्णय में हरियाणा के तत्कालीन वरिष्ठ पुलिस अधिकारी को आपराधिक अवमानना तथा मिथ्या बोलने के लिए एक–एक वर्ष के कारावास का दण्ड दिया।

* हवालाकाण्ड, दूरसंचार घोटाला, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों पर सरकार के एकाधिकार और नौकरशाही के अधिकार को समाप्त करने, विधवा और पुत्री को संयुक्त परिवार की मुखिया की मृत्यु पर सम्पत्ति में अधिकार, बलात्कार के मामले में बंद कमरे में सुनवाई के लिए आदेश, निर्वाचन आयोग की किसी दल की मान्यता समाप्त करने की ताकत को वैध ठहराना, राजनीति के अपराधीकरण पर वोहरा समिति की रिर्पोट को न्यायालय के समक्ष पेश करने का निर्णय दिया गया, जिस कारण न्यायालय की सक्रियता में वृद्धि हुई।

* उच्चतम न्यायालय ने पूर्व पेट्रोलियम मंत्री से मंत्री कोटे से अत्यधिक पेट्रोल पम्प आवंटित करने के सम्बन्ध में पूछताछ की, दिल्ली की गंदगी को दूर करने के लिए न केवल नगर निगम को निर्देश दिये बल्कि गंदगी को दूर करने के तरीकों की सिफारिश भी की और प्रदूषण फैलाने वाली करीब तीन सौ औद्योगिक इकाईयों को बन्द करने का आदेश दिया।

* उच्चतम न्यायालय ने यह धारण किया है कि यदि निजी नियमित निकायों की कार्यवाही से व्यक्ति के मूलाधिकार का उल्लंघन होता है तो न्यायालय ऐसे मामलों में हस्तक्षेप करेगा। यह तर्क स्वीकार नहीं किया जायेगा कि ऐसे निकाय संविधान के अनुच्छेद 12 के अर्थो में राज्य नहीं हैं अतः उनके विरुद्ध कार्यवाही पोषणीय न होगी।

* शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21 के अन्तर्गत मूलाधिकार है। ऊँची कैपिटेशन शुल्क वसूल कर किसी नागरिक को शिक्षा से वंचित नहीं किया जा सकता।

* सर्वोच्च न्यायालय ने यह धारित किया कि अनागरिकों (विदेशियों) को भी जीवन का अधिकार है। राज्य का यह कर्तव्य है कि वह नागरिक या अनागरिक के मध्य विभेद न करते हुए प्रत्येक मानव के जीवन तथा सुरक्षा को संरक्षित करे।

* कर्नाटक उच्च न्यायालय ने यह धारण किया है कि किसी व्यक्ति को उसकी सहमति के बिना या उसकी इच्छा के विरुद्ध रक्तपरीक्षण कराने हेतु विवश करना व्यक्ति के जीवन तथा स्वतंत्रता के अधिकार के प्रतिकूल होगा। ऐसा करने हेतु विवश करना अनुच्छेद 21 का उल्लंघन होगा।

* चेयरमैन रेलवे बोर्ड बनाम चन्द्रिमादास ए. आई. आर. 2000 सुप्रीम कोर्ट 988 में एक बंगलादेशी महिला जिसके विरुद्ध बलात्संग किया गया था, 10 लाख रूपये क्षतिपूर्ति देने का आदेश किया गया। राज्य का यह दावा अस्वीकार कर दिया गया कि पीड़ित विदेशी महिला को क्षतिपूर्ति देने हेतु राज्य बाध्य नहीं था। यह भी तर्क दिया गया कि वह सिविल न्यायालय में वाद प्रस्तुत करके क्षतिपूर्ति वसूल कर सकती थी। इन सभी तर्कों को अस्वीकार करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने प्रकरण की परिस्थितियों में पीड़ित महिला को क्षतिपूर्ति दिये जाने के आदेश को वैध घोषित किया।

न्यायिक सक्रियता का प्रभाव

न्यायालय ने जनहित से जुड़े मामलों में जिस सक्रियता से कार्यवाही की है, उससे न्यायालय की इस सक्रियता के औचित्य पर विवाद छिड़ा हुआ है। न्यायिक सक्रियता के पक्षधर लोगों का कहना है कि न्यायालय ने अपनी भूमिका का सही निर्वहन करना प्रारंभ कर दिया है जबकि विरोधियों का मत है कि न्यायालय, न्यायपालिका, कार्यपालिका तथा विधायिका के कार्यो में हस्तक्षेप कर रहा है।

न्यायिक सक्रियता के प्रभाव के कारण कार्यपालिका तथा विधायिका के लिए मनमानी करने का अवसर खत्म होता जा रहा है। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि कार्यपालिका या विधायिका का कोई भी कार्य न्यायपालिका के अधिकार क्षेत्र के बाहर नहीं है। विधायिका तथा कार्यपालिका पर न्यायपालिका का पूरा नियंत्रण होने के प्रभाव के कारण ये अपने दायित्व का प्रायः सही ढंग से निर्वहन कर रही हैं। संविधान में न्यायपालिका का गठन इसलिए किया गया कि कार्यपालिका या विधायिका अधिकारातीत या अक्षम होने का परिचय दे तो न्यायालय उन्हें नियंत्रित करे और अपने प्रभाव से उनकी अक्षमता को दूर करने का प्रयास करे। न्यायालय की सक्रियता के प्रभाव से अनेक भ्रष्टाचार घोटाले तथा काण्ड प्रकाश में आये हैं जिनके कारण सामान्य जन में न्यायालय के प्रति विश्वास में वृद्धि हुई है और यह देश के लिए ही नहीं बल्कि लोकतंत्र के लिए शुभ संकेत है। न्यायालय की सक्रियता का प्रभाव कई क्षेत्रों में स्पष्ट दिखाई दे रहा है–

[i] न्यायालय की सक्रियता का प्रभाव शिक्षा तथा तकनीकी शिक्षा संस्थाओं में स्पष्ट दिखाई दे रहा है। क्योंकि उनके अन्दर यह स्पष्ट रूप से डर घर कर गया है कि यदि कोई संस्था यदि अपने कर्तव्यों का, नियमों का पालन नहीं करती या कोई ऐसा कार्य करती है जो लोकतंत्र के खिलाफ हो, उनकी मान्यता खत्म कर दी जायेगी, ऐसा डर न्यायालय की सक्रियता का ही प्रभाव है।

[ii] भ्रष्टाचारियों तथा कानून का सक्रियता से उल्लंघन करने वालों को कटघरे में खड़ा कर दिया है।

[iii] न्यायालय की सक्रियता के प्रभाव से अनुसूचित जाति, जनजाति पर तथा पिछड़े वर्गों पर उच्च वर्गों द्वारा किये जाने वाले अत्याचार कम हुए हैं।

[iv] न्यायालय की सक्रियता के प्रभाव के कारण बाल श्रमिकों पर रोक, शादी के लिए निर्धारित उम्र से कम उम्र में शादी को कानूनी तौर पर अपराध की श्रेणी में लाना, न्यायालय की सक्रियता का प्रभाव है जिस कारण कम उम्र (बाल विवाह) में शादी की प्रथा कम हो गयी है।

[v] न्यायालय की सक्रियता से कई भ्रष्टाचार, घोटाले उजागर हुए और नामी व्यक्तियों को जेल के अन्दर पहुँचा दिया जिससे अब राजनैतिक, या महाजन या कोई भी धनी व्यक्ति कानून को अपने हाथों में लेने की हिम्मत कम करता है।

[vi] न्यायिक सक्रियता के प्रभाव के कारण समाज में जाति–पात, ऊँच–नीच, अमीरी–गरीबी के बीच खाई पाटने में मदद मिली है।

अन्त में मैं यही कहना चाहता हूँ कि न्यायिक सक्रियता के प्रभाव हर क्षेत्र में स्पष्ट नजर आने लगे हैं। अगर हमारी न्यायपालिका की सक्रियता जारी रहेगी तो कार्यपालिका, विधायिका अपने कर्तव्य तथा दायित्वों का निर्वहन ईमानदारी से करेगी और हमारा देश प्रगतिशील पथ पर अग्रसर होकर विकसित राष्ट्रों के बराबर आ खड़ा होगा। क्योंकि किसी भी देश के विकास का मार्ग तभी प्रगतिपथ पर चलेगा जिसका न्यायिक प्रशासन का प्रभाव उच्चवर्ग के कर्मचारियों से लेकर आम आदमी पर भी बराबर पड़े।

❑❑❑

आधुनिक संचार माध्यम और नागरी लिपि

आशीष जायसवाल

' आज विज्ञान के इस युग में कंप्यूटर के आगमन से विश्व में नया क्रांतिकारी परिवर्तन आया है। प्रायः प्रत्येक क्षेत्र में कंप्यूटर का पर्याप्त प्रयोग प्रगतिशील राष्ट्रों द्वारा किया जा रहा है। भाषा के क्षेत्र में भी कंप्यूटर का सहयोग अत्यंत महत्वपूर्ण साबित हुआ है। कंप्यूटर पर किये गए वर्तमान शोधों से यह साबित हुआ है कि संस्कृत और हिंदी भाषा जो नागरी लिपि में लिखी जाती है, वह कंप्यूटर प्रणाली पर पूर्णतः वैज्ञानिक और समुचित है।

देवनागरी लिपि को कंप्यूटर पर स्थापित करने के लिए सन् 1965 से ही प्रयास शुरू हो गए थे। वैज्ञानिकों के अथक प्रयासों के बाद 1971–72 में एक बहुत सरल कुंजीपटल और प्रणाली तैयार करने में सफलता प्राप्त हुई। सभी भारतीय भाषाओं में प्रयुक्त हो सकने वाला पहला 'प्रोटो टाईप टर्मिनल' वर्ष 1978 में तैयार किया गया। इस टर्मिनल पर शोध प्रबंध "कंप्यूटर पर

आधारित सूचना प्रणालियों के भाषाई प्रभाव का पठन इलैक्ट्रॉनिक आयोग द्वारा संगोष्ठी में किया गया। कंप्यूटर पर नागरी लिपि में कार्य सुचारू रूप से लागू करने के लिए सरकारी तथा निजी कंपनियां कार्यरत हैं।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में तेजी से हो रहे विकास के परिप्रेक्ष्य में, यह भी जरूरी हो जाता है कि राजभाषा हिंदी इस दिन-प्रतिदिन होने वाले परिवर्तनों के साथ कदम से कदम मिलाकर चले। कुछ लोगों का कहना है कि देवनागरी लिपि टंकण की दृष्टि से सुविधाजनक नहीं, अतः इसमें सुधार करने की आवश्यकता है। लेकिन टंकण के लिए लिपि में सुधार करने के बजाय टंकण मशीनों में सुधार करने की आवश्यकता पर बल देने की जरूरत है। जब चीनी तथा जापानी लिपियों के लिए तीन सौ संकेतों वाली टंकण मशीनें बनाई जा चुकी हैं तब देवनागरी लिपि की ऐसी टंकण मशीन क्यों नहीं बन सकती जिसमें और अधिक वर्णों का प्रावधान हो।

राजभाषा विभाग द्वारा समय-समय पर यह निर्देश जारी किए गए हैं कि भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों में जो यांत्रिक उपकरण उपलब्ध हैं उनमें रोमन के साथ-साथ देवनागरी लिपि की सुविधा भी अवश्य होनी चाहिए। परिणामतः विभिन्न मंत्रालयों/ विभागों में उपलब्ध अधिकांश यांत्रिक उपकरणों में रोमन के साथ-साथ देवनागरी लिपि की सुविधा भी उपलब्ध है।

नागरी लिपि का प्रयोग आज कंप्यूटर, रेडियो, पेजर, इंटरनेट आदि आधुनिक इलैक्ट्रॉनिक माध्यम द्वारा शुरू हो गया है तथा इंटरनेट के विश्वव्यापी प्रसार के कारण नागरी लिपि में मुद्रित

साहित्य विश्व के कोने–कोने तक पहुँच रहा है। स्व. विनोबा भावे ने नागरी लिपि प्रचार के लिए सार्थक आंदोलन चलाया। उनके इस आंदोलन को आधुनिक विश्व में इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों द्वारा सफल बनाया जा सकता है।

आज हम जबकि इलेक्ट्रॉनिक व संचार माध्यमों के दौर से गुजर रहे हैं तो हमारे भाषाई प्रांत भाषाई संकीर्णता के कारण एक दूसरे के भावनात्मक संपर्क से दूर–दूर हो रहे हैं। भाषाई संकीर्णता एक प्रकार का पिछड़ापन है। विकास और पिछड़ेपन को जोड़ने वाली कड़ी है एक सह–भाषा और सह–लिपि और इसमें संदेह नहीं कि भारतीय संस्कृति के आदान-प्रदान में भाषाओं और लिपियों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। नागरी की उपादेयता पर विद्वानों, समाज सेवकों, राजनेताओं और भाषा-विदों द्वारा अनेक बार विचार किया गया है। विनोबा जी द्वारा सुझाए गए मार्ग का देश की स्वतंत्रता और एकता के लिए उदार रूप से अनुकरण करना चाहिए। आधुनिक काल के सभी लिपि विशेषज्ञ एवं भाषा विशारद विद्वान इस निर्णय पर पहुँच गए हैं कि देवनागरी ही हमारी स्वदेशी लिपियों में एकमात्र ऐसी लिपि है, जिसे सारे देश के निवासी कम प्रयत्न से सीख सकते हैं। नागरी के स्वर और व्यंजन प्रायः संपूर्ण हैं और भारत की सभी दिशाओं में प्रचलित अन्य लिपियों ने भी नागरी अक्षरों के स्वर व्यंजन क्रम को अपनाया है। संस्कृत भाषा की लिपि होने के कारण नागरी लिपि को व्यावहारिक रूप से अधिक व्यापकता प्राप्त हो गई है।

आज कल देवनागरी का प्रयोग दिनों–दिन कम करके रोमन लिपि को स्थापित करने का षड्यंत्र इतना गहराता जा रहा है कि छोटे-छोटे कस्बों और गाँवों तक में अंग्रेजी माध्यम वाले स्कूल

खुलते जा रहे हैं। देवनागरी का ज्ञान रखने वाले हिन्दी भाषी लोग भी अपने परिचय-पत्रों, निमंत्रण-पत्रों आदि में रोमन लिपि के प्रयोग को ही अधिक महत्व दे रहे हैं। आश्चर्य का विषय यह है कि हिन्दी भाषा के नाम आदि भी रोमन लिपि में ही लिखे मिलते हैं। नगरों, महानगरों में तो दुकानों, दफ्तरों और मार्गों पर लगे विज्ञापनों तक के नाम-पट्ट रोमन लिपि में दिखाई देते हैं। लोग हिंदी जानते हुए भी अंग्रेजी भाषा के प्रयोग में गर्व का अनुभव करते हैं। क्या इसे उचित कहा जा सकता है?

रोमन लिपि के बढ़ते प्रयोग के पक्ष में प्रायः एक तर्क यह दिया जाता है कि उसमें अक्षर संख्या कम है तथा शब्द सरलता और शीघ्रता से लिखे जाते हैं जो एक हास्यास्पद तर्क है। देवनागरी लिपि के अक्षरों या ध्वनियों की संख्या अधिक है, किन्तु ध्यान देने की बात यह है कि सभी अक्षर एक ही रूपमाला में लिखे जाते हैं जबकि रोमन लिपि में अक्षर कम अवश्य हैं किन्तु वे चार प्रकार के हैं। छपाई के बड़े व छोटे अक्षर तथा लिखने के बड़े छोटे अक्षर, जिससे कुल अक्षर रूप देवनागरी के अक्षरों से अधिक ही बैठते हैं। अतः रोमन लिपि की वर्णमाला देवनागरी की वर्णमाला की तुलना में अधिक कष्टसाध्य है। रोमन लिपि का गुणगान करने वालों को यह समझ लेना चाहिए कि देवनागरी के सामने रोमन लिपि किसी भी दृष्टि से टिक नहीं सकती। देवनागरी की वर्णमाला उच्चारण के वैज्ञानिक आधार पर चलती है और मात्राओं का भी ध्वनिक्रम नियमापेक्षी है, जब कि रोमन लिपि की वर्णमाला के उच्चारण की वैज्ञानिकता एवं मात्रादि के क्रमादि का कोई विशेष नियम नहीं है। अतः जहाँ देवनागरी पढ़ने लिखने में अत्यंत सरल लिपि है, वहीं रोमन ऐसी लिपि है जिसे सही

उच्चारित नहीं किया जा सकता। आचार्य विनोबा भावे ने एक बार कहा था कि "मैंने भारत की बहुत सी भाषाएँ सीखी हैं। अंग्रेजी भी जानता हूँ परंतु केवल अंग्रेजी भाषा सीखने में जितना श्रम करना पड़ता है उतने श्रम में भारत की सब भाषाएँ सीखी जा सकती हैं, ऐसा मेरा अनुभव है"।

रोमन लिपि में ह्रस्व और दीर्घ स्वर का भेद नहीं होता जिसके कारण उच्चारण में शुद्धता की कठिनाई होती है जैसे– तल (तला) = तल, तला ताल, ताला आदि का भ्रम होता है।

नागरी लिपि में उच्चारण और लेखन में तादात्म्य एवं समानता है, जबकि रोमन में यह गुण नहीं हैं। रोमन लिपि में लिखा कमला को कमल, कामल, कमाल, कामला, कमाला, कमाल कामाला आदि रूपों में पढ़ा जा सकता है।

दिन प्रतिदिन के व्यवहार में अनेक ऐसे उदाहरण मिलते हैं जिनसे देवनागरी लिपि की उपयोगिता रोमन लिपि की अपेक्षा अधिक वैज्ञानिक स्वयंसिद्ध होती है। रोमन लिपि में ड़ व ड के लिए "डी" अक्षर ही प्रयोग होता है जैसे दिल्ली से लगभग 35 किमी. दूर एक गाँव का नाम "बड़खालसा" रोमन लिपि में" बैडखालसा" भी पढ़ा जाएगा। रोमन लिपि में लिखा "कला मंदिर" को कोई "काला मंदिर" पढ़े तो यह कोई विचित्र बात न होगी। रोमन लिपि में "त" तथा "ट" इन दोनों के लिए एक ही अक्षर होने के कारण पंजाब में स्थित "तरनतारन" नगर को रोमन लिपि में लिखने पर विदेश का व्यक्ति आसानी से यह नहीं पढ़ सकता कि यह नगर टारनतड़न है या टारान टरान अथवा टारन टारन। ऊपर के उदाहरणों से स्पष्ट हो जाता है कि भारतीय भाषाओं के लिए रोमन को अपनाना व्यर्थ है।

हमें अपनी लिपि देवनागरी का प्रयोग करने में गर्व का अनुभव होना चाहिए। देवनागरी लिपि में भी भारत की भाषाएँ लिखी जाने लगें तो उत्तर में रहने वाला दक्षिण में जाने पर देव नागरी के ज्ञान के कारण कम से कम नाम आदि तो पढ़ ही सकेगा। सड़कों, स्टेशनों, बसों और ऐसे ही आम स्थानों के नाम किसी भी भाषा के हों, अगर उन्हें देवनागरी में भी लिखा जाने लगे तो किसी भी भारतीय को कोई कठिनाई नहीं होगी। नागरी लिपि केवल हिंदी की ही लिपि नहीं अपितु अन्य भारतीय भाषाओं में से कुछ अन्य भाषाएँ भी देवनागरी लिपि में लिखी जाती हैं। नागरी लिपि को भारतीय भाषाओं के समन्वय के काम में लाने की सलाह कई नेताओं ने दी जिनमें से कई तो अहिंदी भाषी क्षेत्रों के भी हैं।

आज भारत ही नहीं विदेशी विद्वानों ने भी इसकी मुक्त कंठ से प्रशंसा की है। आधुनिक युग में आशुलिपि के आविष्कारक आइज़क पिटमैन ने देवनागरी के संबंध में कहा है कि – "संसार की कोई लिपि यदि सर्वाधिक पूर्ण है तो वह एक मात्र देवनागरी लिपि है"।

डॉक्टर आइज़ैक टेलर ने नागरी के समान सुंदर, सबल, और सटीक वर्णमाला किसी अन्य लिपि की नहीं देखी। उनके अनुसार वैज्ञानिकता तो इसमें कूट–कूट कर भरी है और भूल तो कभी इसमें हो ही नहीं सकती।

आचार्य विनोबा भावे ने स्पष्ट शब्दों में कहा था कि "देवनागरी को सारे भारत में चलाने का पहला उद्देश्य है कि इससे दक्षिण भारत के सभी प्रदेश एक हों, दूसरा उद्देश्य सारा उत्तरी भारत एक हो, तीसरा दक्षिण और उत्तर भारत एक हो, चौथा भारत और

एशिया एक हो जाए और पाँचवा भारत और विश्व एक हो जाए और उसमें विश्व नागरी और विश्व रोमन दोनों चलें।"

विनोबा भावे की इच्छा थी कि देवनागरी लिपि की ध्वन्यानुसारी लेखन की विशेषता को देखते हुए इसे विश्वनागरी के रूप में स्वीकार किया जा सकता है और भारत इस दिशा में पहल कर सकता है। नेपाल में भी देवनागरी राजलिपि के रूप में पहले ही मान्य है। इसके अतिरिक्त जिन-जिन देशों में अप्रवासी भारतीय और भारतीय मूल के लोग रह रहे हैं उनमें भी देवनागरी लिपि हिंदी के साथ-साथ प्रचलन में है। विश्व में चीनी भाषा के बाद हिंदी भाषियों का दूसरा स्थान है और हिंदी भाषा-भाषी लोगों की संख्या विश्व में काफी अधिक है। इससे विश्वलिपि के रूप में देवनागरी के प्रयोग की संभावनाएँ उभर कर सामने आती हैं। आवश्यकता इसके प्रयोग और चलन को बढ़ाने और प्रश्रय देने की है।

आज आवश्यकता इस बात की है कि हम कथनी और करनी का भेद किए बिना पूरी ईमानदारी, श्रद्धा और इच्छापूर्वक देवनागरी लिपि को अपनाएँ और अपनी राष्ट्रभाषा भी बिना किसी भेदभाव के सीखने की कोशिश करें। विशेषकर अहिन्दी भाषी अपनी क्षेत्रीय भाषा को देवनागरी में भी लिखें तथा हिन्दी को अंग्रेजी भाषा से अधिक महत्व दें। हिन्दी भारत वर्ष की राष्ट्रभाषा है। संकुचित क्षेत्रीयता और स्थानीय भाषाओं की भक्ति के कारण इसमें अवरोध उपस्थित नहीं किया जाना चाहिए। दक्षिण और अन्य अहिंदी भाषी राज्य अपनी क्षेत्रीय भाषा के साथ अंग्रेजी को तो अपना सकते हैं लेकिन हिंदी को नहीं क्योंकि उन्हें हिंदी सीखने में भी परिश्रम करना पड़ता है और अंग्रेजी सीखने में भी । अंग्रेजी

सीखने पर उनके लिए रोजगार के अवसर अधिक खुल जाते हैं इसलिए वे अंग्रेजी को अधिक महत्व देंगे ही। यदि नौकरियों में अंग्रेजी की अनिवार्यता समाप्त कर दी जाय तो लोगों का अंग्रेजी के प्रति मोह कम हो सकता है। विकल्प के तौर पर हिन्दी जानने वालों के लिए तो कम से कम अंग्रेजी की अनिवार्यता नहीं होनी चाहिए।

हिन्दी भाषी क्षेत्रों में जहाँ प्राथमिक तथा माध्यमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम हिंदी ही है वहीं उच्च शिक्षा तथा शोध के स्तर पर अभी देवनागरी हिंदी का प्रयोग अपेक्षित है। भारत के अनेक विश्वविद्यालयों में उच्च शिक्षा तथा शोध शिक्षा के क्षेत्र में रोमन लिपिबद्ध अंग्रेजी का प्रयोग होता है। चिकित्सा, अभियांत्रिकी विधि, न्याय, प्रौद्योगिकी तथा अंतरिक्षविज्ञान आदि क्षेत्रों में अभी देवनागरी का प्रयोग न के बराबर हो रहा है। जब हिंदी इन सभी प्रयोजनों को पूरा करने में सक्षम है, तो इन क्षेत्रों में देवनागरी का प्रयोग क्यों नहीं किया जाता ?

हिंदी के बारे में आचार्य विनोबा भावे ने कहा था कि मैं दुनिया की सब भाषाओं की इज्जत करता हूँ, परंतु मेरे देश में हिंदी की इज्जत न हो वह मैं सह नहीं सकता।

देवनागरी लिपि को अपनाने का मतलब अन्य भारतीय भाषाओं की उपेक्षा करना नहीं है, बल्कि उपयोगिता को दृष्टि में रखते हुए एक सामान्य भारतीय लिपि के रूप में उनकी स्वीकृति मात्र है। इसमें सभी देशवासियों को लाभ होगा, और राष्ट्रीय भावात्मक एकता सुलभ हो जाएगी। तात्पर्य यह है कि लिपि की वैज्ञानिकता, संपूर्णता, कलात्मकता, राष्ट्रीयता की दृष्टि से नागरी लिपि को एक राष्ट्रीय लिपि के रूप में स्वीकार कर लेना चाहिए।

प्राचीन काल से ही समस्त भारत को जोड़ने वाली लिपि देवनागरी लिपि रही है। प्राचीन संस्कृत की लिपि होने के नाते देवनागरी इस देश की विशाल सांस्कृतिक परंपरा को स्वीकार करती दिखाई पड़ती है। पाली, प्राकृत और अपभ्रंश भाषाओं ने भी देवनागरी को अपनाया था और साहित्यिक रचनाओं को लिपिबद्ध कर दिया था। भारत की सबसे प्राचीन भाषा संस्कृत से लेकर हिंदी, मराठी, कोंकणी, डोगरी, नेपाली तथा सिक्किमी भाषाएं भी आज देवनागरी में लिखी जाती हैं। बंगला, गुजराती, उड़िया, असमी आदि भाषाओं ने थोड़े समय से परिवर्तन के साथ नागरी को स्वीकार कर लिया है। इस प्रकार भारत की सर्वप्रमुख भाषा लिपि के रूप में देवनागरी का स्थान सर्वोपरि है।

हमारे लेखकों, कवियों और विद्वानों ने भी देवनागरी लिपि के लिए उसकी सफलता एवं प्रयोग बढ़ाने हेतु काफी प्रयास किए हैं तथा अनेक भारतीय विभूतियों ने भी समय–समय पर इसके विकास में अपूर्व सहयोग दिया है। स्व. मैथिली शरण गुप्त ने लिखा है कि:–

है एक लिपि विस्तार होना योग्य हिन्दुस्तान में,
अब आ गई है यह सभी विद्वज्जनों के ध्यान में।
है किंतु इसके योग्य उत्तम कौन लिपि गुण आगरी ?
इस प्रश्न का उत्तर यथोचित है उजागर "नागरी"।
जैसा लिखो वैसा पढ़ो कुछ भूल हो सकती नहीं।
है अर्थ का न अनर्थ इसमें एक बार हुआ कहीं।
इस भाँति होकर शुद्ध एक अति सरल और सुबोध है?
क्या उचित फिर इसका कभी अवरोध और विरोध है ?

नागरी लिपि जितनी प्राचीन भारतीय भाषाओं के लिए प्रासंगिक थी, उतनी आधुनिक भारतीय भाषाओं के लिए भी प्रासंगिक है, यह तथ्य निर्विवाद है। सभी राज्यों में इसके समुचित उपयोग और विकास के लिए पहल जरूरी है। सभी भारतवासी अंग्रेजी–लिपि का अनावश्यक मोह छोड़ कर रोजमर्रा के कार्य और व्यवहार में अपनी क्षेत्रीय लिपि के साथ-साथ देवनागरी लिपि के प्रयोग करने की आदत अभी से डालनी शुरू कर दें तो यह भारत की राष्ट्रीय एकता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण प्रेरणा स्रोत बनेगा और इससे सभी भारतवासियों को लाभ पहुँचेगा।

भारत की प्रायः सभी लिपियों ने भारत की अमूल्य सांस्कृतिक धरोहर को जीवित रखा, किंतु अंग्रेजी और रोमन लिपि आने के कारण भाषाई दृष्टि से इसमें कुछ कमियाँ आ गई हैं। जिन शब्दों का उच्चारण हमारे प्राचीन वाङ्मय में एक जैसा मिलता है, वह अंग्रेजी और रोमन लिपि के कारण विकृत हो गया है। उच्चारण में इस दोष का कारण रोमन लिपि ही है क्योंकि इस विदेशी लिपि में भारतीय भाषाओं के शब्दों को ठीक ढंग से उच्चारित करने की क्षमता नहीं है। आज देश के विभिन्न नगरों, कस्बो और गाँवों के नामों के साथ-साथ राज्यों तक के नाम गलत ढंग से लिखे और पढ़े जा रहे हैं। अतः हमें रोमन लिपि के प्रयोग को नकारना होगा। ऐतिहासिक परंपरा और भावात्मक स्तर पर रोमन लिपि का प्रयोग ठीक नहीं, इसलिए राज्यों में क्षेत्रीय भाषाओं के लिए देवनागरी का प्रयोग बढ़ाना चाहिए।

मानवीय दृष्टि से यदि लिपिगत भेद की दीवार को विश्व के भेदकारक तत्वों में से हटा दिया जाए तो भाषाई समन्वय की साधना संभव है। इस दिशा में नागरी की बहुआयामी भूमिका

निश्चय ही अद्वितीय सिद्ध हो सकती है। भाषा, मानव के समन्वय का सशक्त माध्यम है तो उसकी लिपि (लिखित रूप) देश–काल के बंधन को तोड़ने की दृष्टि से और अधिक समन्वयकारी सिद्ध हो सकती है। अपनी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, सांस्कृतिक धरोहर, वैज्ञानिकता, और सरलता के कारण देवनागरी लिपि द्वारा यह कार्य सहज ही संभव है।

आज हमारे देश में नागरी लिपि में हिन्दी ही नहीं अपितु अन्य प्रादेशिक भाषा का मौलिक साहित्य काफी मात्रा में पढ़ने के लिए उपलब्ध है। इसका प्रसार बढ़ता ही जा रहा है। इसे और भी अधिक से अधिक प्रोत्साहन देने की आवश्यकता है। यह सर्वविदित है कि देवनागरी लिपि सभी भारतीय भाषाओं के बीच संपर्क लिपि के रूप में भाषाओं को निकट लाने की क्षमता रखती है। इस लिपि का अधिक से अधिक प्रयोग एवं प्रचार–प्रसार करना राष्ट्रीय हितों के लिए अत्यंत लाभकारी होगा।

❑❑❑

शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में उपलब्धि अभिप्रेरणा

प्रो. आर. पी. पाठक एवं
राजेंद्र कुमार गुप्त

शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक अपनी आंतरिक शक्तियों को बाहर की ओर प्रकट करता है। शिक्षण एक सामाजिक प्रक्रिया है। शिक्षण की प्रक्रिया शिक्षण अधिगम के द्वारा पूरी होती है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है, जिसमें एक व्यक्ति को ज्ञान, कौशल तथा अभिरुचियों को सीखने में सहायता करता है। अर्थात् शिक्षण एक प्रकार का पारस्परिक प्रभाव है जिसका उद्देश्य दूसरे व्यक्तियों के व्यवहारों में अपेक्षित परिवर्तन लाना है। अधिगम वह प्रकिया है जिसके द्वारा प्राणी किसी परिस्थिति में प्रतिक्रिया के कारण नए प्रकार के व्यवहार को ग्रहण करता है जो किसी सीमा तक प्राणी के सामान्य व्यवहार को प्रभावित करता है। अतः अधिगम अनुभव के परिणाम स्वरूप प्राणी के व्यवहार में परिमार्जन है जो प्राणी द्वारा कुछ समय के लिए धारण किया जाता है। इस प्रकार से अधिगम अनुभव और प्रशिक्षण के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन है।

अतः शिक्षक जो शिक्षण प्रक्रिया अपनाते हैं और छात्र उसके प्रति जो अनुक्रिया करते हैं उससे शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया पूर्ण होती है। किसी निश्चित समयावधि में किसी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के द्वारा एक या अनेक विषयों में छात्रों के ज्ञान व समझ में हुए परिवर्तन को उपलब्धि कहते हैं।

अभिप्रेरणा एक परिकल्पनात्मक प्रक्रिया है जो प्राणी व्यवहार के निर्धारण व संचालन से संबंध रखती है। व्यवहार को अनुप्रेरित अथवा सक्रिय बनाये रखने वाले कारकों को अभिप्रेरणात्मक कारक कहा जाता है। अभिप्रेरणा शब्द प्राणी की सभी प्रकार की अभिप्रेरणात्मक क्रियाओं को इंगित करता है।

किसी क्षेत्र या विषय में उपलब्धि प्राप्त करने में जो प्रेरणा कार्य करती है, वह उपलब्धि अभिप्रेरणा है अर्थात् सफलता प्राप्त करने तथा उपयोगी वस्तु प्राप्त करने की शक्ति प्रत्येक व्यक्ति में पाई जाती है। इसी इच्छा शक्ति को उपलब्धि अभिप्रेरणा की संज्ञा दी जाती है।

उपलब्धि अभिप्रेरणा एक प्रमुख सामाजिक अभिप्रेरणा है। यह जन्मजात न होकर व्यक्ति द्वारा अर्जित या सीखी गई होती है। जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में इसका विभिन्न प्रभाव दिखाई पड़ता है। छात्र जीवन में तो इसका प्रभाव शैक्षिक उपलब्धि के रूप में प्रत्यक्षतः दृष्टिगोचर होने लगता है। मनोवैज्ञानिकों के विचार से सामान्यतः उपलब्धि अभिप्रेरणा जीवन के किसी भी क्षेत्र में उच्चतम स्तर प्राप्त करने के लिए सक्रिय करती है। प्रेरणा सीखने का महत्वपूर्ण अंग है। प्रेरणाहीन क्रिया को सीखने में व्यक्ति रुचि नहीं लेता है। जेम्स ने उपलब्धि अभिप्रेरणा का उल्लेख युयुत्सा और महत्वाकांक्षा से पूर्ण आवेग के रूप में किया

है – " सफलता प्राप्त करने अथवा अपेक्षित लक्ष्य प्राप्त करने की प्रवृत्ति कों उपलब्धि अभिप्रेरणा कहते हैं।"

प्रत्येक व्यक्ति उपलब्धि प्राप्त करने की भावना से प्रेरित होता है तथा कुछ प्राप्त करने की इच्छा रखता है। शैक्षिक उपलब्धि प्राप्त करने में किसी भी प्रकार की प्रेरणा का महत्वपूर्ण स्थान है। जब तक बालक को सीखने के लिए प्रेरित नहीं किया जाता है तब तक उसे कुछ भी नहीं सिखाया जा सकता। वास्तव में यह क्यों के प्रश्न का उत्तर देती है– जैसे व्यक्ति उच्च पद क्यों पाना चाहता है? बालक वस्तुओं का संग्रह क्यों करना चाहता है? जैसे प्रश्नों के उत्तर उपलब्धि अभिप्रेरणा से संबंधित हैं।

उपलब्धि अभिप्रेरणा का आधारभूत लक्ष्य उपलब्धि होता है। जब व्यक्ति उपलब्धि के लिए कोई कार्य करता है तो उसे उपलब्धि अभिप्रेरणा द्वारा प्रेरित माना जाता है। हम जानते हैं कि अभिप्रेरकों को विभिन्न वर्गों में बाँटा जा सकता है। जब कोई व्यक्ति विपरीत लिंग के साथ संबंध रखने का प्रयास करता है तो कहा जा सकता है कि उसका अभिप्रेरक काम (sex)है। यदि कोई विद्यार्थी कक्षा का मॉनीटर बनना चाहता है या फुटबॉल की टीम का कप्तान बनना चाहता है तो इसका अर्थ है कि शक्ति प्राप्त करना ही उसका अभिप्रेरक है। इसी प्रकार स्कूल में अपने कार्य को सुधारने की इच्छा या अच्छा ग्रेड प्राप्त करने की इच्छा, इंजीनियर बनने की इच्छा आदि उपलब्धि अभिप्रेरकों के अंतर्गत आती है।

उपलब्धि अभिप्रेरक से तात्पर्य एक अभिप्रेरक से होता है जिससे प्रेरित होकर व्यक्ति अपने कार्य इस प्रकार संपन्न करता है कि उसे अधिक से अधिक सफलता मिल सके।

अध्ययन की आवश्यकता एवं महत्व

उपलब्धि अभिप्रेरणा का मुख्य अभिप्रेरक है। इसका प्रभाव छात्रों के ऊपर तेजी से पड़ता है। यह एक सामान्य सत्य है कि छात्रों की उपलब्धि पर सफलता एवं असफलता की प्रत्याशा का प्रभाव पड़ता है। मनोवैज्ञानिक प्रयोगों से जो परिणाम प्राप्त होते हैं उनके अनुसार उपलब्धि अभिप्रेरणा व्यक्ति को अपने जीवन में उच्चतम स्तर प्राप्त करने के लिए अभिप्रेरित करती है। उच्च और निम्न उपलब्धि अभिप्रेरणा वाले छात्र–छात्राओं के चिंतन और कार्य में काफी विभिन्नता देखने को मिलती है। उच्च उपलब्धि अभिप्रेरणा वाले छात्र अपनी सफलता का कारण अपनी योग्यता तथा प्रयत्न को मानते हैं एवं विशेषज्ञों के साथ काम करना पसंद करते हैं। निम्न उपलब्धि अभिप्रेरणा वाले छात्र अपनी असफलता का कारण अपने प्रयत्नों को न मानकर अपनी अयोग्यता को मानते हैं।

विद्यालय में जो विद्यार्थी प्रबल उपलब्धि प्रेरणा वाले होते हैं वे अपने मित्रों की अपेक्षा अध्यापकों या विशेषज्ञों के साथ काम करना अधिक पसंद करते हैं। ऐसे विद्यार्थी उन्ही कार्यों को करना चाहते हैं जिनका उत्तरदायित्व स्वयं उनके ऊपर होता है।

मनोवैज्ञानिकों ने अनेक अध्ययन करके यह सिद्ध किया है कि उपलब्धि अभिप्रेरक का संबंध बचपन में माता-पिता द्वारा दिए जाने वाले स्वतंत्रता के प्रशिक्षण से होता है। इस प्रशिक्षण से तात्पर्य बच्चों में माता-पिता द्वारा स्वतंत्र रूप से भिन्न-भिन्न प्रकार के कार्य करने देने पर जोर डालने से होता है। कुछ माता-पिता ऐसे होते हैं जो अपने बच्चों को उनके अधिकतर कार्य उन्हें स्वयं करने की पूर्ण स्वतंत्रता देते हैं और उसे पूरा करने में भिन्न-भिन्न तरह का प्रोत्साहन भी देते हैं।

पहले वर्ग के बच्चों का स्वतंत्रता प्रशिक्षण नहीं हो पाया जबकि दूसरे तरह के बच्चों का स्वतंत्रता प्रशिक्षण हो पाया है। जिन बच्चों को स्वतंत्रता प्रशिक्षण मिल पाया है और जिन बच्चों को समुचित स्वतंत्रता प्रशिक्षण दिया जाता है उनमें वयस्क होने पर अभिप्रेरक भी अधिक होते पाया जाता है।

शिक्षा में उपलब्धि का व्यापक प्रभाव छात्रों के जीवन में प्रदर्शित होता है। यदि कहा जाए कि उपलब्धि अभिप्रेरक ही छात्रों के जीवन और व्यक्तित्व के निर्माण को आधार प्रदान करते हैं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। जब छात्र परीक्षा में उत्तीर्ण होता है तो इससे उसकी आकांक्षा स्तर में वृद्धि होती है और वह अधिक उत्साह के साथ आगे अधिगम के लिए प्रयासरत होता है परंतु अत्यधिक चिंता उपलब्धि में सहायक नहीं होती।

उपलब्धि अभिप्रेरक से तात्पर्य एक ऐसे अभिप्रेरक से होती है जिससे प्रेरित होकर व्यक्ति अपने कार्य को इस प्रकार करता है कि उसे अधिक से अधिक सफलता मिल सके। मन, फनील्ड व फनील्ड ने उपलब्धि अभिप्रेरक को परिभाषित करते हुए कहा है – "उपलब्धि अभिप्रेरक से तात्पर्य श्रेष्ठता का खास स्तर प्राप्त करने की इच्छा से होता है।"

उपलब्धि अभिप्रेरक को मैकक्लिलैण्ड (1953) तथा उनके सहयोगियों द्वारा मापा भी गया। बाद में एटकिन्सन (1964) तथा होयेन्गा एवं होयेन्गा (1984) ने भी उपलब्धि आवश्यकता का अध्ययन किया और निम्नांकित निष्कर्ष पर पहुंचे –

- अधिक उपलब्धि अभिप्रेरक वाले व्यक्ति वैसे कार्यों को करना अधिक पसंद करते हैं, जिनके द्वारा उनके व्यक्तिगत गुणों जैसे बुद्धि आदि का प्रदर्शन हो।

- जब अधिक उपलब्धि अभिप्रेरक वाले व्यक्ति किसी एक कार्य में सफल होते हैं तो वे सफलता के अनुरूप अपनी आकांक्षा के स्तर को धीरे–धीरे ऊँचा करते हैं।

- अधिक उपलब्धि अभिप्रेरक वाले व्यक्ति उन परिस्थितियों में अधिक कार्य करना पसंद करते है जिनके परिणाम पर उनका अधिक नियंत्रण होता है ताकि वे निश्चित रूप से यह समझ सकें कि उन्हें सफलता मिलेगी या नहीं।

प्रभावित करने वाले कारक

- उपलब्धि प्रेरणा के संबंध में यह कथन महत्वपूर्ण है कि इस प्रेरक को कौन–कौन से कारक प्रभावित करते हैं। वास्तव में इन कारकों का संबंध वातावरण से होता है। इसके अतिरिक्त उपलब्धि प्रेरणा को निम्न कारक भी प्रभावित करते हैं –

- **वातावरण का प्रभाव** – अध्ययनों से ज्ञात होता है कि वातावरण के प्रभाव के कारण तीन से साढ़े तीन वर्ष की आयु में इस प्रेरक का विकास होने लगता है। कीगन तथा मॉस (1962) एवं हैकहौसन (1962) ने इस विचार का समर्थन किया है।

- **संस्कृति का प्रभाव** – अध्ययनों से पता चलता है कि उपलब्धि प्रेरक पर संस्कृति का भी प्रभाव पड़ता है। हैप्पर (1941) ने भारतीय समाज एवं अमरीकी समाज का अध्ययन किया तथा पाया कि इस समाज का उपलब्धि प्रेरणा स्तर अधिक ऊँचा था।

- **व्यवसाय का प्रभाव** – मैस तथा कान (1961) ने अपने अध्ययनों से ज्ञात किया कि उपलब्धि प्रेरणा को व्यवसाय भी प्रभावित करता है। अध्ययनों में देखा गया कि उच्च आकांक्षा तथा व्यवसाय वाले पिता के बालकों में उच्च उपलब्धि प्रेरणा पाई

जाती है।

- **पालन पोषण का प्रभाव** – उपलब्धि प्रेरणा के विकास पर बालकों के पालन–पोषण का भी प्रभाव पड़ता है। एस्टोटबेक (1958) के अनुसार "बच्चों की इस प्रेरणा के विकास में माता की भूमिका महत्वपूर्ण होती है।" मैक्लीलैण्ड तथा विन्टर बटम (1955) के अनुसार "जिन बालकों को स्वतंत्रता प्रशिक्षण दिया जाता है उन बालकों में यह प्रेरणा उच्च होती है जो बालक माता पर अधिक आश्रित रहते हैं उन बालकों में इस प्रेरणा का विकास सीमित हो जाता है।"

प्रभावित होने वाले कारक

- **उपलब्धि प्रेरणा तथा आर्थिक विकास**–उपलब्धि प्रेरणा का प्रभाव न केवल व्यक्ति पर बल्कि समूह व समाज पर भी पड़ता है। अध्ययनों से पता चलता है कि व्यक्ति व समाज की उपलब्धि प्रेरणा तथा उसके आर्थिक विकास में गहरा संबंध होता है। जिस व्यक्ति या समाज की उपलब्धि प्रेरणा प्रबल होती है उस समाज की स्थिति भी प्रबल होती है। मैक्लीलैंड (1938) ने बताया कि "समाज के आर्थिक विकास के लिए उपलब्धि प्रेरणा का उच्च होना आवश्यक है। "जबकि एरोनसन (1958) ने कहा कि, "किसी समाज के आर्थिक विकास पर उस समाज के लोगों की उपलब्धि प्रेरणा का गहरा प्रभाव पड़ता है।"

- **आकांक्षा स्तर** – उपलब्धि प्रेरणा का आकांक्षा स्तर पर भी गहरा प्रभाव पड़ता है। जिन लोगों का आकांक्षा स्तर आपस में संबद्ध है, उनका आकांक्षा स्तर ऊँचा होता है तथा उनकी उपलब्धि प्रेरणा भी उच्च होती है ऐसे लोग कठिन मेहनत करके ऊँचे लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं। ऐसे लोगों में जोखिम उठाने की भी क्षमता पाई जाती है।

प्रत्येक बालक अपने विशिष्ट जनों को देखकर उनके जैसा बनने का प्रयास करता है तथा उनके समान ही उपलब्धि ग्रहण करने के लिए प्रेरित होता है।

- **विद्यालय उपलब्धि** – मैक्लीलैंड (1938) का यह कथन उपयुक्त प्रतीत होता है कि बालक को जिस प्रकार की शिक्षा दी जाती है, उसकी अभिप्रेरणा उसी स्तर की होती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि बालक शिक्षकों से तादात्म्य स्थापित करके शिक्षा ग्रहण करते हैं और उच्च उपलब्धि की आशा रखते हैं। बालक आकांक्षा स्तर को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं और अपने जीवन को उन्नत बनाने का प्रयत्न करते देखे जाते हैं।

- **प्रतियोगिता** – प्रतियोगिता की भावना बालकों में उपलब्धि प्रेरणा को प्रभावित करती है, शिक्षक अपने ज्ञान व अनुभव के माध्यम से बालकों में अधिक से अधिक प्रेरणा प्रदान करता है और उनको नवीन कार्य करने हेतु प्रेरित करता है जिससे उनमें प्रतियोगिता की भावना उत्पन्न हो जाती है।

- **प्रगति का ज्ञान** – प्रगति का ज्ञान छात्रों में उपलब्धि प्रेरणा को बढ़ाता रहता है और छात्र अति आत्मविश्वास के साथ ज्ञान ग्रहण करते रहते हैं।

- **कक्षा का वातावरण** – कक्षा का वातावरण छात्रों की उपलब्धि बढ़ाने में अधिक सक्रिय भूमिका निभाता है। जैसा कक्षा का वातावरण होगा वैसी ही छात्रों की उपलब्धि होगी। कक्षा का वातावरण छात्रों के किसी एक पहलू को प्रभावित नहीं करता बल्कि संपूर्ण व्यक्तित्व को प्रभावित करता है।

फ्रैंडसन के शब्दों में, "एक उत्तम अध्यापक प्रभावी प्रेरणा

हेतु शिक्षण सामग्री से युक्त सार्थक तथा सतत रूप से परिवर्तनशील कक्षा-कक्ष के वातावरण पर निर्भर करता है।"

- **सफलता तथा असफलता** –विद्यालय में कुछ छात्र उपलब्धि प्राप्त करते हैं तो कुछ छात्र उपलब्धि प्राप्त करने में असफल रहते है। कक्षा उपलब्धि को उच्च रखने हेतु शिक्षक के साथ-साथ वहाँ कार्यरत सभी लोग होते हैं।

- **परिचर्चा एवं सम्मेलन** – छात्रों की उपलब्धि को बढ़ाने हेतु सम्मेलन तथा परिचर्चा सहायक होती है। ब्रीग्स के अध्ययनों से ज्ञात होता है कि "विद्यार्थी समूह में अधिक सक्रिय रहते हुए ज्ञान प्राप्त करते हैं।"

इस प्रकार स्पष्ट है कि स्कूल की उपलब्धि हेतु छात्रों के साथ-साथ शिक्षकों, प्रधानाध्यापक तथा विद्यालय के सभी स्टॉफ सहायक होते हैं जो छात्रों में उपलब्धि प्रेरणा को अग्रसर करते हैं, बढ़ाते हैं और नवीन कार्यों को करने हेतु प्रेरित करते हैं।

उच्च अभिप्रेरणा से युक्त व्यक्तियों की विशषेताएँ

- ऐसे व्यक्ति साधारण कठिनाई वाले कार्य करना अधिक पसंद करते हैं क्योंकि इन पर सफलता निश्चित होती है।

- वे जब किसी एक कार्य में सफल होते हैं तो वे अपनी सफलता को ध्यान में रखते हए अपनी आकांक्षा के स्तर को धीरे –धीरे ऊँचा करते हैं अर्थात् इनमें आकांक्षा स्तर अपेक्षाकृत ऊँचा होता है।

- वे उन परिस्थितियों में अधिक कार्य करना पसंद करते हैं जिनके परिणाम पर उनका नियंत्रण काफी होता है ताकि वे

निश्चित रूप से यह समझ सकें कि उन्हें सफलता मिलेगी या नहीं।

- वे कार्य में अधिक निपुणता दिखाते हैं और कार्य पूर्णता का स्तर ऊँचा होता है।

- दूसरों से आगे बढ़ने की इच्छा उनमें सशक्त होती है और भौतिक सफलता के क्षेत्र में वे अत्यधिक चमकते हैं।

- ऐसे व्यक्तियों में सफलता प्राप्त करने की चिन्ता अत्यधिक होती है।

अध्ययन का निष्कर्ष

- उपलब्धि अभिप्रेरणा एक सामाजिक अभिप्रेरणा है। यह जन्मजात न होकर व्यक्ति द्वारा अर्जित या सीखी गई होती है।

- उपलब्धि अभिप्रेरणा, सफलता प्राप्त करने अथवा अपेक्षित लक्ष्य को प्राप्त करने की प्रवृत्ति को कहते हैं।

- प्रत्येक व्यक्ति उपलब्धि प्राप्त करने की भावना से प्रेरित होता है तथा कुछ न कुछ प्राप्त करने की इच्छा रखता है।

- उपलब्धि अभिप्रेरणा का आधारभूत लक्ष्य उपलब्धि होता है। जब व्यक्ति उपलब्धि के लिए कोई कार्य करता है तो उसे उपलब्धि अभिप्रेरणा द्वारा प्रेरित माना जाता है।

अध्ययन का शैक्षिक निहितार्थ

- उपलब्धि अभिप्रेरणा एक अर्जित अभिप्रेरक है, इसलिए इसके विकास की दृष्टि से जहाँ विद्यालय के वातावरण को समुन्नत होना चाहिए, वहीं अध्यापक को स्वयं आशावादी, जीवन मूल्यों में आस्था रखने वाला और आदर्शों के प्रति समर्पित होना चाहिए। अध्यापक को छात्रों के जीवन लक्ष्य निर्धारण में रुचि

लेनी चाहिए, जीवन लक्ष्य के निर्धारण में यह छात्रों से तर्क कर सकता है और लक्ष्य के अनुरूप जीवन निर्वाह के महत्व को समझा सकता है।

आकांक्षा स्तर का संबंध उपलब्धि स्तर से होता है जैसे थर्मामीटर में पारा ताप की अधिकता और न्यूनता के कारण ऊपर–नीचे होता रहता है, वैसे ही छात्र के मन में उच्च या निम्न आकांक्षा का स्तर उसे सफलता या असफलता की ओर प्रेरित करता है। इस तथ्य को समझकर अध्यापक को कार्य करना चाहिए।

अध्यापक छात्रों के समक्ष जीवन के विविध क्षेत्रों से संबंधित महापुरूषों की उपलब्धियों का वर्णन कर उनमें उपलब्धि अभिप्रेरणा उत्पन्न कर सकता है। वह महापुरूषों के प्रेरक प्रसंग को सुनाकर उन्हें अच्छी उपलब्धि के लिए प्रोत्साहित कर सकता है। अध्यापक को चाहिए कि वह जीवन से संबंधित साहित्य पढ़ने के लिए प्रेरित करे एवं अभिप्रेरणा के संबंध को छात्रों के भावी जीवन के विविध क्षेत्रों से जोड़कर अपने दायित्य का निर्वाह करके उनको आगे बढ़ाए।

अध्यापक छात्रों को इस बात का भी ज्ञान कराएँ कि सफलता उनके प्रयत्न एवं योग्यता का एवं असफलता प्रयत्न एवं योग्यता में कमी का परिणाम होती है।

❑❑❑

प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन परम्परा एवं शब्दबोध

डॉ. श्रीप्रकाश सिंह

विद्यार्थी जीवन से लेकर आज तक हमें जो दर्शन एवं चिंतन अध्ययन की प्रक्रिया में प्राप्त होता है उस पर पश्चिम का प्रभाव प्रारंभ से परिलक्षित है। जिन चिंतकों का नाम हमारे समक्ष आता है उनमें प्रमुखतया सुकरात, प्लेटो, अरस्तू, पोलिवियस, सिसरो, सेंट अगेस्टाइन, मैकियावेली, हाब्स, लॉक रूसो वेन्थम जे. एस. मिल. जेम्स मिल, मार्क्स आदि के नाम हैं। इन्हीं के विचार दर्शन एवं चिंतन हमारे अध्ययन, विश्लेषण और शोध के आधार हैं। इन विचारकों की विचार शृंखला में भारतीय विचारकों, दार्शनिकों, मनीषियों, ऋषियों का उल्लेख नहीं है। इसलिए हम भारतीय दर्शन, चिंतन, परंपरा से परिचित ही नहीं हो पाते हैं और पश्चिमी चिंतन परंपरा के प्रभाव में ही अपना आकलन विश्लेषण और अध्ययन करना प्रारंभ कर देते हैं।

हमें प्रारंभ से ही यह पढ़ाया और बताया गया है कि भारतीय संस्कृति, सभ्यता का दर्शन विचार एवं विचारक परंपरा अत्यंत प्राचीन, श्रेष्ठ, सर्वव्यापक और सभी को समायोजित करने की क्षमता से युक्त है। परंतु कहीं धार्मिकता के नाम पर, कहीं

ऐतिहासिकता, आधुनिकता, सामाजिकता तथा प्रासंगिकता के नाम पर, हमारे अपने ही बहुआयामी योगदान को नकार दिया जाता है जबकि उसकी गहराई इसके विपरीत है। ग्रंथों की एक लंबी सूची उपलब्ध है परंतु इनके अध्ययन के लिए अग्रांकित भाव हमारे मानस पटल पर अंकित होना चाहिए –

जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं।
वह हृदय नहीं वह पत्थर है, जिसमें स्वदेश से प्यार नहीं।।

हमारे ज्ञान के स्रोत, वेद, पुराण, स्मृतियाँ, महाभाष्य, महाकाव्य, नीतिशास्त्र, वेदांत सूत्र, अर्थशास्त्र, धर्म शास्त्र, आदि ग्रंथ हैं। हम सिर्फ इन ग्रंथों की अतुलनीय सूची को देखकर ही यह न स्वीकार करें कि हम श्रेष्ठ थे, या श्रेष्ठ हैं, अपितु "मननं करोति इति मनुष्यः" की स्वाभाविक प्रक्रिया के आधार पर विश्लेषण करें और यदि उसमें वैशिष्ट्य प्राप्त हो तो स्वीकार करें और उसे स्थापित करने का प्रयास करें। उदाहरण स्वरूप तीन विचारकों एवं उनके चिंतन का संक्षिप्त उल्लेख करना प्रासंगिक होगा – मनु, कौटिल्य और वेदव्यास। मनु ने राजधर्म का प्रणयन करने के साथ–साथ राज्य व्यवस्था का विशद वर्णन किया है। राजा क्यों? कैसा, कर्तव्य, मंत्रिमंडल, विदेश संबध, वर्णव्यवस्था, नारी की स्थिति आदि अन्यान्य विषयों को अपनी सामाजिक संरचना में स्थापित करने का प्रयास किया। ईसा पूर्व 200 से 200 ईस्वी में जिन प्रशासकीय–विकेन्द्रित व्यवस्था का उल्लेख मनु ने किया वह आज भी प्रशासन के लिए चुनौती है। उनकी – ग्राम व्यवस्था इसका प्रमाण है।

कौटिल्य का अर्थशास्त्र राज्य प्रशासन पर उपलब्ध ग्रंथों में श्रेष्ठतम माना जा सकता है क्योंकि कौटिल्य ने 15 अधिकरण और 180 प्रकरणों में सूत्रों एवं भाष्यों के माध्यम से समाज, राजा,

राज्य, अमात्य, कर्तव्य, योगक्षेम, मंडल, सिद्धांत आदि पर अपने विचार दिए जिन्हें आज भी अत्यंत उपयोगी माना जाता है। उनका राज्य की उत्पत्ति का विचार सप्तांग सामाजिक समझौते की देन है जिसका उल्लेख 16वीं सदी में हाब्स, लाक, रूसो ने अलग दृष्टिकोण से किया है।

यहाँ यह उल्लेख करना समीचीन होगा कि कौटिल्य अरस्तु के समकालीन हैं और उन्होंने आगमनात्मक और संश्लेषणात्मक पद्धति (Inductive method) का उपयोग बहुत पहले किया है–

सुख ग्रहण विज्ञेय तत्त्वार्थ निश्चितम्।
कौटिल्येन कृतशास्त्रं विमुक्तग्रंथ विस्तरम्।।

जैन, बौद्ध, ब्राह्मण ग्रंथों, कामदक ग्रंथों में कौटिल्य को चंद्रगुप्त मौर्य के उद्धारक एवं उपदेशक के रूप में वर्णित किया गया है। दण्डी का ग्रंथ 'दशकुमार चरित' कहता है कि मौर्य सम्राट के लिए विष्णुगुप्त ने 6000 श्लोकों में राजनीतिक प्रबंध की रचना की थी। बाणभट्ट, और वात्स्यायन आदि भी कौटिल्य के अर्थशास्त्र का विशद उल्लेख करते हैं।

महाभारत का शांतिपर्व जो धर्मराज और राजधर्म की विशद–व्याख्या से युक्त है। इसकी उपयोगिता मात्र एक उदाहरण से सिद्ध की जा सकती है, वह है मंत्रिमंडलीय संरचना, जिसमें कुल लोग नामांकित हो सकते थे, 37। ब्राह्मण–4, क्षत्रिय–8, वैश्य–21, शूद्र–3, एवं सूत 1 (वर्ण शंकर) आयु 50 वर्ष, इनमें से (8 प्रमुख अमात्य) होंगे। ग्राम्य आधारित कर व्यवस्था और सत्ता का विकेन्द्रीकरण आदि ऐसे विषय हैं जिन्हें प्रासंगिकता की कसौटी पर परखा जा सकता है।

धर्मशास्त्रों, नीतिशास्त्रों, उपनिषदों, पुराणों, संहिताओं आदि से अनेकानेक उदाहरण अपनी राजनीतिक विरासत की श्रेष्ठता

के लिए दिए जा सकते हैं परंतु मैं यहाँ सारभूत उल्लेख करना चाहता हूँ –

'अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम्।

परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम्।।

वेदांत की चिंतन परंपरा से भी अनेकानेक उदाहरण श्रेष्ठता और प्रासंगिकता को सिद्ध करने के लिए दिए जा सकते हैं। यहाँ प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि इतनी समृद्ध परंपरा होने के बावजूद हम राजनीति दर्शन के क्षेत्र में अपना उचित स्थान प्राप्त क्यों नहीं कर सके। उत्तर हम सभी को ज्ञात है कि गुलाम मानसिकता, पश्चिमी सभ्यता और अंग्रेजी शिक्षा के प्रभाव ने ही हमें अपनी विरासत से दूर कर दिया है। पाठ्यक्रम, विश्वविद्यालयी पाठ्यक्रम और वर्तमान शोध–विषय इसके उदाहरण हैं।

सामान्यतया यह कहा जाता है कि भाषा, शब्द, शब्दावली और उनका उपयोग, संस्कृति, सभ्यता एवं जनमानस की मान्यताओं से प्रभावित होता है। उदाहरण स्वरूप 'अहं ब्रह्मास्मि' और लुई चौदह द्वारा "मैं भगवान हूँ, का अंतर बोध समझा जा सकता है।

अहं ब्रह्मास्मि समानता, स्वतंत्रता, न्याय, कर्त्तव्य, समता, आत्मा से परमात्मा का मिलन एवं अद्वैत भाव का परिचायक है। वहीं पर सर्वाधिकारवाद लुई चौदहवीं का विचार 'मैं ही राज्य हूँ, तानाशाही, सर्वाधिकार एवं संघर्ष का प्रतीक है।

हमारे दर्शन में 'धर्म' दायित्व–बोध का प्रतिनिधित्व करता है। लेकिन पश्चिमी दर्शन में अधिकार को प्रमुखता प्राप्त है और इसी के प्रभाव ने हमारे संविधान एवं व्यवस्था तंत्र में कर्तव्य के स्थान पर अधिकार को महत्व दिया है।

शब्दकोश के अनुसार धर्म शब्द की उत्पत्ति 'धृ' धातु से हुई है। ऋग्वेद में "अतो धर्माणि धारयन्"।। महाभारत में 'धारणात्

धर्ममित्याहुः, धर्मो धारयते प्रजाः" 'धर्मः यति धारयेत' का अर्थभाव धारण करना है। मनुस्मृति 7/92 के अनुसार–

धृतिः क्षमा दमोऽस्तेयं शौचमिन्द्रिय निग्रहः।

धीः विद्या सत्यमक्रोधो दशकं धर्म लक्षणम्।।

गीता में धर्म को कर्तव्य से जोड़ा गया है।

'धर्म' और 'रिलीजन' दो पृथक् भाषाओं के शब्द है। अतः धर्म को ग्रीक या लैटिन में अनुवादित नहीं किया जा सकता है और लैटिन के रिलीजन में 'धर्म' का पूर्ण अर्थ सम्मिलित नहीं है। धर्म की व्यापकता हमारे जीवन दर्शन एवं दायित्व बोध से निर्धारित होती है। पुत्रधर्म, पितृधर्म, मातृधर्म – समाजधर्म, राष्ट्रधर्म, आपद्धर्म, आचारनीति, न्याय, आदि धर्म की श्रेणी में आते हैं जबकि 'रिलीजन' केवल पूजा पद्धतियों तक सीमित हो जाता है।

भारतीय चिंतन परंपरा के अध्ययन में हमें निम्नलिखित प्रमुख शब्द अपने मूल स्वरूप में प्राप्त होते हैं योगक्षेम, सनातन एवं यज्ञ आदि।

इन शब्दों को तमाम ग्रंथों में इसी रूप में स्वीकार किया गया है लेकिन अनेक शब्दों को रूपांतरित कर दिया गया और अंगेजी भाषा के प्रभाव में नए शब्दों को निर्मित किया गया जबकि प्राच्य शब्दों में ही हमें पूर्णता प्राप्त होती है।

यहाँ ध्यान देने योग्य विषय यह है कि कालांतर में शब्दों की प्रकृति में परिवर्तन हुआ है। इसे अर्थ–विस्तार, अर्थ भेद और अर्थ–विहीनता के रूप में विश्लेषित किया जा सकता है।

आश्रम अब 'सन्त' की कुटी तक सीमित है। मुनि, महर्षि, ब्रह्मर्षि, ऋषि, को संत शब्द तक समेट दिया गया है। पुरुषार्थ शब्द की व्यापकता समाप्त कर उसे श्रम के समकक्ष कर दिया

गया है। राजधर्म, धर्मराज्य और धर्मराज की व्यापकता समाप्त हो गई है। इसे पूजा पद्धति से संबद्ध मान लिया जाता है। अनुष्ठान, यज्ञ आदि शब्द कर्मकांड के पर्याय बन गए है।

धवल धाम मनि पुरट पट सुघटित नाना भाँति।
सिय निवास सुंदर सदन सोभा किमि कहि जाति।।

तुलसीदासः बालकांड दोहा – 213ए

धाम धार्मिक शब्द बन गया और 'सदन' संसदीय जबकि दोनों का भाव घर था। वहीं आर्य, अनार्य, वय, कटि, चक्रवर्ती, आदि शब्द विलुप्त हो रहे हैं। वहीं पर अनेकानेक शब्दों के भावार्थ पूर्णता का बोध कराते हैं। जैसे–राजत्व, राजपद, राजतंत्र, गणतंत्र, संसद, मंत्रिमंडल, स्त्रीत्व, ममत्व, पुरूषार्थ, प्रजापालक एवं प्रजापालन आदि।

शब्दों का प्रणयन दर्शन के अनुरूप हो इसलिए शब्दों की प्रकृति भाववाचक, संबंध वाचक, कर्मवाचक शब्द, व्यवस्था वाचक, प्रयोग वाचक, आदान वाचक, समन्वय वाचक होनी चाहिए।

❑❑❑

मानवाधिकार और विकलांगता

डॉ० विनोद कुमार सिन्हा

शारीरिक एवं मानसिक अशक्तता या सामान्य व्यक्ति से कम क्षमता ही विकलांगता है।

विकलांगता के दो कारण हैं–

1. गर्भावस्था में दोषपूर्ण विकास जिसे जन्मजात कहा जा सकता है।

2. जन्मोपरांत दुर्घटनाग्रस्त या किसी रोग से ग्रसित होना।

उपर्युक्त दोनों कारणों से विकलांगता की निम्नांकित स्थितियाँ होती हैं:

1. दृष्टिहीनता
2. मंद दृष्टि
3. कुष्ठ रोग
4. श्रवण दोष
5. गति या चलन (Locomotor) संबंधी अशक्तता
6. मानसिक रोग
7. मानसिक मंदता

विकलांग व्यक्तियों को निम्नांकित रूप से छह प्रकार के दोष झेलने होते हैं:

1. **शारीरिक** – दृष्टि एवं श्रवण शक्ति का ह्रास तथा किसी शारीरिक अंग की असामान्य स्थिति।

2. **मानसिक** – अशक्तता के कारण हीन भाव तथा विकलांगता एवं अपूर्णता का संताप।

3. **आर्थिक** – काम के अवसरों का सीमित हो जाना तथा उपार्ज़न की क्षमता का ह्रास।

4. **सामाजिक** – समाज में विकलांग व्यक्तियों के प्रति तिरस्कार एवं उपेक्षा की भावना।

5. **धार्मिक** – माता – पिता या समाज की दृष्टि में ईश्वर के कोपभाजन के रूप में पहचान।

6. **राजनीतिक** – नेतृत्व क्षमता में अविश्वास तथा प्रशासनिक उत्तरदायित्व के निर्वहन योग्यता का अभाव।

विकलांग व्यक्तियों को समान अवसर, अधिकारों के सरंक्षण और उनकी पूर्ण भागीदारी के संबंध में 1995, में एक अधिनियम बनाया गया। उक्त अधिनियम के अनुसार असमर्थ व्यक्ति से वह व्यक्ति अभिप्रेत है जो चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित किसी असमर्थता के चालीस प्रतिशत से कम भाग से ग्रस्त न हो। पुनर्वास से वह कार्यवाही विनिर्दिष्ट है जो असमर्थ व्यक्ति को उसकी शारीरिक, संवेदिक (Sensory) बौद्धिक, मनोवैज्ञानिक अथवा सामाजिक कार्य करने के स्तर प्राप्त करने और उसे बनाए रखने के उद्देश्य से अभिप्रेत है।"

मानवाधिकार

हैरोल लास्की के अनुसार "अधिकार मानव जीवन की ऐसी परिस्थितियाँ हैं जिनके बगैर सामान्यतः कोई व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का पूर्ण विकास नहीं कर सकता है।"

मानवाधिकार मनुष्य का जन्मजात अधिकार है। तन और मन के अधिकार का आधार मनुष्य की चेतना का उद्गम होता

है। वस्तुतः अधिकारों का स्रोत आवश्यकताएँ होती हैं। मनुष्य के विभिन्न स्वरूपों में उसकी आवश्यकतायें भी बढ़ती गईं और उसके संबंधित अधिकारों के भाव भी विकसित होते गए। फिर उन अधिकारों के अनुपालक बने – परिवार, समाज और सरकार।

सर्वप्रथम संयुक्त राष्ट्र संघ ने यह महसूस किया कि विकलांगों के प्रति भेदभाव एवं उपेक्षा दृष्टि रखी जाती है जिसे दूर करने के लिए विकलांगों के मानवाधिकार को कानूनी जामा पहनाना श्रेयस्कर होगा।

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मानवाधिकार विधि, समानता, गरिमा, स्वायत्तता आदि के सिद्धांतों पर आधारित है।

संयुक्त राष्ट्र संघ ने सर्वप्रथम 1966 में मंद बुद्धि व्यक्तियों के लिए विकलांगों के अधिकार की घोषणा की। ये दोनों घोषणाएँ मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा में अंतरविष्ट सिद्धांतों को विशिष्ट अभिव्यक्ति प्रदान करती हैं। विकलांगों के कल्याण तथा पुनर्वास के लिए भी विचार किया गया।

अंतरराष्ट्रीय विकलांग वर्ष – 1981

1981 को अंतरराष्ट्रीय विकलांग वर्ष घोषित किया गया था। इसका एक महत्वपूर्ण परिणाम असमर्थ अर्थात् विकलांग व्यक्तियों के लिए विश्व कार्य योजना रही है। विकलांग वर्ष और विश्व कार्य योजना, दोनों ने मिलकर इस क्षेत्र में प्रगति के लिए एक सशक्त प्रेरणा का काम किया। उसी के बाद 1983–92 को संयुक्त राष्ट्र संघ ने विकलांग दशक के रूप में घोषित गया । इस दशक में विकलांग व्यक्तियों के आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक अधिकारों को पहचान देने हेतु कई कार्यक्रम किए गए। विकलांगों को पूर्ण नागरिकता मिले तथा उसकी सभी कार्यक्रमों में पूर्ण सहभागिता हो, इस पर पूर्ण ध्यान दिया गया।

विश्व कार्य योजना के इस दशक में विकलांगों के जीवन – स्तर में सुधार लाने के लिए तथा अन्य व्यक्तियों की भाँति समान

अधिकारिता के अधिकार और समान अवसर पर बल दिया गया। इस योजना का उद्देश्य उन प्रभावी उपायों का समर्थन करना था जिससे विकलांगों की असमर्थता को रोका जा सके तथा पुनर्वास किया जा सके।

पुनर्वास (Rehabilitation) का विशिष्ट अर्थ यह है कि ऐसी उद्देश्य परक प्रकियायें कार्यान्वित की जाएँ जिनका लक्ष्य असमर्थ व्यक्ति को समर्थ बनाना हो जिससे वे अपने अधिकतम मानसिक, शारीरिक और सामाजिक क्रियात्मक स्तर पर पहुँच सके।

संयुक्त राष्ट्र विकलांग दशक के मध्य में, 1987 में असमर्थ लोगों से संबंधित विश्व कार्य योजना के पुनरावलोकन और कार्यन्वयन के लिए विशेषज्ञों का एक विश्वव्यापी सम्मेलन हुआ था। इस सम्मेलन में विकलांगों के लिए अवसर के समानीकरण संबंधी मानक नियम तैयार किए गए। इस मानक नियम में चार बिन्दुओं पर विशेष ध्यान दिया गयाः–

(1) असमर्थ व्यक्तियों के लिए प्रभावकारी चिकित्सीय देखभाल संबंधी प्रावधान सुनिश्चित किए जाएँ।

(2) समान भागीदारी हेतु लक्ष्य क्षेत्र की विवेचना की गई। असमर्थ व्यक्तियों को इतना शक्ति संपन्न बनाया जाए कि वे अपने मानव अधिकार का उपभोग कर सकें, विशेषकर नियोजन के क्षेत्र में।

(3) असमर्थ व्यक्तियों के संगठन, कार्मिक प्रशिक्षण, राष्ट्रीय देखरेख तकनीकी और आर्थिक सहकारिता आदि का मूल्यांकन।

(4) निगरानी तंत्र का उपबंध करना।

इस प्रकार संयुक्त राष्ट्रसंघ की महासभा द्वारा विकलांगों के अधिकार से संबधित प्रस्ताव पारित किया गया। यह महत्वपूर्ण

कार्य 13 दिसम्बर 2006 को अंगीकार किया गया तथा 30 मार्च 2007 को हस्ताक्षर हेतु खोला गया जिसमें 120 से अधिक देशों ने हस्ताक्षर किये। इस पारित प्रस्ताव का उद्देश्य विकलांगों द्वारा सभी मानव अधिकार और मूल स्वतंत्रताओं के पूर्ण एवं समान उपभोग को सुनिश्चित करना, उसकी रक्षा और संवर्धन करना था।

1983–92 के बाद 1993–2002 की योजना बनाई गई। इस योजना में एशियाई और प्रशांत देशीय अशक्त व्यक्तियों के लिए अनेक वैश्विक कार्यक्रमों के प्रस्ताव पारित किए गए। फिर सन् 2003–2012 दशक में बिवाको मिलेनियम फ्रेमवर्क पर विचार किया गया। इस दशक में कई स्वयं सेवी संस्थाओं का गठन किया गया। क्षमता–निर्माण, सामाजिक सुरक्षा और धारण करने योग्य जीवन–यापन कार्यक्रमों द्वारा गरीबी उन्मूलन पर गंभीर विचार किया गया।

राष्ट्रीय स्तर पर मानवाधिकार

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 एवं 16 के अनुसार रोजगार के संबंध में धर्म, जाति, वर्ग, लिंग आदि के आधार पर सार्वजनिक सुविधाओं को प्राप्त करने में भेदभाव करना निषेध है। फिर भी 1995 तक सेवा नियम में उच्च पदों पर अशक्त व्यक्तियों के प्रवेश पर रोक थी। संविधान के अनुच्छेद 41 में यह कहा गया कि राज्य अपनी आर्थिक क्षमता और विकास की सीमाओं के अंतर्गत बेरोजगारी, वृद्धावस्था, बीमारी या अशक्तता के मामलों में शिक्षा, कार्य तथा लोक सहायता के अधिकार को सुनिश्चित करेगा।

विकलांग व्यक्ति अधिनियम की धारा 31 में असमर्थ व्यक्तियों के लिए आरक्षण की भी व्यवस्था है।

1980 में भारत में विकलांग समर्पित बहुत बड़ा आंदोलन हुआ। जिसकी विशिष्ट उपलब्धि हुई अशक्तता अधिनियम 1995 के रूप में। इस अधिनियम का उद्देश्य अशक्त व्यक्तियों की समानता एवं पूर्ण सहभागिता का संवर्धन करना तथा उनके आर्थिक एवं सामाजिक अधिकारों का संरक्षण करना है।

फिर भी भारत में विकलांगों के प्रति उपेक्षा का भाव तथा अशक्तता को अभिशाप मानने का विचार आज भी कायम है।

आश्चर्य और दुःख इस बात से होता है कि कानून तथा मानवाधिकारों का कार्यान्वयन न्यायालय के डंडे से होता है।

"2006 की भारतीय प्रशासनिक सेवा (आई. ए. एस) की परीक्षा में सर्वप्रथम एक दृष्टिहीन व्यक्ति सफल हुए जिनका नाम था श्री आर. के गुप्ता। शासन ने उनकी नियुक्ति चार वर्ष तक रोक रखी थी। शासन का उच्चतम न्यायालय में कहना था कि अभी तक उनके लिए उपयुक्त पद की तलाश की जा रही है। उच्चतम न्यायालय ने चयन के चार वर्ष बाद शासन को निर्देश दिया कि श्री गुप्ता को आइ. ए. एस. का पद दें। उच्चतम न्यायालय ने विलम्ब को नौकरशाही की निष्क्रियता (Bureaucratic Inaction) कहा।" (इंडियन एक्सप्रेस, 18 जुलाई 2010 नई दिल्ली संस्करण)।

पुनः सीमा बरसे बनाम भारत संघ के मुकद्मे में 1993 में उच्चतम न्यायालय ने पश्चिम बंगाल की जेलों में बंद मानसिक रूप से बीमार व्यक्तियों की दशा का संज्ञान लिया और यह प्रेक्षण किया कि जेलों में मानसिक रूप से बीमार व्यक्तियों का प्रवेश असंवैधानिक है) विकलांगों के कल्याण हेतु भारत–सरकार की कई संस्थाएँ कार्यरत हैं – राष्ट्रीय दृष्टि विकलांग संस्थान, देहरादून, राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान, सिकंदराबाद, राष्ट्रीय

समाज कल्याण बोर्ड, राष्ट्रीय शारीरिक विकास संस्थान, मुंबई, अली याबर जंग राष्ट्रीय विकलांग संस्थान, कोलकाता विभिन्न प्रदेशों में समाज कल्याण बोर्ड, असमर्थ व्यक्तियों के नियोजन के संवर्धन हेतु राष्ट्रीय केन्द्र आदि।

अशक्त व्यक्ति से संबंधित धारा 33 के प्रावधानों के अनुसार प्रत्येक सरकार के संस्थान में असमर्थ व्यक्तियों या उनके समूहों के लिए ऐसी मात्रा में जो तीन प्रतिशत से कम न होगा, पदों का (आरक्षण किया जाएगा) जिनमें एक–एक प्रतिशत दृष्टिबाधित, श्रवणबाधित एवं गति विषयक असमर्थता या प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात (cerebral palsy) के लिए आरक्षित किया जाएगा।

परन्तु इस प्रावधान का देश में प्रभावी कार्यान्वयन नहीं हो पा रहा है। भारतीय उद्योग परिसंघ ने भी अपनी विषय सूची में असमर्थ व्यक्तियों के नियोजन को सम्मिलित किया है।

परंतु 61 कंपनियों के सर्वेक्षण से पता चला है कि 20 में तो एक भी विकलांग व्यक्ति नहीं है। शेष में 0.01 से 0.3 प्रतिशत तक विकलांग व्यक्तियों का नियोजन है। बहुराष्ट्रीय कंपनियों में .05 प्रतिशत विकलांग हैं।

सरकार द्वारा चलाए जा रहे 37 अस्पतालों तथा विभागों में सामान्य रूप से प्रबल स्थितियों के लिए मानसिक स्वास्थ्य संस्थानों में 1997 में गुणवत्ता आश्वासन संबंधी परियोजना प्रारंभ की गई। इससे यह प्रमाणित होता है कि सरकार को भी इन सहायता कार्यक्रमों की गुणवत्ता में संदेह तथा अविश्वास है।

निष्कर्ष

भारत में विभिन्न प्रदेशों में सरकार विकलांगों के लिए संवेदनशील अवश्य है परंतु संवेदनशीलता का ग्राफ अभी नीचे

है। विकलांगों के लिए सरकार, निजीकंपनियों, बहुराष्ट्रीय कंपनियों तथा सबसे अधिक समाज को संवेदलशील होना होगा। यह संवेदनशीलता कानून तथा मानवाधिकार के दबाव और भय से नहीं उपजनी चाहिए–स्वतः स्फूर्त होनी चाहिए। व्यक्ति से समाज बनता है और व्यक्ति के मताधिकार से सरकार बनती है। स्नेह जनित संवेदना ही विकलांगता को सशक्त बना सकती है।

❑❑❑

समकालीन भारतीय राजनीति और तकनीकी शब्दावलीः एक विशिष्ट संयोजन

सुनील के. चौधरी

राजनीति विज्ञान व 'राजनीति' समाज विज्ञान के महत्वपूर्ण विषयों में अग्रणी भूमिका निभाते हैं। राजनीति विज्ञान पंरपरागत होने के साथ–साथ एक ज्वलंत विषय के रूप में समाज विज्ञान चिंतन विमर्श में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। राज्य व सरकार का अध्ययन कहा जाने वाला विषय आज समकालीन परिवेश में अन्य विभिन्न समाजशास्त्रीय व अंतर्विषयक विषयों के रूप में प्रासंगिक हो गया है। समकालीन समय में राजनीति विज्ञान विषय राजनीति के नए तत्वों से प्रभावित हो गया है। 'विज्ञान' को इंगित करने वाला राजनीति विज्ञान एक सैद्धांतिक विषय के रूप में अध्ययन का केन्द्र बिंदु रहा है जबकि राजनीति इस विज्ञान के व्यावहारिक पक्ष को प्रदर्शित करती है। एक अनौपचारिक संस्थागत प्रक्रिया के रूप में राजनीति आज समाज की समस्त परंपराओं व संरचनाओं को नए प्रकार से प्रभावित करने लगी है जिसके प्रभाव से न केवल समाज विज्ञान बल्कि अन्य मूलवर्ती

विज्ञान जैसे जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान, गणितीय विज्ञान इत्यादि भी अछूते नहीं हैं।

इस लेख का मुख्य उद्देश्य भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की विभिन्न अवधारणाओं के उद्भव व विकास को उल्लेखित करना है, राजनीतिक अवधारणाओं की बदलती प्रवृत्तियों व तकनीकी शब्दावली के मध्य अन्तःसंबधों का विश्लेषण करना है, तथा 21वीं शताब्दी के नये भारतीय राजनीतिक परिवेश में तकनीकी शब्दावली की प्रासंगिकता व चुनौतियों का परीक्षण करना है।

राजनीतिक अवधारणाएँ व तकनीकी शब्दावली

राजनीतिक विज्ञान व राजनीति में एक मूलभूत अंतर है। राजनीति विज्ञान प्रायः राज्य व सरकार के अध्ययन से जाना जाता रहा है। यह विषय मूलतः औपचारिक राजनीतिक संस्थाओं के अध्ययन पर बल देता है। इन औपचारिक राजनीतिक संस्थाओं को तीन भागों मे बाँटा जा सकता हैः– विधायिका, कार्यपालिका व न्यायपालिका। इन तीनों संस्थाओं के अपने–अपने निर्धारित कार्य हैं – विधायिका विधि निर्माण का कार्य करती है, कार्यपालिका विधि कार्यान्वयन का तथा न्यायपालिका विधि निर्णय को देखती है। विश्व की लगभग समस्त व्यवस्थाओं में ये तीनों संस्थाएँ परस्पर अंतर्सम्बंधों के आधार अथवा पृथक्करण के सिद्धांत के माध्यम से शासन संचालन में एक अभूतपूर्व भूमिका निभाती आ रही हैं।

विश्व राजनीतिक व्यवस्थाओं में कार्यरत इन तीनों संस्थाओं के नामकरण में अवश्य परिवर्तन देखने को मिल सकता है। उदाहरण के तौर पर भारत व ब्रिटेन में विधायिका को संसद के नाम से संबोधित करते हैं तो इज़रायल में इसे नैसेट बुलाया जाता है। वहीं ईरान में विधायिका को मज़लिश ए शूरा, जापान

में डाईट व चीन में जन राष्ट्रीय कांग्रेस कहा जाता है। कार्यपालिका भी विश्व की राजनीतिक व्यवस्थाओं में पृथक्–पृथक् नाम से जानी जाती है। भारत व ब्रिटेन में कार्यपालक प्रधानमंत्री एक शासनाध्यक्ष के रूप में विद्यमान है, वहीं अमेरिका में राष्ट्रपति शासनाध्यक्ष व राज्याध्यक्ष दोनों भूमिकाएँ निभाता है। ठीक इसी प्रकार न्यायपालिकाएँ भी विश्व राजनीतिक व्यवस्थाओं में अलग–अलग नामों से जानी जाती हैं। भारत में इसे सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालय के रूप में देखा जाता है वहीं अमेरिका में संघीय न्यायालय की संज्ञा दी गई है। साम्यवादी व्यवस्थाओं में इसे प्रोक्यूरेटर के नाम से जाना जाता है।

राजनीति विज्ञान की तीनों औपचारिक संस्थाओं के नामों में भले ही अंतर हो किंतु इन सभी संस्थाओं के आमतौर पर कार्य लगभग एक जैसे ही हैं। एक मूल अंतर इस बात का अवश्य हो सकता है कि इन तीनों संस्थाओं में राजनीतिक शक्ति किस संस्था में निहित है। अमेरिका जैसी अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्थाओं में जहाँ राजनीतिक शक्ति राष्ट्रपति में केंद्रित है वहीं संसदीय शासन व्यवस्थाओं में यह प्रधानमंत्री व संसद में निहित है। मध्य एशियाई शासन व्यवस्थाओं जैसे सउदी अरब, कुवैत, जोर्डन, ओमान इत्यादि में कार्यपालक राजा होता है जो अपनी परिषद की सलाह से शासन का संचालन करता है।

राजनीति विज्ञान में राज्य व सरकार के अध्ययन के अतिरिक्त लोकतंत्र का अध्ययन भी एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। लोकतंत्र एक ऐसी शासन प्रणाली को प्रकट करता है जहाँ जनता का जनता के लिए, जनता द्वारा शासन देखने को मिलता है। जहाँ –जहाँ जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुनी हुई लोकतांत्रिक व्यवस्थाएँ कार्यरत होती हैं वहाँ शासन व्यवस्था जन प्रतिनिधियों द्वारा संचालित होती हैं। ऐसी राजनीतिक व्यवस्थाओं को संसदीय

व अध्यक्षात्मक, प्रधानमंत्री केंद्रित अथवा राष्ट्रपति उन्मुखी, एकीकृत व संघीय प्रणालियों में विभाजित किया जा सकता है। लोकतंत्र वास्तव में राजतंत्र का विलोमात्मक पक्ष प्रस्तुत करता है। राजनीति विज्ञान विषय में औपचारिक संस्थाओं का अध्ययन लोकतांत्रिक व गैर–लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के मूल अंतर को भी दर्शाता है।

राजनीतिक संस्थाओं के विपरीत राजनीति विभिन्न राजनीतिक प्रक्रियाओं के अध्ययन का बोध कराता है। राजनीति न केवल राजनीतिक संस्थाओं का अध्ययन है अपितु यह राजनीतिक प्रक्रियाओं का मंथन भी है। यद्यपि राजनीतिक विचार राजनीति को शक्ति व सत्ता का अध्ययन मानते हैं, राजनीति एक औपचारिक नीति न होकर एक व्यावहारिक गति है जिसके अंतर्गत औपचारिक व अनौपचारिक दोनों ही प्रकार की संस्थाओं व प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। राजनीतिक प्रक्रियाएँ मूलतः तीन मुख्य तत्वों के अध्ययन पर आधारित होती हैं – (क) राजनीतिक दल (ख) हित व दबाव समूह, तथा (ग) मीडिया।

एक व्यावहारिक विषय के रूप में राजनीति न केवल राज्य व सरकार जैसी औपचारिक संस्थाओं के अध्ययन व कार्यप्रणाली पर बल देती है, अपितु इन औपचारिक संस्थाओं को प्रभावित करने वाली विभिन्न प्रक्रियाओं जैसे दल व दलीय व्यवस्था, मतदान व्यवहार, राजनीतिक परिवेश, सामाजिक आंदोलन इलैक्ट्रॉनिक व सामाजिक मीडिया का भी अध्ययन करती है। यही कारण है कि समाज का कोई भी पहलू प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष तौर पर राजनीतिक प्रभाव से अछूता नहीं रह सकता है।

(क) राज्य की अवधारणा का तकनीकी परिप्रेक्ष्य

राजनीति विज्ञान विषय के उद्भव काल से ही राज्य की अवधारणा किसी न किसी रूप में विद्यमान रही है। समाज की उत्पत्ति के साथ ही राज्य की भी उत्पत्ति को दार्शनिकों ने किसी

न किसी रूप में स्वीकारा है। समाज के समानांतर उदित राज्य की अवधारणा समय के साथ–साथ परिवर्तित होती चली गई। राजनीतिक विचारकों का मानना है कि राज्य की अवधारणा प्रारंभ से ही मानव समाज के साथ रही है किंतु इसकी प्रकृति व स्वरूप में अंतर देखने को मिला है।

समाज विज्ञान में राज्य के विभिन्न तकनीकी रूप देखने को मिलते हैं। राज्य के विभिन्न तकनीकी रूपों को द्विपक्षीय संबंधों के आधार पर निम्नानुसार परिभाषित किया जा सकता है:– धर्मनिरपेक्ष बनाम पंथनिरपेक्ष राज्य, कल्याणकारी बनाम सर्वाधिकारी राज्य, नियामक बनाम सुसाधक राज्य, सुभेद्य बनाम प्रपीड़क राज्य, सैन्य बनाम प्रहरी राज्य, अनुगामी बनाम पश्यगामी राज्य। राज्य के उपर्युक्त रूपों को हम विश्व की विभन्न व्यवस्थाओं के संदर्भ में अध्ययन कर सकते हैं।

(ख) सरकार की अवधारणा व तकनीकी शब्दावली

यदि राज्य एक स्थायी संस्था है तो इसे संचालित करने वाले उपकरण व एजेंसी को सरकार के नाम से संबोधित किया जाता है। सरकार व्यक्ति व व्यक्तियों का एक ऐसा समूह है जो राज्य की नीतियों को कार्यान्वित करती है, सरकार बदल सकती है, राज्य नहीं। सरकार के विभिन्न रूप भी हो सकते हैं जैसे लोकतांत्रिक व गैर लोकतांत्रिक सरकार, एकात्मक व संघात्मक सरकार, आदि। राजनीति विज्ञान के प्राचीन दर्शन में पुरूषप्रधान बनाम स्त्रीप्रधान शासन, श्रमिक बनाम अभिजाततंत्रीय शासन तथा स्वेच्छाचारी बनाम निरंकुश शासन प्रणालियां देखने को मिलती हैं जहां शासनतंत्र का संचालन शासन के स्वरूप को दृष्टिगोचर करता है।

समकालीन राजनीति, राजनीति विज्ञान विषय में कई आमूल परिवर्तन रेखांकित करती है। 21वीं शताब्दी की राजनीति सरकार

के स्थान पर शासन के अध्ययन पर बल देती है। वहीं सुशासन व ई–अभिशासन तथा सुशासन के विभन्न तत्वों जैसे विधिसम्मत शासन, पारदर्शिता एवं उत्तरदायित्व व जवाबदेही को भी मुख्यधारा से जोड़ती है।

(ग) **लोकतंत्र व तकनीकी शब्दावली**

राजनीति विज्ञान का तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु लोकतंत्र माना जाता है। लोकतंत्र का इतिहास अत्यधिक प्राचीन है। प्राचीन भारतीय दर्शन में नागरिकों द्वारा शासक के चयन में भूमिका का उल्लेख मिलता है। वहीं यूनानी नगर राज्यों में लोकतंत्र भी एक शासन प्रणाली के रूप में विद्यमान रहा है। यद्यपि अरस्तु ने अपने 158 सरकारों के अध्ययन में लोकतंत्र को एक विकृत शासन प्रणाली के रूप में प्रस्तुत किया है, समय के साथ–साथ लोकतंत्र एक बेहतर शासन के विकल्प के रूप में उभर कर आया है। आधुनिक विश्व में प्रत्यक्ष लोकतंत्र अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में परिणत हुआ है। लोकतंत्र का अर्थ चुनावी मतदान द्वारा न केवल एक प्रक्रिया के रूप में प्रचलित हुआ है बल्कि नागरिक अधिकारों और स्वतंत्रताओं के तहत एक मूल्य के रूप में। लोकतांत्रिक व्यवस्था पूरे विश्व में मुख्य शासन व्यवस्था की तरह सुदृढ़ हुई है।

समकालीन राजनीति में लोकतंत्र के विभिन्न रूपों का अध्ययन किया जाता है। इनमें से कुछ द्विपक्षीय संबंधों को निम्नानुसार प्रकट किया जा सकता है:– लोकतंत्र बनाम प्रजातंत्र, प्रक्रियात्मक बनाम तात्विक लोकतंत्र, अल्पविकसित बनाम लोकतंत्र, प्रतिनिधिक बनाम जनवादी लोकतंत्र, विशिष्टवर्गीय बनाम सामसंधिक्य लोकतंत्र, विमर्शी बनाम जनमताश्रित लोकतंत्र। 21वीं शताब्दी के आगमन ने लोकतंत्र के नए परिप्रेक्ष्यों को प्रचलित करने का प्रयास किया है जो जन शासन की अपेक्षा जन विमर्श व जनमताश्रिता को प्रधानता देते हैं।

राजनीतिक प्रक्रियाएँ व तकनीकी शब्दावली

20वीं शताब्दी के अंतिम तीन दशकों में राजनीति विज्ञान विषय के स्थान पर राजनीति शब्द का प्रचलन प्रमुखता से होने लगा। एक व्यावहारिक ज्ञान के संदर्भ में राजनीति में समस्त औपचारिक व अनौपचारिक संस्थाओं के अध्ययन को प्राथमिकता मिलने लगी। ऐसा माना जाने लगा कि औपचारिक संस्थाओं जैसे विधायिका, कार्यपालिका व न्यायपालिका के कार्य संचालन में अनौपचारिक प्रक्रियाओं जैसे–राजनीतिक दल, दबाव समूह व मीडिया की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यद्यपि राजनीतिक दल, दबाव समूह व मीडिया पहले भी राजनीति विज्ञान विषय में सम्मिलित थीं किन्तु इन अनौपचारिक संस्थाओं व सामाजिक प्रक्रियाओं का एक व्यवस्थित अध्ययन तथा इनका राज्य व सरकार रूपी औपचारिक संस्थाओं पर विस्तृत प्रभाव का विश्लेषण नहीं हुआ था।

डेविड ईस्टन द्वारा मार्गदर्शित व्यवहारवाद व नव-व्यवहारवाद ने जहां राजनीति विज्ञान विषय में एक क्रांतिकारी परिवर्तन प्रस्तुत किया वहीं राज्य के स्थान पर राजनीतिक व्यवस्था के उपयोग तथा मानव व्यवहार के प्रयोग को भी लोकप्रिय किया। 1969 में ईस्टन की नव–व्यवहारी क्रांति के पश्चात् दलीय राजनीतिक व मतदान व्यवहार के नए विश्लेषण समकालीन राजनीति के अध्ययन का केन्द्र बिंदु बनने लगे। राजनीतिक दलों का अध्ययन राजनीतिक दल विज्ञान के रूप में उभर कर आया तथा चुनावी विश्लेषण को चुनाव विज्ञान की संज्ञा दी जाने लगी। हित व दबाव समूहों के बढते प्रभुत्व और लॉबिंग के माध्यम से राजनीतिक व्यवस्था में आऐ हस्तक्षेप ने राजनीति को राजनीति विज्ञान पर प्रभावशाली कर दिया। विश्व की कई अकादमीय संस्थाओं में औपचारिक तौर पर राजनीति विज्ञान के

स्थान पर राजनीति का प्रचलन होने लगा।

सूचना एवं संचार तकनीक (आई.सी.टी.) ने मीडिया व जन संपर्क साधनों के द्वारा राजनीति को और अधिक प्रचारित व प्रसारित करने का प्रयास किया।

वैश्वीकृत भारत व तकनीकी शब्दावली: एक बदलता परिवेश

भारतीय राजनीति में वैश्वीकरण अथवा भूमण्डलीकरण की शुरुआत वर्ष 1991 से मानी जाती है। विभिन्न समाजशास्त्री भारत में वैश्वीकरण के युग को परिवर्णी शब्द – एल. पी. जी. (LPG) के नाम से संबोधित करते हैं जिसका प्रत्येक अक्षर क्रमशः उदारीकरण, निजीकरण व भूमण्डलीकरण को दर्शाता है। विश्व स्तर पर भूमण्डलीकरण की प्रक्रिया न केवल आर्थिक व्यवस्थाओं के एकीकरण को प्रकट करती है बल्कि सामाजिक संरचनाओं व राजनीतिक संस्थाओं के समाकलन पर भी बल देती है। प्रसिद्ध समाजशास्त्री योगेश अटल (2001) भूमण्डलीकरण के युग को 'व्यक्ति, विचार व वस्तुओं के त्वरित प्रवाह' द्वारा उल्लेखित करते हैं।

समकालीन राजनीति में उदारीकरण नागरिक स्वतंत्रता, निजीकरण जन सहभागिता तथा वैश्वीकरण राजनीतिक एकीकरण को प्रकट करता है। भूमण्डलीकरण के युग में बाजार व्यवस्था ने आर्थिक प्रतिस्पर्धा को ग्लोबल से लोकल क्षेत्र तक हस्तांतरित कर दिया है। वैश्वीकृत व्यवस्था में नियामक राज्य का स्थान प्रतिस्पर्धात्मक बाजार ने ले लिया है। तथा सरकार की अवधारणा अब शासन व सुशासन शब्दों में परिवर्तित हो गई है। इन नए आयामों के प्रचलन व इनके विधिवत् प्रयोग में मीडिया, विशेषकर सामाजिक मीडिया जैसे फेसबुक, ट्विटर, वॉट्सऐप आदि ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

नवीन चुनौतियाँ

21वीं शताब्दी के वैश्वीकृत युग ने यदि राजनीति विज्ञान व राजनीति के समक्ष नए तकनीकी अवसर प्रदान किये हैं तो वहीं नवीन चुनौतियों को भी प्रस्तुत किया है। समकालीन राजनीति विज्ञान व प्रौद्यौगिकी में आई इस नई क्रांति से जूझ रही है। विषय के प्रयोग में हिंदी के प्रचार में अनायास ही अंग्रेजी शब्दों का विलय न केवल हिन्दी बल्कि भारतीय भाषाओं के लुप्त होने को भी इंगित करने लगा है। अंग्रेजी व हिन्दी का यह विलय तकनीकी शब्दावली को 'हिंगलिश' की ओर अग्रसर कर रहा है जिसके कारण हिन्दी का ह्रास हो रहा है तथा राजनीति विज्ञान विषय व राजनीतिक अवधारणाओं का क्षय होने लगा है।

विषय विज्ञान में वैश्वीकृत व्यवस्था ने 'विचार–समाचार' के रूप में एक अन्य चुनौती भी प्रस्तुत की है। प्रिंट व इलैक्ट्रॉनिक मीडिया ने विश्लेषण प्रस्तुतकर्ता के विचारों को ही समाचारों के रूप में प्रसारित करना शुरू कर दिया है। इस कारण से राजनीतिक विषयों में विभिन्न अवधारणाओं में अशिष्ट शब्दों का प्रयोग होने लगा है तथा विषय के आशय व भाव का पतन होने लगा है।

राजनीति विज्ञान व राजनीति में मूल शब्दों को लुप्त हुए बिना उनके भाव को प्रासंगिक बनाये रखना समकालीन समाज के समक्ष एक महत्वपूर्ण चुनौती है। वैश्वीकरण में एकीकरण की भावना तभी साकार हो सकती है जब परंपरावाद को आधुनिकता के साथ समायोजित करके अध्ययन किया जाये। विषय में पश्चिमीकरण का अंधानुकरण भारतीयता के पतन का परिचायक हो सकता है।

निष्कर्ष

समकालीन राजनीति में तकनीकी शब्दों का प्रयोग न केवल विषय की एकरूपता को प्रबलता प्रदान करता है बल्कि शब्दों को लुप्त होने से भी बचाता है। हमारा प्रयास यह होना चाहिए कि शब्दों की सुलभता व सहजता में उनकी आत्मीयता समाप्त न हो। 21वीं शताब्दी के वैश्वीकृत भारत में एक बार पुनः भारतीय भाषाओं के पुनर्जागरण व राजनीति की तकनीकी नवीनीकरण पर बल देने की आवश्यकता है।

❑❑❑

अनुवाद : भाषायी समन्वय का आधार

डॉ० सुरचना त्रिवेदी

अनुवाद की उपादेयता किसी से छिपी नहीं है, किंतु जब हम भाषाओं के समन्वय के संदर्भ में इसका मूल्यांकन करते है, तब यह अधिक महत्व का विषय बन जाता है। भाषायी समन्वय के द्वारा ही हम बहुभाषाभाषी जनता के मध्य अंतर्निहित नैसर्गिक एकता को प्रकट कर सकते हैं तथा अन्तरराष्ट्रीय सद्भावना और मैत्री को मजबूत कर सकते हैं, साथ ही साथ विश्व साहित्य की कल्पना को मूर्त रूप दे सकते हैं। अनुवाद एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम न केवल भाषायी समन्वय स्थापित करते हैं। अपितु सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक तथा व्यापारिक समन्वय भी स्थापित करते हैं। इस प्रकार 'वसुधैव कुटुम्बकम्' की अवधारणा को साकार रूप देने की दिशा में सार्थक कदम बढ़ाते हैं। डॉ० पूरनचंद टंडन भी मानते हैं –" अनुवाद पूरे संसार को आचार–विचारों, व्यापार वाणिज्य, अनुसंधान, दर्शन, शिक्षा, समाज, राजनीति, संस्कृति, परंपरा, आधुनिकता, रीति–रिवाज तथा आंचलिकता के अनंत संदर्भों में परस्पर बाँधने का उपकार करता है और यह पुनीतकार्य संसार की एक, दो या अधिक भाषाओं में बिना अनुवाद के संभव ही नहीं हो सकता।

अनुवाद के द्वारा ही विविध भाषाभाषी लोग एक दूसरे के, भाव, विचार, जीवनशैली आदि गतिविधियों से परिचित होते हैं, चाहे अनुवाद का रूप जो भी हो। कुछ विचारक अनुवाद को निम्न स्तर का कार्य मानते हैं कुछ लोगों के कथनानुसार छपे हुए कपड़े को उलटी तरह देखना है। किंतु अनूदित साहित्य की महत्ता मूल रचना से किसी भी रूप में कम नहीं होती है। मूल रचना जहाँ अपने भाषा क्षेत्र तक सीमित रहती है, उसका रसास्वादन वही लोग कर पाते हैं, जो उस भाषा के ज्ञाता होते हैं। अनुवाद कृति को उसके भाषा क्षेत्र से निकालकर अन्य भाषाभाषी लोगों के मध्य ले जाता है। यह एक ऐसा समन्वय सूत्र है, जो विविध भाषाओं के साहित्य को एक मंच पर उपस्थित करके, न केवल साहित्य की महत्ता के मूल्यांकन का अवसर देता है अपितु साहित्यकार को विश्व के श्रेष्ठ साहित्यकारों की सूची में शामिल कर देता है। अनुवादक अपने कठिन परिश्रम के द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में बहने वाली साहित्य रूपी सरिता को न केवल व्यापक स्वरूप प्रदान करता है, बल्कि सामान्य जनमानस तक पहुँचाकर कवि, कृति और अध्येता पर उपकार करता है। इस प्रकार कह सकते हैं कि अनुवादक साहित्य के प्रचार–प्रसार में महती भूमिका निर्वहन करने के साथ–साथ उसमें निहित जीवन मूल्यों को जनमानस तक पहुँचाकर साहित्यकार के उद्देश्य को सफल बनाता है। जैसा कि डॉ. नगेन्द्र ने स्वीकार किया है "अनुवाद–परंपरा निस्संदेह, वह विपुल विस्तारवाली सतत प्रवहमान भागीरथी है जो साहित्य के अमृत प्रयाण–मार्ग को उत्तरोत्तर प्रशस्त करती चलती है। इसीलिए कह सकते हैं कि अनुवाद की जीवनधारा देश–विदेश की संस्कृतियों के संपोषण और संवर्द्धन के लिए उतनी ही अनिवार्य है जितनी मौलिक कला–सर्जना।"

शरच्चन्द के श्रेष्ठ उपन्यासों का यदि हिन्दी अनुवाद न होता, तो हम उनकी लेखनी के इंद्रजाल के पाश में कैसे बँध पाते? अनुवाद साहित्य को उसके देशकाल की सीमा से बाहर निकालकर उस भाषा को न जानने वाले पाठकवर्ग से जोडता है। अनुवाद सांस्कृतिक समन्वय के साथ–साथ ऐतिहासिक समन्वय को भी स्थापित करता है। अनुवाद के द्वारा ही दो भिन्न भाषाभाषी लोगों के मध्य भाव संप्रेषण की प्रकिया फलीभूत होती है। भाषायी समन्वय के द्वारा ही मानसिक समन्वय की सृष्टि होती है। इस प्रकार दो भिन्न भाषाओं को बोलने वाले लोग एक दूसरे से जुडते हैं और एक दूसरे के धार्मिक, सामाजिक, सारंकृतिक आदि गतिविधियों से प्रभावित होते हैं। इस बात को एन० ई० विश्वनाथ अय्यर भी स्वीकार करते हैं– 'पाढियों के प्रभावित मानसिक गठन को बनने, बिगड़ने की शक्ति साहित्य में, चलचित्र में, समाचार में और धार्मिक भावना में है। मेरी विनम्र सम्मति में मानसिक समन्वय स्थापेत करने का एक सशक्त साधन अनुवाद हैं। अनुवाद का ही प्रभाव है, कि महापुरूषों के विचारों से केवल एक क्षेत्र अथवा समय विशेष की परिधि में बँधे हुए लोग ही प्रभावित नहीं होते हैं, बल्कि संपूर्ण संसार उनकी अमृतवाणी से अपने को पुनीत करता है। कुरान, बाइबल, रामायण, गुरूग्रंथसाहिब आदि ग्रंथों में निहित ज्ञान–विज्ञान, जीवन–दर्शन आदि अनुवाद के द्वारा ही जन–जन तक पहुँचते हैं। इस प्रकार कहा जा सकता है कि यदि भाषा भावों और विचारों की अभिव्यक्ति का माध्यम है, तो अनुवाद व्यक्त भावों और विचारों के प्रसारण का साधन है। दो भाषाओं के मध्य पाई जाने वाली विभिन्न प्रकार की असमानताओं के मध्य समता का निरूपण अनुवाद के माध्यम से ही होता है। तुलनात्मक पद्धति ही इस कार्य में विशेष लाभकारी

हो सकती है। इस प्रकार दो भिन्न–भिन्न भाषाओं के साहित्य के तुलनात्मक अध्ययन के लिए अनुवाद की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। उदाहरण स्वरूप शेक्सपियर और कालिदास के नाटकों का तुलनात्मक अध्ययन करने के लिए किसी एक का दूसरे में अनूदित होना अनिवार्य हो जाता है। इस प्रकार अनुवाद दो भाषाओं के मध्य पाई जाने वाली समता और विषमता का ही निरूपण नहीं करता है, बल्कि साथ ही साथ साहित्य की विधाओं के मध्य अन्तर्सम्बन्धों को दर्शाते हुए अलग–अलग भाषाओं के साहित्यकारों के मध्य पायी जाने वाली एकरूपता का भी उद्‌घाटन करता है। अनुवाद दो साहित्यकारों के तुलनात्मक अध्ययन में भी सहायक होता है तथा साहित्यकार और उसकी कृति का मूल्यांकन करने के साथ ही उसके, समाज और राष्ट्र की ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, वैज्ञानिक गतिशीलता का मापन भी करता है। जैसा कि डॉ० नगेन्द्र ने भी स्वीकार किया है–" अनुवाद साहित्यिक और सांस्कृतिक वैभव से अधिकाधिक प्रस्फुटित होने का पर्याप्त अवसर देता है।" भारत जैसे विशाल देश में अनुवाद की महत्ता इसलिए अधिक बढ़ जाती है, क्योंकि विभिन्न प्रांतों की अपनी अलग राजभाषा है, जिससे वे अपना राजकीय कामकाज करते हैं। आज हमारे देश में अट्‌ठाईस राज्य और सात केन्द्र शासित प्रदेश हैं। उत्तर के दस हिन्दी भाषी राज्यों को छोड दें तो शेष सभी राज्यों की अपनी अलग भाषा है। भाषा भिन्नता के कारण कहीं न कहीं इन राज्यों के मध्य एक विभेदक रेखा बनती है। जिसकी समाप्ति हेतु अनुवाद एक सशक्त माध्यम है। अनुवाद के द्‌वारा ही हम विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं को राष्ट्रीय मानक भाषा हिन्दी से जोड़ देते हैं। जैसा कि जी० गोपीनाथ का कथन है "भारत जैसे बहुभाषा भाषी देश में अनुवाद की उपादेयता स्वयं सिद्‌ध है। भारत के विभिन्न प्रदेशों के साहित्य में निहित मूलभूत

एकता के स्वरूप को निखारने के लिए अनुवाद एक मात्र अचूक साधन है"। भारत जैसे विशाल देश में भाषा की समृद्‌धि किसी से छिपी नहीं है। शायद ही कोई ऐसा देश होगा, जहाँ इतनी अधिक भाषाओं का प्रयोग वहाँ के निवासियों द्‌वारा किया जाता है। वर्तमान में भारतीय संविधान की आठवीं अनुसूची में बाईस भाषाओं को स्थान दिया गया है। इसके इतर अन्य कई साहित्यिक भाषाएँ और भी हैं जो अपने क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने के साथ अपने विशिष्ट गुणों के कारण अपना महत्व रखती हैं। जिसमें तमिल, तेलुगू, मलयालम, कन्नड़, उड़िया, बँगला, असमिया, पंजाबी, मराठी आदि हैं। इन क्षेत्रीय भाषाओं में रचे गए साहित्य में स्थानीय जीवन शैली, सामाजिकता, धार्मिकता आदि का प्रभाव प्रांतीय महत्ता को प्रकट करता है। यह साहित्य महत्ता हमारे देश की दुर्बलता का परिचायक न होकर समृद्‌धि का द्‌योतक है। प्रांतीय जीवनदर्शन में समरूपता का अभाव साहित्यिक सीमारेखा का निर्धारण करता है। विभिन्न भारतीय भाषाओं के अनुवाद के माध्यम से सभी भाषाओं में उपलब्ध कराने का कार्य जितना अधिक व्यापक पैमाने पर होगा, उतना ही हमारे देश का साहित्य उच्च शिखर पर प्रतिष्ठित होगा, क्योंकि किसी भी भाषा के साहित्य की श्रेष्ठता उसमें निहित जीवन के नैतिक मूल्यों से होती हैं। जीवन के नैतिक मूल्य क्षेत्र और काल के अनुसार परिवर्तित होते रहते हैं। उच्च नैतिक मूल्यों के लिए हमें विभिन्न क्षेत्रों और विभिन्न भाषाओं के साहित्य का अध्ययन आवश्यक हो जाता है।

प्रत्येक भाषा और उसमें उपलब्ध साहित्य के विकास की गति हमेशा एक समान नहीं रहती है। भारतीय भाषाएँ भी इससे पूर्णतः मेल खाती हैं। परस्पर अनुवाद प्रक्रिया से ही हम भारतीय भाषाओं और उसमें उपलब्ध साहित्य के विकास की गति में

एकरूपता ला सकते हैं, साथ ही भारतीय भाषाओं और उनके साहित्य में अनुसंधान की प्रक्रिया को तीव्र कर सकते हैं। विडंबना ही कहा जाएगा कि अनुवाद की प्रक्रिया अंतर्प्रान्तीय भाषाओं के मध्य उतनी तीव्र नहीं है, जितनी पाश्चात्य साहित्य अंग्रेजी और आधुनिक भारतीय साहित्य हिंदी और उर्दू के मध्य। देश के साहित्य की समृद्धि के लिए अंतर्प्रान्तीय भाषाओं के मध्य अनुवाद की प्रक्रिया को तीव्र करना होगा। इस संबंध में साहित्य सेवियों को भी व्यापक पैमाने पर कार्य करने की महती आवश्यकता है।

❑❑❑

विविध स्तंभ

ज्ञान चर्चा – ।
शरीर शुद्धिकर फल : नींबू

सतीश चन्द्र सक्सेना

नींबू के सामान्य गुणों से हम सभी परिचित हैं। भोजन या सलाद आदि में कुछ बूंदे नींबू के रस से उसका स्वाद बढ़ जाता हैं। नींबू बारहमासी फल है और इसकी खेती लगभग सारे देश में होती है। शीत ऋतु में यह फल प्रचुरता से पाया जाता है और उसकी गुणता भी अच्छी होती है। नींबू की कई किस्में ज्ञात हैं। कागजी नींबू अर्थात् पतले छिलके वाला नींबू अच्छा माना जाता है। आजकल बिना बीज वाले नींबू की भी खेती होती है। किस्म कोई भी हो, गुण सभी किस्मों के समान होते हैं।

नींबू सिट्रस कुल का सदस्य है। सिट्रस कुल के अन्य सदस्य सन्तरा, मौसमी, कीनू व माल्टा फल आदि हैं। इन सभी में विटामिन C पर्याप्त मात्रा में पाया जाता हैं। नींबू का वानस्पतिक नाम (botanical name) सिट्रस लिमोनिया (citrus limonia) तथा कागजी नींबू का वानस्पतिक नाम (citrus medica) है। ग्रीष्म ऋतु में नींबू की शिकंजी स्फूर्तिदायक पेय के रूप में प्रचलित है।

नींबू की तासीर (प्रभाव) न अधिक गर्म और न अधिक ठंडी होती है। यह उत्तम जठराग्नि वर्धक पित्त व वात शामक है तथा

रक्त, हृदय व यकृत (liver) की शुद्धि करने वाला है। साथ ही यह कृमिनाशक (womicide) तथा पेट के लिए भी हितकारी है। हृदय रोगों के उपचार में यह अंगूर से भी अधिक लाभकारी सिद्ध हुआ है। इसमें प्रचुर मात्रा में उपलब्ध विटामिन C हमारे शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र (immunity system) को सुदृढ़ बनाता है।

आधुनिक खानपान, मानसिक तनाव एवं प्रदूषित वातावरण से शरीर में सामान्य मात्रा से कहीं अधिक अम्ल (acid) उत्पन्न होता है। जिससे शरीर पर होने वाले प्रभाव अत्यंत हानिकर होते हैं। आजकल विशेषकर महानगरों में जिसे देखो वही अति अम्लता (hyper acidity) अर्थात् जिसे सामान्य भाषा में "एसिडिटी" कहा जाता है", से ग्रस्त है। इसके कारण अपच, भूख न लगना, खट्टी डकारों का आना, सीने में जलन या बेचैनी आदि की शिकायत होती है। इतना ही नहीं अतिरिक्त अम्ल कोशिकाओं को क्षति पहुंचाकर असमय में ही बुढ़ापा ला सकता है और आयु संबद्ध अनेक रोग हावी हो सकते हैं।

नींबू के बारे में भ्रांति है कि स्वाद में खट्टा होने के कारण इसके सेवन से अतिरिक्त अम्लता उत्पन्न होती है। वस्तुस्थिति इसके विपरीत है। पाचन के उपरांत नींबू का प्रभाव मधुर हो जाता है और यह माधुर्य अम्लता को आसानी से नष्ट कर देता है। एक गिलास गर्म जल में एक नींबू व 15–20 तुलसी के पत्तों का रस मिलाकर सप्ताह में 2–3 बार पीने से शरीर में संचित आविषता (toxicity), हानिकर जीवाणु और यहाँ तक कि शरीर की अतिरिक्त चर्बी में भी पर्याप्त कमी आती है और विभिन्न रोगों से रक्षा होती है।

डा० रेड्डी मेलर के अनुसार "कुछ ही दिनों तक नींबू का सेवन रक्त को शुद्ध करने में सहायक होता है। शुद्ध रक्त शरीर को स्फूर्ति प्रदान कर शरीर की मांसपेशियों को शक्ति देता है।"

नींबू के अन्य औषधीय प्रयोगः

1. अति अम्लता : नींबू पानी में मिश्री व सैंधा नमक मिलाकर पीने से आराम मिलता है। यदि रोग पुराना हो तो गुनगुने जल में एक नींबू निचोड़कर प्रातः खाली पेट नियमित रूप से कुछ दिनों तक लेना चाहिए।

2. पेट में विकार : भोजन से पूर्व नींबू, अदरक व सैंधा नमक के सेवन से भोजन के प्रति अरुचि, भूख में कमी, गैस, कब्ज, मचली व पेट दर्द में लाभप्रद है।

3. अतियुरिक अम्ल निवारण : राजमा, उड़द की दाल, पनीर जैसे अधिक प्रोटीन युक्त पदार्थों के अति सेवन से शरीर में यूरिक अम्ल की मात्रा में वृद्धि हो सकती है जिससे जोड़ों में दर्द (संधि शोथ) व गठिया आदि हो सकते हैं। सुबह खाली पेट गुनगुने पानी में नींबू के रस के सेवन से अतिरिक्त यूरिक अम्ल मूत्र मार्ग से निकल जाता है।

4. मुहँ की दुर्गंध व अन्य रोग : नींबू मुँह में जीवाणुओं की वृद्धि को रोकता है। भोजन के बाद नींबू पानी से कुल्ला करने से मुँह की दुर्गंध दूर होती है।

विटामिन C की कमी के कारण स्कर्वी रोग हो सकता है जिससे मसूड़े स्पंजी हो जाते हैं। और उनसे खून आने लगता है और दांत हिलने लगते हैं। नींबू के सेवन से व नींबू रस मिश्रित गुनगुने जल से कुल्ला करने पर लाभ होता है। नींबू के छिलके को मसूड़ों पर रगड़ने से मवाद (पस) आना भी बंद हो जाता है।

5. पेशाब में जलन : मिश्रीयुक्त नींबू पानी लाभप्रद होता है।

6. हैजा : नींबू का रस हैजे के जीवाणुओं को नष्ट करने में सहायक होता है।

उपवास के दिन गुनगुने जल में नींबू का रस व शहद मिलाकर पीने से शरीर की शुद्धि होकर स्फूर्ति आती है।

सेवनीय नींबू रस की मात्रा 5 से 10 मि.ली. होनी चाहिए।

अतः संदेश यह है कि शरीर के अनेक साधारण रोगों के लिए नींबू प्राथमिक चिकित्सा के रूप में घरेलू डॉक्टर की भूमिका का निवर्हन करता है।

❑❑❑

ज्ञान चर्चा – II
गुणों से भरपूर फल – केला

सतीश चन्द्र सक्सेना

सही पका हुआ केला खाने से पर्याप्त स्वाद ही नहीं अपितु यह स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होता है। इतना ही नहीं पोषक तत्वों से भरपूर होने के कारण यह हमें कई रोगों से बचाता है। केले के बारे में जानिए कुछ रोचक तथ्य।

हरा हो या पीला केले का स्वाद लगभग हर किसी को पसंद आता है। कच्चे केले की सब्जी बनती है जो कि अति स्वादिष्ट होती है। केले का आप किसी रूप में सेवन करें इसका पौष्टिक मान हर रूप में फायदेमंद है। केले के मिल्कशेक से हम सभी परिचित हैं। दक्षिण भारत में केले के तले हुए चिप्सों का बहुत अधिक प्रचलन है। केला वैसे तो बाजार में बारह महीने मिलता है। लेकिन वसंत और गर्मियों के मौसम में उपलब्ध केला

सबसे अच्छा माना गया है। केले का वानस्पतिक नाम मूसा पेराडिसयाका (Musa Paradisica) है।

केला क्यों खाएं?

केले में प्रोटीन, विटामिन और खनिज पदार्थों का अनोखा मिश्रण होता है। इसमे पानी और नमक की मात्रा कम होती है। इस कारण यह रक्तदाब को नियंत्रण में रखता है। इसमें उपस्थित शर्करा, पौष्टिक तत्वों से होने वाली रासायनिक अभिक्रियाओं और सेहत बनाने में सहायक होती है। इतना ही नहीं केला आंत की प्रक्रियाओं को भी सामान्य करता है। यह हृदय रागों के जोखिमों को भी कम करता है। इसमें पाया जाने वाला पोटैशियम, अस्थियों को भी सुदृढ़ रखता है। जब इतने सारे गुण इस फल में हैं, तो यह आपके आहार में शामिल होने का हकदार निश्चित रूप से है।

तत्काल ऊर्जा का खजाना :

पोटैशियम के अतिरिक्त केला, शर्करा और रेशों का उत्तम स्रोत है। इसके अलावा केले में थाइमिन, नियॉसिन और फॉलिक अम्ल के रूप में विटामिन B कम्प्लैक्स के सदस्य होते हैं। इसमें विटामिन A भी पाया जाता है। यही कारण है कि केला खाने के बाद तुरन्त ऊर्जा का संचार होता है। प्रोफेसर सी. एन. राव ने अपनी सुविदित पुस्तक "Understand chemistry" में केले को "ऊर्जा का स्रोत कहा है। दोपहर के भोजन के बाद यदि एक केला खा लिया जाए तो खाना शीघ्र पचता है। एक केले से लगभग 200 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। प्रातः नाश्ते में दूध और केला एक अच्छा संयोजन है। ऊर्जा का पावर हाउस कहा जाने वाला केला, वसा मुक्त (Fat Free) है। केले का छिलका उतारने के बाद तुरन्त खा लेना चाहिए और शीघ्र पानी नहीं पीना चाहिए। अपेक्षाकृत सस्ता होने के कारण यह गरीबों का फल अर्थात् इसे

"गरीब परवर" की संज्ञा दी जाती है। केले के साथ इलायची खा लेने से केला आसानी से पच जाता है।

कब्ज में केला :

रेशा युक्त होने के कारण केला कब्ज का निवारण भी करता है। केले के गूदे में नमक डालकर खाने से अतिसार में भी आराम मिलता है।

जब कभी आप तनाव में हों और आपका उपापचयी दर (Metabolic rate) कम और शरीर में पोटैशियम स्तर भी कम हो रहा हो तो केला खाना लाभप्रद रहेगा। क्योंकि, केले में उपस्थित पोटैशियम मस्तिष्क के लिए अच्छा माना गया है। इस कारण पोटैशियम को "ब्रेन फूड" कहा जाता है। शरीर में यदि लौह तत्व की कमी हो तो केले के नियमित सेवन से हीमोग्लोबिन स्तर में भी सुधार होता है।

केले का रखरखाव

केला जल्दी खराब होने वाला फल है। इसे 3–4 दिन से अधिक घर में रखना संभव नहीं है। केले में कीटों से संक्रमण भी अधिक होता है। इसलिए जब भी केला खरीदें तो यह अवश्य सोचें कि इसे आपको तुरंत इस्तेमाल करना है या दो तीन दिन तक रखकर खाना है। अगर रखकर खाना है तो थोड़ा कच्चा केला ही खरीदें। केला लेते समय यह भी देखें कि उसमें अधिक काले धब्बे तो नहीं हैं। केले को कमरे में खुला ही रखें और उसे सूर्य के सीधे प्रकाश से भी बचाएं। केलों को कभी भी फ्रिज में न रखें अन्यथा वे काले पड़ जाएंगे।

केले को पॉलिथीन की थैली में बांधकर न रखे। हवा न लगने के कारण पॉलिथीन की थैली के अंदर उत्पन्न नमी से केला खराब हो जाता है। अगर आपने कच्चा केला खरीदा है तो इसे अखबार के कागज में या ब्राउन पेपर में लपेट कर रखें।

साथ में सेब या टमाटर रखने से भी केला जल्दी पक जाता है। अगर केला गुच्छे में हो तो किसी खूंटी आदि के सहारे से टांग दें। टोकरी में केलों को इस प्रकार रखे कि उनमें हवा लगती रहे। हवा न लगने से काले पड़ने के साथ गल भी जाएंगे। छीलने के बाद यदि आपको केला रोग ग्रस्त प्रतीत हो तो उसे न खाएं। यदि आप ऊपर बताए गये निर्देशों के अनुसार केलों को रखेंगे तो गर्मियो में दो –तीन दिन तक और सर्दियों में 3–4 दिन तक सुरक्षित रख सकेंगे।

❑❑❑

ज्ञान चर्चा – III
इमली, गुणों की खान

सतीश चन्द्र सक्सेना

अपने खट्टे–मीठे स्वाद के कारण इमली हमारे देश में अत्यन्त लोकप्रिय एवं प्रचलित है। इमली के बिना चटपटे व्यंजनों की कल्पना नहीं की जा सकती। मुख्य बात यह है कि इमली के गुणों के बारे में सामान्य जन को अधिक जानकारी नहीं है। आइए जानें:

• इमली में बहुत अधिक मात्रा में अम्ल, शर्करा, विटामिन बी तथा आश्चर्यजनक रूप से कैल्सियम होता है।

• इमली लगभग सभी प्रकार के हानिकारक जीवाणुओं के विरूद्ध प्रभावी है।

• उदर रोग, शारीरिक दर्द, पीलिया आदि में इमली की

ताजी पत्तियों और ताजी छाल की चटनी में पोटाश डालकर सेवन करने से आराम मिलता है। साथ ही यह चटनी त्वचा को साफ रखने और खून को साफ करने में सहायक है।

• इसके फल का रस प्रतिरोधी (एंटीसेप्टिक) की तरह कार्य करता है और मसूढ़ों की सूजन व खांसी में लाभकारी होता है।

• हृदय को रोगों से दूर रखने में इमली की भूमिका का उल्लेख आयुर्वेद में भी किया गया है।

• कुछ प्रयोगों और अध्ययनों से यह तथ्य सामने आया है कि इमली रुधिर में कॉलेस्टेरॉल की मात्रा घटाती है और शर्करा का स्तर भी कम करती है।

दमा (अस्थमा), कंजंक्टिवाइटिस (आँख आना), कब्ज, अतिसार (डायरिया), पेचिश, यकृत (जिगर) के रोगों, लू लगना आदि कई बीमारियों में इमली लाभकारी है।

• इमली अस्थियों में से फलुओराइड को निकालकर फ्लुओरीनमयता(फ्लुओरोसिस) रोग को रोकती है। दक्षिण भारतीय भोजन में इमली का भरपूर प्रयोग उत्तर भारत में चर्चा का विषय रहा है। पिछले कुछ दशकों में हुए शोधकार्य से यह बात सामने आई है कि दक्षिण भारत की नदियों व कुओं आदि में फ्लुओरीन की मात्रा सामान्य से अधिक होती है। शायद हमारे पूर्वजों ने अनुभव से इस बात को समझा और समस्या के निवारण के लिए दैनिक भोजन में इमली का समावेश किया।

इमली का वानस्पतिक नाम (टैमिरिन्डस इंडिका) (Tamarindus Indica) है।

❑❑❑

इस अंक के लेखक

1. सुश्री प्रतिभा गौतम – श्री लालबहादुर शास्त्री
राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठम्,
नई दिल्ली–110016
M - 08800170901

2. डॉ. राजेश सिंह – ग्राम– बरुआ कालिंजर
तहसील–नरैनी, जिला–बांदा
पिन–210129

3. श्री आशीष जायसवाल – डी I-ए/115
डी ब्लाक, जनकपुरी,
नई दिल्ली – 110058

4. डॉ. आर. पी. पाठक – आचार्य, शिक्षा शास्त्र विभाग
श्री लालबहादुर शास्त्री राष्ट्रीय
संस्कृत विद्यापीठ,
नई दिल्ली – 110016

5. राजेन्द्र कुमार गुप्त – शोध छात्र, शिक्षाशास्त्र विभाग,
साईंनाथ विश्वविद्यालय कैम्पस,
राँची, (झारखंड)

6. डॉ. श्री प्रकाश सिंह – एसोसिएट प्रोफ़ेसर,
राजनीति विज्ञान विभाग
श्री अरविंद महाविद्यालय,
दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली
M - 09899400737

7. डॉ. विनोद कुमार सिन्हा – ग्राम एवं पोस्ट बेलाही
नीलकंठ वाया अथरी,
जिला – सीतामढ़ी
पिन – 843311
M - 09934679796

8. श्री सुनील के. चौधरी – एसोसिएट प्रोफ़ेसर
राजनीति विज्ञान विभाग,
श्याम लाल कॉलेज
(सांध्य) शाहदरा,
दिल्ली- 110032

9. डॉ. सुरचना त्रिवेदी – असि. प्रोफेसर (संस्कृत)
भगवानदीन आर्य कन्या
महाविद्यालय
लखीमपुर – खीरी (उ. प्र.)
M - 09451239160

10. श्री सतीश चन्द्र सक्सेना – बी बी – 35 एफ, जनकपुरी
नई दिल्ली – 110058

❑❑❑

मानक शब्द-भंडार

(पत्रकारिता एवं मुद्रण शब्दावली)

gelatine transfer (P.P.)	जिलेटिन अंतरण प्रक्रिया
gel-setting ink	जेल स्थापक स्याही
general magazine	सामान्य पत्रिका
general news copy	सामान्य समाचार लिपि
general release	आम प्रदर्शन
geography paper	मानचित्र–कागज
ghosts (= repeats)	परछाप
ghost writer	अन्यार्थ लेखक
gilt edge	सुनहरी किनारा
glamour	दीप्ति
glarimeter (P.P.)	ग्लैरीमीटर, चमकमापी
glassiness (P.P.)	काचाभता
glass paper	रेगमाल
glaze	चमक
glazed board	चमकदार गत्ता
glazed imitation parchment	चिकना नकली चर्म–पत्र
glazed paper	चमकीला कागज
glazer (I.&B.)	ओपकार
glazing felt	चमकदार नमदा
glossy	चमकदार

glossy finish	चमकदार परिष्कार
glossy ink	चमकदार स्याही
glue	सरेस
gold paper	सुनहरा कागज
gold tooling	सुनहरा दाब–छपाई
goodwill (for news paper)	सुनाम, साख
gossip column	गपशप स्तंभ
gossip para	गपशप पैरा
governmental news	सरकारी समाचार
graduated slot	अंशांकित खांचा
grain	कण, दाना
grain direction	दाने की दिशा, कण–दिशा
grained paper	दानेदार कागज
grainy edge	खुरदरा किनारा
gramophone	ग्रामोफोन
gramophone record (I.&B.)	ग्रामोफोन रिकार्ड
grapevine	जनप्रवाद
graphic art	आलेखी कला, मुद्रण कला
grapheme	लेखिम
graphite paper	ग्रेफाइट कागज
graphotype	ग्राफोटाइम मशीन
gravure	ग्रेव्यूर
gravure, photo	फोटो ग्रेव्यूर

gravure, roto	रोटोग्रेव्यूर
greaseproof paper	ग्रीजसह कागज, चिकट–सह कागज
greasy paper	चिकटी कागज
green copy	पहली मशीन प्रति, हरित प्रति
green proof	कच्चा प्रूफ
greeting card	शुभकामना कार्ड
grip edge	पकड़ कोर
gripper bar	पकड़ छड़
gripper bite (P.P.)	पकड़–दंश
gripper edge (P.P) (=front lay)	पकड़ कोर
gripper lever switch (P.P.)	पकड़ उत्तोलक स्विच
gripper mechanism (P.P.)	पकड़ यांत्रिकत्व
gripper pin bracket (P.P.)	पकड़–पिन बंधनी
gripper pin lever (P.P.)	पकड़–पिन उत्तोलक
gripper shaft (P.P)	पकड़ शैफ्ट
gripper spring (P.P.)	पकड़–कमानी
gripper tension (P.P.)	पकड़ तनाव
gripper tumbler (P.P.)	पकड़–टम्बलर
groove	खांच
groundwood pulp	पिष्ठ काष्ठ लुगदी, पिसी लकड़ी की लुगदी

group discount	सामूहिक बट्टा, सामूहिक छूट
group interview	सामूहिक भेंट
grub screw	ग्रब पेंच
guidance point (I.&B.)	मार्ग निर्देश (विंदु)
guide	नियामक
guide book	संदर्शिका, गाइड पुस्तक
guide line	संकेत पंक्ति, निर्देशक रेखा
guide roller (= cylinder ride roller) (P.P.)	नियामक रूला
guide tongue (P.P.)	नियामिका
guide track (P.P.)	संकेतन ध्वनि
guillotine	गिलोटिन (कटाई मशीन)
gummed paper	गोंदी कागज
gutta-percha	गटा–पर्चा
gutta-percha overlay	गटा–पर्चा ऊपरी गद्दी
gutter	गुटका, गटर, पीठ–उपांत
guttering	गुटका भरना
gutter journalism	गंदी पत्रकारिता, काली पत्रकारिता
hack	भाड़े का लेखक
Hadego (P.P.)	हैडगो मशीन
hair line	बारीक रेखा

hair curling paper	केश कुंचन कागज
hair line box	बारीक रेखा चौखटा
halation (I.&B.)	प्रभाविकिरण
half bound	अधमढ़ा
half large (P.P.)	अद्धा
half-plate paper	काष्ट चित्र कागज
half sheet work	अर्ध पन्ना कार्य, अधपन्ना कार्य
half stick	अर्धकालमी
half title paper	संक्षिप्त पृष्ठ शीर्ष
halftone paper	हाफटोन कागज, अर्धछाया कागज
halftone screen	हाफटोन जाली
halo	परिवेश, प्रभामंडल
hambro	हैमब्रो (कागज का प्रकार)
hand addressing	हस्त पतालेखन
hand bill	परचा, पत्रक
hand composition	हस्त अक्षर–योजन, हाथ–कंपोज
hand-copied manuscript	हस्तलिखित पांडुलिपि
hand cut	हाथ–कटाई वाला
hand cutting	हाथ–कटाई
hand-engraved	हस्त–तक्षित

hand letteed	हस्तांकित
hand lettering	हस्तांकन, हथलिखाई
hand made paper	हथबना कागज
hand operation	हस्त–चालन
handouts	विज्ञप्ति–पत्रक
hand press	हाथ–प्रेस
hand proof	हैन्ड प्रूफ़
hand roller (P.P.)	हथ रूलर
hand-set (P.P.)	हस्तयोजित, हाथ–कम्पोजी
hand-set weekly	हाथ कंपोजी साप्ताहिक
hand sewing	हथ सिलाई
hand sizing (P.P.)	हथ लेपन
hanger (P.P.)	1. हैंगर, ताव लटकाने वाला (व्यक्ति) 2. अनुमहाशीर्ष
hanger card poster	लटकन कार्ड इश्तहार
hanger indent	छज्जा हाशिया
hanging indention	लटकन हाशिया
hangings	आधार कागज
hard focus (I.&B.)	तीखा फोकस
hand news	कोरा समाचार
hard packing (P.P)	कड़ा अस्तर
hard paper	कड़ा कागज

harmony (I. & b)	सामंजस्य समरसता
head	शीर्ष
head, air cushion	वायु–तल्प–शीर्ष
head, blanket	सर्वछादी शीर्ष
head, drop	अनुमहाशीर्ष
head, jump	शेषांकन शीर्ष
head, label	लेबल शीर्ष, विवरण शीर्ष
head, running	चलशीर्ष
headband	अभिशीर्ष पट्टी
head edge	शीर्ष–उंपात
heading	शीर्षक
head line	1. मुख्य समाचार 2. शीर्षक 3. शीर्ष
head liners (of today)	(आज के प्रमुख व्यक्ति
head margin	शीर्ष हाशिया
head to come	शीर्षक बाद में आएगा, शीर्षक आना है
heat drier	गरम सोख्ता
heavier news style	बोझिल समाचार शैली
hectograph (P.P)	हेक्टाग्राफ
helix	कुंडलिनी
hell box	पाईपेटी

7 –169 मिनि. ऑफ एच.आर.डी./2015

heter skelter make up	अस्त व्यस्त रूप सज्जा
hempel quoin (P.P)	पच्चड़
hero (I. & B.)	नायक
heroine	नायिका
Heyer addresser	हेयर पतालेखित्र
highlight halftone	तीव्र प्रकाश अर्ध छाया
high lights (I. & B.)	विशिष्ट कार्यक्रम, विशिष्टताएं
hinge	कब्जा, हिन्ज
hinged action platen (P.P)	कब्जा, चाल प्लेटन
hoarding	प्रचार, पटल
hobby	रूचिकर्म, हॉबी
hold for release	मुद्रण रोक रखो
holding	धारण काल
holding bolt (P.P)	आधार काबला
holdover audience	पूर्वागत श्रोता
hold press	प्रेस रोको, छपते छपते
hole	रिक्त–स्थान
holiday story	अवकाश समाचार
holing	वेधन
home journal	घरेलू पत्रिका
Hooven letter	हूवन अक्षर
horn of side frame (P. P)	पार्श्व फ्रेम–नोक

horse (P.P)	घोड़ी
hosiery paper	होजरी कागज
hot news	गर्मागर्म समाचार, गरम खबर
hot rolled (P.P)	गरम वेल्लित
hot type	ढला टाइप
hours	कार्य घंटे
house magazine	संस्था पत्रिका
house organ (=house journal or magzine)	मुखपत्र, संस्थापत्र
how lead	'कैसे, कथामुख
H-shaped	H–नुमा
hue	वर्ण
human interest feature	मनोरोचक रूपलेख, मर्मस्पर्शी रूपलेख
human interest sketch	मर्मस्पशी, शब्दचित्र, मनोरोचक शब्दचित्र
humour column (or colyum)	हास्य स्तंभ
humourous features	हास्य रूप लेख
hydrated cellulose (P.P)	जलयोजित सेलुलोस
hydration	जल योजन
hydraulic bed plate (P.P)	द्रव चालित तल पट्टी
hydro-cellulose (P.P)	जलीय सेलुलोस

hygroscopic	आर्द्रताग्राही
hygroscopic paper	आर्द्रताग्राही कागज
hyphen	समास–चिह्न, हाइफन
ice paper	हिम कागज
iconoscope	मूर्तदर्शी कैमरा
idealistic	आदर्शवादी
identity card	पहचान पत्र
(I.F.W.J) (Indian Federation of Working Journalist)	अखिल भारतीय श्रमजीवी पत्रकार संघ
illustrated article	सचित्र लेख
illustrated feature	सचित्र रूपलेख, सोदाहरण रूपलेख
illustrated letter paper	सचित्राक्षर कागज
illustrated talk (I. & B)	सोदाहरण वार्ता
illustrating board	चित्रण पट्ट
illustration	उदाहरण, चित्र
imagic (P.P)	तैलबिंब प्रक्रिया
imitation	अनुकरण
imitation art paper	नकली आर्ट कागज, नकली चित्र कागज
imitation chromo board	नकली क्रोम गत्ता
imitation kraft	नकली बांसी कागज
imitation parchment paper	नकली पार्चमेंट कागज

imitation press board	नकली ठोस गत्ता
immature paper	कच्चा कागज
immunity	निरापदता, उन्मुक्ति
impartiality	निष्पक्षता
imperial	इंपीरियल (कागज का आकार)
imprsonal job	व्यक्ति निरपेक्ष कार्य
impersonal juournalism	व्यक्ति निरपेक्ष पत्रकारिता
impose	पृष्ठयोजन, इंपोज
imposed	पृष्ठयोजित, इंपोजित
imposition	पृष्ठयोजन करना, इंपोज करना
imposition stone (=imposition table) (P.P)	पृष्ठयोजन मेज, इंपोज मेज
impregnated paper	मोमिया कागज
impresario	प्रस्तुतकर्ता
impressed water mark	अंकित जलांक
impression	1. छाप, दाब, टान 2. प्रतिमुद्रा
impression, blind	अंधी छाप
impression cylinder	दाब बेलन
impression fault	दाब–दोष
impressionistic writing	प्रभाववादी लेखन

impressionlocking nut (P.P)	दाब–बंधनी ढिबरी
impression nut (P.P)	दाब–ढिबरी
impression paper	छाप कागज
impression rod sleeve (P.P)	दाब छड़ स्लीव
impression spring (P.P)	दाब कमानी
impression table (P.P)	दाब पीठ
imprint	छाप चिह्न प्रकाशन विवरण
imprinting	अनुमुद्रण
impromptu (I. & B)	आशु
improvisation (I. & B)	1. आशु रचना 2. तात्कालिक व्यवस्था
improvised (I. & B.)	1. आशु रचित 2. काम चलाऊ
in and in (=lapped)	परिवेष्टित, तहाया
incandeseent lamp (I.&B)	तापदीप्त लैम्प

❑❑❑

लेखकों से अनुरोध

'ज्ञान गरिमा सिंधु' एक त्रैमासिक पत्रिका है जिसमें मानविकी तथा सामाजिक विज्ञान विषयों से संबंधित लेख प्रकाशित होते हैं। इस पत्रिका का उद्देश्य हिंदी में अध्ययन करने वाले छात्रों के लिए मानविकी और सामाजिक विज्ञान विषयों से संबद्ध उपयोगी एवं नवीनतम मूल पाठप्रधान तथा पूरक साहित्य को लोकप्रिय बनाना है। यह पत्रिका मिले-जुले प्रकार की है जिसमें तक़नीकी लेख, शोध-लेख, तकनीकी निबंध, मॉडल शब्दावलियाँ तथा परिभाषा-कोश, कविताएँ और मानविकी से संबंधित कहानियाँ, सामाजिक विज्ञान, व्यंग्य चित्र, तकनीकी सूचना, तकनीकी समाचार, पुस्तक-समीक्षा आदि से संबंधित सामग्री प्रकाशित की जाती है।

(i) पत्रिका के लिए भेजी गई पांडुलिपियाँ/लेख मौलिक और अप्रकाशित होने चाहिए। वे केवल हिंदी में होने चाहिए।

(ii) लेखकों को सलाह दी जाती है कि वे सामयिक विषयों/मुद्दों पर लेख भेजें।

(iii) लेख सरल और बोधगम्य भाषा में होने चाहिए।

(iv) लेख में अधिक से अधिक 4,000 शब्द होने चाहिए।

(v) लेख A-4 आकार के कागज पर एक तरफ डबल स्पेस में सफाई से टंकित किया गया या हाथ से स्पष्ट/सुपाठ्य लिखा गया होना चाहिए और दोनों तरफ पर्याप्त हाशिए छोड़े गए होने चाहिए।

(vi) लेख का सार-संक्षेप भी इसके साथ अवश्य भेजा जाना चाहिए।

(vii) लेखों में आयोग द्वारा निर्मित/परिभाषित वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली का प्रयोग किया जाना चाहिए।

(viii) यदि आवश्यक हो तो लेख में प्रयुक्त तकनीकी शब्दों के अंग्रेजी पर्यायों को कोष्ठकों में भी दिया जा सकता है।

(ix) रंगीन और श्वेत-श्याम फोटोग्राफ स्वीकार किए जाते हैं। प्रस्तुत किए गए रेखाचित्र सफेद कागज पर ब्लैक इंडिया इंक से तैयार किए जाने चाहिए।

(x) किसी लेख का प्रकाशित किया जाना संपादक के विवेक पर होगा और इस संबंध में उसके निर्णय को अंतिम माना जाएगा।

(xi) लेखों को स्वीकार किए जाने के संबंध में कोई भी पत्र-व्यवहार करने का प्रावधान नहीं है।

(xii) अस्वीकृत लेखों को वापस नहीं किया जाएगा। लेखकों को सलाह दी जाती है कि वे उनके लिए टिकट लगे लिफाफे न भेजें।

(xiii) समीक्षा के लिए पुस्तक की दो प्रतियाँ प्रस्तुत की जाएँ।

(xiv) प्रकाशित लेखों के लिए मानदेय की दर रु. 250/– प्रति 1000 शब्द है लेकिन उसकी न्यूनतम राशि रु. 150/– और अधिकतम राशि रु. 1,000/– होगी।

(xv) सभी भुगतान पत्रिका के प्रकाशित होने के बाद किए जाते हैं।

(xvi) लेखक अपने लेखों की दो प्रतियाँ कृपया संबंधित पत्रिका के संपादक को भेज सकते हैं यथा...

डॉ. प्रेमनारायण शुक्ल
संपादक,
'ज्ञान गरिमा सिंधु',
वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग,
पश्चिमी खंड-7, रामकृष्णपुरम,
नई दिल्ली- 110066

अभिदान से संबंधित सूचना

ज्ञान गरिमा सिंधु/विज्ञान गरिमा सिंधु के सभी अंक पत्रिका के ग्राहकों को डाक द्वारा भेजे जाते हैं।

अभिदान दरें इस प्रकार हैं–

सदस्यता शुल्क	भारतीय मुद्रा	विदेशी मुद्रा	
व्यक्तियों/संस्थाओं के लिए प्रति कापी	₹. 14/–	पौंड 1.64	डालर 4.84
वार्षिक शुल्क	₹. 50/–	पौंड 5.83	डालर 18.00
छात्रों के लिए प्रति कॉपी	₹. 8/–	पौंड 0.93	डालर 10.80
वार्षिक शुल्क	₹. 30/–	पौंड 3.50	डालर 2.88

छात्रों को अपनी शैक्षणिक संस्था के प्रधान द्वारा प्रदत्त इस आशय का प्रमाण-पत्र अवश्य संलग्न करना चाहिए कि वह संस्था का छात्र है।

❑❑❑

प्रोफार्मा

(आयोग के कार्यक्रमों में सहयोजित होने के लिए आत्मवृत्त भेजने हेतु)

1. नाम : _____
2. पदनाम : _____
3. पता : कार्यालय : _____
   निवास : _____

4. संपर्क नं. टेलीफोन/मोबाइल/ई-मेल _____
5. शैक्षिक अर्हता _____
6. विषय-विशेषज्ञता _____
7. भाषाओं का ज्ञान जिन्हें पढ़/लिख सकते हैं _____
*8. शिक्षण का अनुभव _____
*9. शोध कार्य का अनुभव _____
*10. शब्दावली निर्माण का अनुभव _____
*11. शिक्षा माध्यम के रूप में हिंदी/क्षेत्रीय भाषा में शिक्षण का अनुभव _____

मैं आयोग से सहयोजित होना चाहता हूँ (कृपया टिक लगाएँ)

- ☐ शब्दावली निर्माण सत्रों में विशेषज्ञ के रूप में
- ☐ आयोग के कार्यक्रमों में संसाधक के रूप में
- ☐ ज्ञान गरिमा सिंधु/विज्ञान गरिमा सिंधु में प्रकाश्य लेख के लेखक के रूप में या पाठ-संग्रह(मोनोग्राफ)/चयनिका के लेखक के रूप में
  - ☐ पांडुलिपि संलग्न है
  - ☐ अधिक जानकारी उपलब्ध कराएँ
- ☐ 'ज्ञान गरिमा सिंधु'/'विज्ञान गरिमा सिंधु' पत्रिका का ग्राहक बनकर
  - ☐ ड्राफ्ट/पोस्टल आर्डर संलग्न है
  - ☐ अधिक जानकारी उपलब्ध कराएँ

हस्ताक्षर

*जहाँ लागू हो

फार्म

पत्रिका की सदस्यता हेतु ग्राहक फार्म

व्यक्ति/संस्थाएँ या छात्र निम्नलिखित फार्मेट में अभिदान के लिए आवेदन कर सकते हैं :–

प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती ..... इस स्कूल/कॉलेज/विश्वविद्यालय के ..... विभाग में वास्तविक छात्र/छात्रा है।

हस्ताक्षर

(प्रिंसिपल/विभागाध्यक्ष)

अभिदान फार्म

अध्यक्ष,
वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग,
पश्चिमी खंड-7, रामकृष्णपुरम्, नई दिल्ली-110066
महोदय,

मैं, अध्यक्ष, वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग, नई दिल्ली के नाम नई दिल्ली में ..... बैंक के खाते में देय डिमांड ड्राफ्ट नं. .... दिनांक ..... द्वारा त्रैमासिक पत्रिका 'ज्ञान गरिमा सिंधु/विज्ञान गरिमा सिधु' के लिए वार्षिक अभिदान के रु. ..... भेज रहा हूँ/रही हूँ।

(हस्ताक्षर)

टिप्पणी : खाते में देय ड्राफ्ट अध्यक्ष, वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग, नई दिल्ली के नाम नई दिल्ली के किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक के लिए बनवाया जा सकता है।

कृपया डिमांड ड्राफ्ट के पीछे अपना नाम और पता लिखें।

अभिदान से संबंधित पत्र-व्यवहार

अभिदान से संबंधित समस्त पत्र-व्यवहार निम्नलिखित के साथ किया जाए–
वैज्ञानिक अधिकारी, बिक्री एकक,
वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग, पश्चिमी खंड-7,
आर. के. पुरम्, नई दिल्ली-110066
फोन नं. (011) 26105211 एक्स.

पत्रिकाएं वैज्ञानिक अधिकारी, बिक्री एकक, वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग या निम्नलिखित पते पर प्राप्त की जा सकती हैं–
प्रकाशन नियंत्रक,
प्रकाशन विभाग,
भारत सरकार, सिविल लाईंस,

हमारे प्रकाशन

शब्द–संग्रह

बृहत् पारिभाषिक शब्द–संग्रह

विज्ञान खंड–1, 2	174.00
विज्ञान खंड–1, 2	150.00
विज्ञान (हिंदी–अंग्रेजी)	236.00
मानविकी और सामाजिक खंड 1, 2	292.00
मानविकी और सामाजिक विज्ञान (हिंदी–अंग्रेजी)	350.00
कृषि विज्ञान	278.00
आयुर्विज्ञान, भेषज विज्ञान, शारीरिक नृविज्ञान	239.00
आयुर्विज्ञान, कृषि एवं इंजीनियरी (हिंदी–अंग्रेजी)	48.00
मुद्रण इंजीनियरी	48.00
इंजीनियरी (सिविल, विद्युत्, यांत्रिकी)	340.00
पशुचिकित्साविज्ञान	82.00
प्राणिविज्ञान	311.00

विषयवार–शब्दावलियाँ/परिभाषा कोश

भौतिकी

भौतिकी शब्द–संग्रह (अंग्रेजी–हिंदी)	119.00
भौतिकी शिक्षार्थी शब्द–संग्रह (अंग्रेजी–हिंदी)	219.00
भौतिकी मूलभूत शब्दावली (अंग्रेजी–हिंदी)	निःशुल्क
अंतरिक्ष विज्ञान शब्दावली (अंग्रेजी–हिंदी)	45.00
तरल यांत्रिकी परिभाषा कोश (अंग्रेजी–हिंदी)	10.00
प्लाज्मा भौतिकी शब्द–संग्रह (अंग्रेजी–हिंदी)	1589.00
भौतिकी परिभाषा कोश (अंग्रेजी–हिंदी)	700.00
अर्धचालक शब्दावली (अंग्रेजी–हिंदी)	40.00
भौतिकी शब्द–संग्रह (अंग्रेजी–हिंदी)	652.00

गृह विज्ञान

गृह विज्ञान शब्द–संग्रह (अंग्रेजी–हिंदी)	60.00
गृह विज्ञान मूलभूत शब्दावली (अंग्रेजी–हिंदी)	निःशुल्क

कंप्यूटर विज्ञान एवं सूचना प्रौद्योगिकी

कंप्यूटर विज्ञान शब्दावली (अंग्रेजी–हिंदी)	57.00
कंप्यूटर विज्ञान परिभाषा कोश (अंग्रेजी–हिंदी)	102.00
प्रसारण तकनीकी शब्दावली (अंग्रेजी–हिंदी)	310.00
सूचना प्रौद्योगिकी शब्द–संग्रह (अंग्रेजी–हिंदी)	231.00

रसायन

रसायन शब्द–संग्रह (अंग्रेजी–हिंदी)	592.00
इस्पात एवं अलौह धातुकर्म शब्दावली (अंग्रेजी–हिंदी)	55.00
उच्चतर रसायन परिभाषा कोश (अंग्रेजी–हिंदी)	17.00
धातुकर्म परिभाषा कोश (अंग्रेजी–हिंदी)	278.00
रसायन शिक्षार्थी शब्द–संग्रह (अंग्रेजी–हिंदी)	84.00
रसायन (कार्बनिक) परिभाषा कोश (अंग्रेजी–हिंदी)	25.00

वाणिज्य

वाणिज्य शब्दावली (अंग्रेजी–हिंदी)	259.00
पूँजी बाजार एवं संबद्ध शब्दावली (अंग्रेजी–हिंदी)	79.00
वाणिज्य परिभाषा कोश (अंग्रेजी–हिंदी)	24.00

रक्षा

समेकित रक्षा शब्दावली (अंग्रेजी–हिंदी)	284.00

गुणतानियंत्रण

गुणता नियंत्रण शब्दावली (अंग्रेजी–हिंदी तथा अंग्रेजी–हिंदी)	38.00

भाषा विज्ञान

भाषा विज्ञान शब्दावली (अंग्रेजी–हिंदी तथा हिंदी–अंग्रेजी)	113.00

भाषा विज्ञान परिभाषा कोश खंड–1 (अंग्रेजी–हिंदी)	89.00
भाषा विज्ञान परिभाषा कोश खंड–2 (अंग्रेजी–हिंदी)	59.00

जीव विज्ञान

कोशिका जैविकी शब्द–संग्रह (अंग्रेजी–हिंदी)	62.00
कोशिका जैविकी परिभाषा कोश (अंग्रेजी–हिंदी)	121.00
प्राणिविज्ञान परिभाषा कोश (अंग्रेजी–हिंदी)	216.00
प्राणिविज्ञान शब्द–संग्रह (अंग्रेजी–हिंदी–बोडो)	417.00
प्राणिविज्ञान मूलभूत शब्दावली	निःशुल्क
पर्यावरण विज्ञान मूलभूत शब्दावली	निःशुल्क
जैव प्रौद्योगिकी मूलभूत शब्दावली	निःशुल्क
जीवविज्ञान शिक्षार्थी शब्द–संग्रह (अंग्रेजी–हिंदी)	212.00
पर्यावरण विज्ञान शब्द–संग्रह (अंग्रेजी–हिंदी)	381.00
सूक्ष्मजैविकी परिभाषा कोश (अंग्रेजी–हिंदी)	45.00

लोक प्रशासन

लोक प्रशासन शब्दावली (अंग्रेजी–हिंदी)	52.00

गणित

गणित शब्द–संग्रह (अंग्रेजी–हिंदी)	143.00
गणित परिभाषा कोश (अंग्रेजी–हिंदी)	203.00
सांख्यिकी परिभाषा कोश (अंग्रेजी–हिंदी)	18.00

भूगोल

भूगोल शब्द–संग्रह (अंग्रेजी–हिंदी)	200.00
भूगोल परिभाषा कोश (अंग्रेजी–हिंदी)	10.00
मानव भूगोल परिभाषा कोश (अंग्रेजी–हिंदी)	18.00
मानचित्र विज्ञान परिभाषा कोश (अंग्रेजी–हिंदी)	231.00

भूविज्ञान

भूविज्ञान शब्द–संग्रह (अंग्रेजी–हिंदी)	88.00
सामान्य भूविज्ञान शब्दावली (अंग्रेजी–हिंदी)	101.00
आर्थिक भूविज्ञान शब्दावली (अंग्रेजी–हिंदी)	75.00

भूभौतिकी शब्दावली (अंग्रेजी–हिंदी)	67.00
शैलविज्ञान शब्दावली (अंग्रेजी–हिंदी)	82.00
खनिज विज्ञान शब्दावली (अंग्रेजी–हिंदी)	130.00
अनुप्रयुक्त भूविज्ञान शब्दावली (अंग्रेजी–हिंदी)	115.00
भूविज्ञान परिभाषा कोश (अंग्रेजी–हिंदी)	63.00
संरचनात्मक भूविज्ञान परिभाषा कोश (अंग्रेजी–हिंदी)	13.50
संरचनात्मक भूविज्ञान शब्दावली (अंग्रेजी–हिंदी)	73.00
शैलविज्ञान परिभाषा कोश (अंग्रेजी–हिंदी)	153.00
पेट्रोलियम प्रौद्योगिकी परिभाषा कोश (अंग्रेजी–हिंदी)	173.00
खनन एवं भूविज्ञान शब्द–संग्रह (अंग्रेजी–हिंदी)	32.00
संरचनात्मक भूविज्ञान एवं विवर्तनिकी शब्द–संग्रह (अंग्रेजी–हिंदी)	15.00
जीवाश्म विज्ञान शब्दावली (अंग्रेजी–हिंदी)	129.00

कृषि

रेशम विज्ञान शब्द–संग्रह (अंग्रेजी–हिंदी)	50.00
कृषि कीटविज्ञान परिभाषा कोश (अंग्रेजी–हिंदी)	75.00
सूत्रकृषि विज्ञान परिभाषा कोश (अंग्रेजी–हिंदी)	125.00
कृषि विज्ञान मूलभूत शब्दावली (अंग्रेजी–हिंदी)	निःशुल्क
मृदा विज्ञान परिभाषा कोश (अंग्रेजी–हिंदी)	77.00
वानिकी शब्द–संग्रह (अंग्रेजी–हिंदी)	447.00

इंजीनियरी

रासायनिक इंजीनियरी शब्द–संग्रह (अंग्रेजी–हिंदी)	51.00
विद्युत् इंजीनियरी परिभाषा कोश (अंग्रेजी–हिंदी)	81.00
यांत्रिक इंजीनियरी मूलभूत शब्दावली (अंग्रेजी–हिंदी)	निःशुल्क
यांत्रिक इंजीनियरी परिभाषा कोश (अंग्रेजी–हिंदी)	94.00
सिविल इंजीनियरी परिभाषा कोश (अंग्रेजी–हिंदी)	61.00
तरल यांत्रिकी परिभाषा कोश (अंग्रेजी–हिंदी)	10.00

वनस्पतिविज्ञान

वनस्पतिविज्ञान शब्द–संग्रह (अंग्रेजी–हिंदी)	86.00
वनस्पतिविज्ञान परिभाषा कोश (संशोधित एवं परिवर्धित संस्करण) (अंग्रेजी–हिंदी)	75.00
वनस्पतिविज्ञान मूलभूत शब्दावली (अंग्रेजी–हिंदी)	निःशुल्क
पादप रोग विज्ञान परिभाषा कोश (अंग्रेजी–हिंदी)	75.00
पुरावनस्पति विज्ञान परिभाषा कोश (अंग्रेजी–हिंदी)	80.00
पादप आनुवंशिकी परिभाषा कोश	75.00

अनुप्रयुक्त विज्ञान

प्राकृतिक विपदा शब्दावली (अंग्रेजी–हिंदी)	17.00
जलवायु विज्ञान शब्दावली (अंग्रेजी–हिंदी)	131.00

मनोविज्ञान

मनोविज्ञान परिभाषा कोश (अंग्रेजी–हिंदी)	9.50
मनोविज्ञान शब्दावली (अंग्रेजी–हिंदी)	247.00

इतिहास

इतिहास परिभाषा कोश (अंग्रेजी–हिंदी)	20.50

प्रशासन

प्रशासन शब्दावली (अंग्रेजी–हिंदी)	20.00
प्रशासनिक शब्दावली (अंग्रेजी–हिंदी–बोडा)	720.00
प्रशासनिक शब्दावली ;(अंग्रेजी–हिंदी)	20.00
मूलभूत प्रशासनिक शब्दावली (अंग्रेजी–हिंदी)	निःशुल्क

शिक्षा

शिक्षा परिभाषा कोश (अंग्रेजी–हिंदी), खंड–1	13.50
शिक्षा परिभाषा कोश (अंग्रेजी–हिंदी), खंड–2	99.00

आयुर्विज्ञान

आयुर्विज्ञान शब्द–संग्रह (अंग्रेजी–हिंदी)	517.00
आयुर्विज्ञान परिभाषा कोश (शल्य विज्ञान) (अंग्रेजी–हिंदी)	338.00

आयुर्विज्ञान के सामान्य शब्द एवं वाक्यांश (अंग्रेजी–तमिल–हिंदी)	279.00
आयुर्विज्ञान मूलभूत शब्दावली (अंग्रेजी–हिंदी)	निःशुल्क
औषधि प्रतिकूल प्रतिक्रिया शब्दावली	273.00
आयुर्वेद परिभाषा कोश (संस्कृत–अंग्रेजी)	260.00
समाजशास्त्र	
समाज कार्य परिभाषा कोश (अंग्रेजी–हिंदी)	16.25
समाज शास्त्र परिभाषा कोश (अंग्रेजी–हिंदी)	71.40
नृविज्ञान	
सांस्कृतिक नृविज्ञान परिभाषा कोश (अंग्रेजी–हिंदी)	24.00
दर्शनशास्त्र	
भारतीय दर्शन परिभाषा कोश (अंग्रेजी–हिंदी) खंड–1	151.00
भारतीय दर्शन परिभाषा कोश (अंग्रेजी–हिंदी) खंड–2	124.00
भारतीय दर्शन परिभाषा कोश (अंग्रेजी–हिंदी) खंड–3	136.00
दर्शन शास्त्र परिभाषा कोश (अंग्रेजी–हिंदी)	198.00
पुस्तकालय विज्ञान	
पुस्तकालय विज्ञान परिभाषा कोश (अंग्रेजी–हिंदी)	49.00
पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान शब्दावली (अंग्रेजी–हिंदी)	375.00
पत्रकारिता	
पत्रकारिता परिभाषा कोश (अंग्रेजी–हिंदी)	87.00
पत्रकारिता एवं मुद्रण शब्दावली (अंग्रेजी–हिंदी)	12.25
पुरातत्व विज्ञान	
पुरातत्व विज्ञान परिभाषा कोश (अंग्रेजी–हिंदी)	509.00
कला	
पाश्चात्य संगीत परिभाषा कोश (अंग्रेजी–हिंदी)	28.55
राजनीति विज्ञान	
राजनीति विज्ञान परिभाषा कोश (अंग्रेजी–हिंदी)	343.00

भारतीय कृषि का विकास	155.00
विकास मनोविज्ञान भाग–1	40.00
विकास मनोविज्ञान भाग–2	30.00
कृषिजन्य दुर्घटनाएँ	25.00
इलेक्ट्रॉनिक मापन	31.00
वनस्पतिविज्ञान पाठमाला	16.00
इस्पात परिचय	146.00
जैव–प्रौद्योगिकी : अनुसंधान एवं विकास	134.00
विश्व के प्रमुख दार्शनिक	433.00
प्राकृतिक खेती	167.00
हिंदी विज्ञान पत्रकारिता : कल, आज और कल	167.00
मानसून पवन : भारतीय जलवायु का आधार	112.00
हिंदी में स्वतंत्राता परवर्ती विज्ञान लेखन	280.00
पृथ्वी : उद्भव और विकास	86.00
इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी	90.00
पृथ्वी से पुरातत्व	40.00
द्रवचालित मशीन	66.50
भारत के सात आश्चर्य	335.00
पादप सुरक्षा के विविध आयाम	360.00
पादप प्रवर्धन एवं पौधशाला प्रबंधन	403.00

❑❑❑

बिक्री संबंधी नियम

1. आयोग के प्रकाशन, आयोग के बिक्री पटल तथा भारत सरकार के प्रकाशन विभाग के विभिन्न बिक्री पटलों पर उपलब्ध रहते हैं।
2. सभी प्रकाशनों की खरीद पर 25 प्रतिशत की छूट दी जाती है। कुछ पुराने प्रकाशनों पर 75 प्रतिशत तक भी छूट दी जाती है।
3. सभी तरह के आदेशों की प्राप्ति पर आयोग द्वारा इनवाइस जारी किया जाता है। अपेक्षित धनराशि का बैंक ड्राफ्ट या मनीऑर्डर अध्यक्ष, वैज्ञानिक शब्दावली आयोग, नई दिल्ली (Chairman, C.S.T.T., New Delhi) के नाम देय होना चाहिए। चेक स्वीकार्य नहीं होगा। अपेक्षित धनराशि प्राप्त होने के पश्चात् ही पुस्तकें भेजी जाती हैं।
4. चार किलोग्राम वजन तक की सभी पुस्तकें सामान्य डाक/अपंजीकृत पार्सल से भेजी जाती हैं। पुस्तकें भेजने पर पैकिंग तथा फॉर्वर्डिंग चार्ज नहीं लिया जाता है।
5. चार किलोग्राम से अधिक की सभी पुस्तकें सड़क परिवहन से भेजी जाती हैं तथा इन पर आने वाले सभी परिवहन–व्ययों का भुगतान माँगकर्ता द्वारा ही किया जाएगा।
6. पुस्तकें रोड ट्रांसपोर्ट से भेजने के बाद आयोग द्वारा मूल बिल्टी तत्काल पंजीकृत डाक से मांगकर्ता को भेज दी जाती है। यदि निर्धारित अवधि में पुस्तकों को ट्रांसपोर्ट कार्यालय से प्राप्त न किया गया तो उस स्थिति में लगने वाले सभी तरह के अतिरिक्त प्रभारों का भुगतान माँगकर्ता को ही करना होगा।
7. सड़क परिवहन से भेजी जाने वाली पुस्तकों पर न्यूनतम वजन का प्रभार अवश्य लगता है जो प्रत्येक दूरी के लिए अलग–अलग होता है। यदि संबंधित संस्था चाहे तो आयोग में सीधे ही भुगतान करके स्वयं पुस्तकें प्राप्त कर सकती है।
8. दिल्ली तथा उसके नजदीक के क्षेत्रों के आदेशों की पूर्ति डाक द्वारा संभव नहीं होगी। संबंधित संस्था को आयोग के बिक्री एकक में आवश्यक भुगतान करके पुस्तकें प्राप्त करनी होंगी।

9. पुस्तकों की पैकिंग करते समय इस बात का ध्यान रखा जाता है कि मांगकर्ता को सभी पुस्तकें अच्छी स्थिति में प्राप्त हों। पुस्तकें सामान्य डाक/अपंजीकृत पार्सल/रोड ट्रांसपोर्ट से भेजी जाती हैं। यदि परिवहन में पुस्तकों को किसी भी तरह का नुकसान पहुँचता है तो उसका दायित्व आयोग पर नहीं होगा।
10. सामान्यतः बिल कटने के बाद आदेश में बदलाव या पुस्तकों की वापसी नहीं होगी। यदि क्रय राशि का समायोजन आवश्यक होगा तो राशि वापस नहीं की जाएगी। इस स्थिति में अन्य पुस्तकें ही दी जाएँगी।
11. प्रकाशन विभाग, भारत सरकार के बिक्री केंद्रों की सूची –
    1. किताब महल, प्रकाशन विभाग
बाबा खड्ग सिंह मार्ग, स्टेट एंपोरियम बिल्डिंग
यूनिट नं. 21, नई दिल्ली–110001
    2. बिक्री पटल, प्रकाशन विभाग
उद्योग भवन, गेट नं.–3, नई दिल्ली–110001
    3. बिक्री पटल, प्रकाशन विभाग
सी. जी. ओ. कॉम्प्लेक्स, न्यू मेरीन लाइन्स
मुंबई–400020
    4. बिक्री पटल, प्रकाशन विभाग
दिल्ली उच्च न्यायालय, (लॉयर चैंबर)
नई दिल्ली–110003
    5. पुस्तक डिपो, प्रकाशन विभाग
के. एस. राय मार्ग, कोलकाता–700001
12. अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें –
प्रभारी अधिकारी (बिक्री)
वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग
(मानव संसाधन विकास मंत्रालय)
पश्चिमी खंड–7, रामकृष्णपुरम
नई दिल्ली–110066

□□□

मुनिभास्नु५—169 निनि. ऑफ एच.आर.डी./2015—23.07.2015—1000 किताबें।

©भारत सरकार
प्रकाशन नियंत्रक

पी.सी.एस. टी.टी. 2 जुलाई-दिसंबर (7-12) 2014

वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग
मानव संसाधन विकास मंत्रालय (उच्चतर शिक्षा विभाग) भारत सरकार
Commission for Scientific and Technical Terminology
Ministry of Human Resource Development
(Department of Higher Education)
Government of India

PRINTED BY DIRECTORATE OF PRINTING AT GOVERNMENT OF INDIA PRESS, N.I.T. FARIDABAD
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, CIVIL LINES, DELHI-110054, 2015